सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 जुलाई, 2019

षोडश विधान-सभा | 26 जुलाई, 2019 ई0
------------ | शुक्रवार,तिथि ---------------
त्रयोदश सत्र | 04 श्रावण,1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर काल ।

अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 'अ' 30

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और सुखाड़ पर ...

अध्यक्ष: आप ही के प्रश्न का उत्तर होना है, बाढ़ सुखाड़ पर दिये हैं तो ठीक है, समय पर बोलियेगा न ललित जी। चलिये, ग्रामीण विकास विभाग । श्री समीर कुमार महासेठ जी का उत्तर ग्रामीण विकास विभाग ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता है कि राज्य की गरीबी दूर हो, राज्य का सर्वांगीण विकास हो तथा जनता का जीवन सुखयम हो । सरकार इस दिशा में काफी गंभीर है तथा हर क्षेत्र में विकास कर राज्य एवं राज्य की जनता को खुशहाल बनाना चाहती है । जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, इसमें कई विभागों के आंकड़े एकत्रित किये जाने हैं ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

पंचायती राज विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य विभाग, श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कई अन्य विभाग सम्मिलत हैं । गरीबी उन्मूलन की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रम एवं संबंधित उपलब्धि तथा प्रगति से संबंधित आंकड़े प्राप्त कर

सदन को एवं विशेष रूप से माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य को संसूचित कर दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अभी प्रश्न होने देते, फिर यह मांग तो आप कर ही सकते हैं बाद में ।

(व्यवधान)

अभी प्रश्न होने दीजिये । आप ठीक कह रहे हैं, प्रश्न होने दीजिये ।

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर चले गये)

अध्यक्ष: चलिये, श्री समीर कुमार महासेठ जी का उत्तर। माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री समीर कुमार महासेठ: दे दिये हैं, मंत्री जी बोल चुके हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: कहिये तो फिर से पढ़ दें ?

अध्यक्ष: उत्तर सुनिए न ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता है कि राज्य की गरीबी दूर हो, राज्य का सर्वांगीण विकास हो तथा जनता का जीवन सुखयम हो । सरकार इस दिशा में काफी गंभीर है तथा हर क्षेत्र में विकास कर राज्य एवं राज्य की जनता को खुशहाल बनाना चाहती है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है महोदय, इसमें कई विभागों के आंकड़े एकत्रित किये जाने हैं । पंचायती राज विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कई अन्य विभाग सम्मिलत हैं । गरीबी उन्मूलन की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं उपलब्धि तथा प्रगति से संबंधित आंकड़े प्राप्त कर सदन को एवं विशेष रूप से माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य को संसूचित कर दिया जायेगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, एम0पी0आई0 का जो रिपोर्ट आया है उसके तहत माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, इतना प्रयास करने के बाद पूरे देश में अभी चार करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जिसमें 2 करोड़ 80 हजार केवल बिहार के हैं तो निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी को संज्ञान लेकर के सारे

डिपार्टमेंट को को-ऑर्डिनेट कर के इस तरह का बनावें कि कौन कौन सी योजना लागू करने के बाद हम इस पर काबू पा सकते हैं, दूसरा कि सबसे ज्यादा टैक्स भी इस राज्य में ज्यादा है । हरेक चीजों पर टैक्स दूसरे स्टेट के बदले हमारे बिहार में लिया जा रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन चीजों को देखते हुए टैक्स को भी काम करने का प्रयास करेंगे ?

अध्यक्षः क्या टैक्स को कम करने का ग्रामीण विकास मंत्री जवाब देंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठः नहीं सर, इसी के चलते मंहगाई बढ़ रही है....

अध्यक्षः प्रश्न आपका गरीबी उन्मूलन से संबंधित है । ये टैक्सेशन या टैक्स से रिलेटेड प्रश्न नहीं है...

श्री समीर कुमार महासेठः यह को-रिलेटेड है इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से...

अध्यक्षः गरीबी उन्मूलन के परिप्रेक्ष्य में जो सुझाव देने हैं, वह दे दीजिये उसमें कोई बात नहीं है।

श्री समीर कुमार महासेठः तो निश्चित तौर पर मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि अन्यत्र जो भी योजना बना रहे हैं तो कोई टारगेटेड योजना होना चाहिए कि छः महीना में इतना गरीबी रेखा के नीचे आया, साल भर में इतना आया तो निश्चित तौर 14 साल बनाम पिछला 15 साल की जो चर्चा कर रहे हैं बार-बार, वह न करके आप अपने 14 साल 15 साल की चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-34

श्री अवधेश कुमार सिंहः अभी स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय कि प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित है...

अध्यक्षः स्वास्थ्य विभाग से है तो जवाब कौन देगा ?

श्री अवधेश कुमार सिंहः आप सुन तो लीजिये अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट में नाराज हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि पूरा विपक्ष चमकी बीमारी के चलते जो गरीब ...

अध्यक्षः अभी आप प्रश्न पूछते हैं या नहीं ? आपके पास विकल्प तो एक ही है कि या तो आप प्रश्न पूछिये या नहीं पूछिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः हमारे पास अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन, देखिये हमलोग बच्चा में पढ़े हैं...

अध्यक्षः प्रश्न पूछने पर तो भाषण हो नहीं सकता ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः हम कहां भाषण दे रहे हैं हम बोले...

अध्यक्षः आप पूछियेगा कि नहीं पूछियेगा ?

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, गुरू गोविंद दोऊ खड़े...

अध्यक्ष: आप नहीं पूछियेगा, हम अगले को पुकार रहे हैं ।

अध्यक्ष: अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 35 श्री ललित कुमार यादव जी ।

(नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष: अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 36, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी ।

(नहीं पूछा गया)

श्री ललित कुमार यादव: महोदय दूसरे मंत्री जवाब दें तो हमलोग...

अध्यक्ष: अल्पसूचित प्रश्न संख्या-37, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन ।
ये भी नहीं पूछेंगे ।

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न संख्या-2316 श्रीमती एज्या यादव, स्वास्थ्य विभाग ।
नहीं पूछेंगे ।

अध्यक्ष: तारांकित प्रश्न संख्या-2317,श्रीमती समता देवी स्वास्थ्य विभाग ।
नहीं पूछेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2318(श्री शत्रुध्न तिवारी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: (1) इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला में जर्जर बिजली के पोल एवं तार को बदलने का कार्य ई-निविदा के आधार पर चयनित एजेंसी के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

(2)ढोरलाही पंचायत में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत कार्य कराया गया था । इस लाईन के कुछ पोल का तार वारिस से मिट्टी के कटाव के कारण गिर गये जिसके मरम्मति का कार्य योजना के शर्त्तो के अनुसार एजेंसी द्वारा किया गया हैं । पोल गाड़ने का कार्य मानक के अनुरूप किया गया है ।

(3) बिहार राज्य के सभी जिले में विद्युतीकरण का कार्य आई0ई0सी0 भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये एस0बी0डी0 में निहित प्रावधानों एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया गया है । कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु त्रिसदस्सीय जांच जैसे टी0पी0आई0ए0, आर0एस0क्यू0एम0 और एन0क्यू0एम0 द्वारा जांच प्रावधान के अनुरूप किया गया है । जांच के दौरान पाये गये त्रुटियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

टर्न-2/मधुप/26.07.2019

श्री शत्रुघ्न तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि संवेदक द्वारा विभाग से काम का जो करार हुआ है उसमें पोल गाड़ने का मानक क्या है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूँ कि बिजली के जर्जर तारों के बदलने का कार्य धीमी गति से हो रहा है और एक ही गॉव में एक टोला में कवर का तार है और बगल उसी गॉव में खुला तार है, नंगा तार है । जैसे अगर हमलोग कहीं जायं और भोज में एक टेबुल पर दूसरा खाना मिले और उसी बगल के टेबुल पर दूसरा खाना मिले तो कैसा हमलोगों को लगेगा ?

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री शत्रुघ्न तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इसकी जॉच उच्चस्तरीय पदाधिकारी से करायी जाय । खोरीपाकड़ से डोरलाही डी0एन0 शर्मा के घर तक बॉस गाड़ कर वहॉ तार जोड़ा है और मनोज सिंह के घर के पास तार नीचे गिर गया है....

अध्यक्ष : तिवारी जी, वह सब सूचना लिखकर माननीय मंत्री को दे दीजिएगा, ये उसपर कार्रवाई करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2319 (श्री ललन पासवान)</u>

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री : महोदय, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कैमूर पहाड़ पर अवस्थित रोहतास गढ़ किला एवं भभुआ में मॉ मुण्डेश्वरी मंदिर पर जाने हेतु रोपवे का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा टेन्डर कराया जा रहा है । उक्त कार्य हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निविदा की कार्रवाई की जा रही है ।

ख- स्वीकारात्मक है ।

ग- वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, हमने पहले भी कहा है कि जब प्रश्न का खंड विधान सभा सचिवालय से भी 1-2-3 करके जाता है, तो खंड 1-2-3 बोलिये न, क-ख-ग क्यों बोलते हैं ?

श्री ललन पासवान : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि 6-7-8 महीना पहले इसकी निविदा 7-8 महीना पहले कहिये, निविदा निकाली

गई, पुल निर्माण निगम ने 28 तारीख को ही पिछले मई-जून में ही और अभी तक निविदा ही निकाल रही है, माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा । आखिर समय सीमा तो बतायें कि इनकी निविदा कब समाप्त होगी और कबतक ये काम प्रारंभ करेंगे ? ये बता दें, समय सीमा बतावें न कि कब इनकी निविदा समाप्त होगी और कब काम प्रारंभ होगा ? 8 महीना से निविदा चल रहा है ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि पुल निर्माण निगम को निविदा निकालना और काम करना उन्हीं को है । हमलोगों ने इस बार पुल निर्माण निगम को राशि उपलब्ध करा दिया है, उन्होंने टेन्डर निकाल दिया इसका, जैसे ही टेन्डर की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, काम प्रारंभ हो जायेगा ।

श्री ललन पासवान : महोदय, आपके माध्यम से दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है कि मैंने कहा कि ये दो बार निविदा निकाल चुके हैं और फिर निकाले हैं तो आखिर कबतक ? कोई सीमा होगी कि कबतक इनका निविदा समाप्त होगा, कब काम प्रारंभ होगा ? यह तो माननीय मंत्री बतावें । हो जायेगा ! यह तो 8 महीने से हो रहा है ।

अध्यक्ष : टेन्डर प्रक्रिया पूरी कब होगी, इसके बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री : पुल निर्माण निगम को करना है ।

अध्यक्ष : सरकार को जवाब तो देना होगा न !

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री : हमने पुल निर्माण निगम को राशि उपलब्ध करा दिया है ।

अध्यक्ष : ठीक है । शीघ्र करा देंगे । प्रश्न सं0 2320, श्री सरोज यादव । आपदा प्रबंधन विभाग ।

श्री ललन पासवान : महोदय....

अध्यक्ष : टेन्डर हो गया, उसका शीघ्र निष्पादन करा देंगे ।

श्री ललन पासवान : महोदय, यह पर्यटन विभाग का मामला है, पिछले बार भी निविदा हुआ था...

अध्यक्ष : इस बार टेन्डर निष्पादन की प्रक्रिया में है न ।

श्री ललन पासवान : टेन्डर का निष्पादन 6-8 महीना से हो रहा है ? निष्पादन का समय सीमा बतावें ।

अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि शीघ्र निष्पादन करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2320 (श्री सरोज यादव)

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय, प्रतिवेदनानुसार मृतक योगेन्द्र राय, पिता-वकिल राय, ग्राम-ज्ञानपुर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, यह एकल दुर्घटना का मसला

है। दूसरा, मृतक रूपेश कुमार, पिता-स्व0 सत्यदेव राय, मृतक पिन्टु कुमार, पिता-सुनिल राय, मृतक रामशंकर राय, पिता-अनिल राय, मृतक विकास कुमार, पिता-देवनारायण राय, मृतक लाल बाबू राय, पिता-स्व0 टिपन राय के आश्रित को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है । मृतक राहुल कुमार, पिता-रामकुमार, ग्राम-बखोरापुर की मृत्यु बस दुर्घटना में हुई, यह एकल दुर्घटना का मामला है । मृतक कयामुद्दीन, पिता-जमालुद्दीन, पिता-जमालुद्दीन, ग्राम-गुण्डी की मृत्यु दौलतपुर में बेल के गिरने से हुई है, यह मामला एकल दुर्घटना का है।

विभागीय संकल्प संख्या 29/1 दिनांक-03.10.2008 के अनुसार गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समूह को कुप्रभावित होने पर अनुग्रह अनुदान अनुमान्य है । अतः इस मामले में अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है ।

मृतक मनीष कुमार, पिता-स्व0 श्यामबाबु राय साकिन विशुनपुर के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान कर दिया गया है । मृतक जनार्दन राय, पिता-स्व0 जंगलराय, ग्राम-लाला टोला की बस दुर्घटना में एकल मृत्यु का मामला है । मृतक सिंकी देवी, पति-मुन्ना राय साकिन जिवाराय के टोला की मृत्यु बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुई है, यह मामला ऊर्जा विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत का है । मृतक राकेश बिंद एवं बबलू बिंद, पिता-सुभाष बिंद साकिन घांधर के मामले में अनुग्रह अनुदान भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

महोदय, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना सं0 1418 दिनांक 17.04.2015 के अनुसार सड़क दुर्घटना में समूह के कुप्रभावित होने पर अनुग्रह अनुदान अनुमान्य है । प्रश्नगत क्रमांक-1, 7, 10 में अंकित मामले सड़क दुर्घटना में एकल मृत्यु का है, अतः अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपदा से लोग मरते हैं उनका कितने दिन समय सीमा है, महीना-साल कितने दिन लगता है ? इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से और बताऊंगा कि क्या मामला है । चूंकि जितना इसमें 13-14 नाम मैंने दिया है, और भी मेरे पास 15-20 नाम ऐसे हैं जो 2016 से लम्बित पड़ा हुआ है, आपदा का राशि जो नहीं भुगतान हो पाया है ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें 13 नाम जितना देना था मैंने दिया, पहले भी एक क्वेश्चन किया था, बहुत सारे लोग विधायक से नजदीकी नहीं होते हैं

तो क्या ऐसे परिवार को आपदा राशि नहीं दी जायेगी क्या ? या सदन में मामला नहीं उठे तो वैसे लोगों को नहीं दिया जायेगा ?

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह तो स्वाभाविक है कि कोई प्रश्न विधान सभा में उठे तभी उसका भुगतान होगा, वैसा तो कोई नियम हो ही नहीं सकता है । इसमें पूछना क्या है?

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने 2016 का मामला बताने का काम किया है, 2016 से लम्बित है ।

अध्यक्ष : आपने इसमें बहुत सारे मामले बताये हैं, जिसका जिक्र आपने प्रश्न में किया है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बताया है कि ये सब एकल मृत्यु का मामला है इसलिये सामूहिक आपदा वाले प्रावधान से आच्छादित नहीं होता है, इसलिये नहीं मिल रहा है । आप जबतक केस अलग-अलग करके अनुमान्यता के हिसाब से नहीं बतायेंगे तो फिर कैसे भुगतान होगा !

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारा मामला.....

अध्यक्ष : बहुत सारा मामला जो एकल मृत्यु का नहीं है, सामूहिक दुर्घटना में सामूहिक मृत्यु का है, वह दीजियेगा, मंत्री जी भुगतान करायेंगे ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ में डूबने वाले लोगों का मैंने बताया, बस दुर्घटना में 10 लोग घायल हुये, 01 व्यक्ति की मृत्यु हो गई.....

अध्यक्ष : घायल का कोई इसमें प्रावधान है क्या ! यह तो मृत्यु वाला प्रावधान है ।

(व्यवधान)

श्री सरोज यादव : इसमें है अध्यक्ष महोदय, मैंने भुगतान भी कराया है.... मैंने आपदा से बखोरापुर के सुनील सिंह का भुगतान करवाया है, अध्यक्ष महोदय । एक व्यक्ति घायल हुये हैं, एक मर गये, उनका मैंने भुगतान भी करवाया है ऐसे केस में ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : चन्द्रशेखर जी ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, आपदा प्रबंधन विभाग - चूंकि मैं भी इस महकमे को देखा हूँ । 24 घंटे के अंदर इसको भुगतान करना है, यह लेड-डाउन रूल है । 24 घंटा में नहीं, आप डेट पूछ लेंगे मंत्री जी से तो पता चल जायेगा, 4 महीना, 6 महीना में, अभी जब प्रश्न आया होगा तब भुगतान हुआ होगा ।

यह जो अव्यवस्था है, जो समय पर 24 घंटे के अंदर भुगतान नहीं हुई होगी, प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने जिन 10 लोगों को उद्धृत किया है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसपर कार्रवाई करना चाहेंगे ? दूसरी एक बात यह आई, घायल को दिया जाता है, महोदय । घायल के पैरामीटर क्या हैं, किस तरह का

अंग–भंग है, क्या है, आंख का लॉस है, क्या है, जो अस्पताल में भर्त्ती रहता है, कम से कम 3 हजार रूपया से लेकर 60 हजार रूपया तक का अनुदान दिया जाता है । यह नियम है ।

अध्यक्ष : चन्द्रशेखर जी, घायल को तो दिया जाता ही है, हमने कहा कि इस प्रश्न में घायलों का जिक्र नहीं है, यह प्रश्न मृतकों से संबंधित है ।

अवधेशजी, पूछिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक जानकारी चाहते हैं.....

टर्न–3/आजाद/26.07.2019

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, घायल का प्रश्न अगर नहीं भी उठा है, तब भी अगर मृतक के साथ यदि कोई घायल हुआ है तो वह देय है ।

अध्यक्ष : देय है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहते थे आपके माध्यम से आपदा विभाग से कि हमलोग मगध से आते हैं, आहर और पोखड़ में कोई अन्तर है क्या ? सुन लिया जाय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां मांझी परिवार के दो बच्चे डूबकर मर गये । वह लिखा कि यह मृत्यु पोखड़ में डूबने से हुआ है । आपदा विभाग कहता है कि पोखड़ का प्रोविजन नहीं है, इसलिए इनको मुआवजा नहीं मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, आहर और पोखड़ में कोई अन्तर है तो सदन को बताया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों की चिन्ता एक ही है जो वाजिब है । अगर सरकार का प्रावधान है और स्वाभाविक रूप से सरकार ने इस प्रावधान को बनाया है पीड़ित परिवार को सुविधा देने के लिए । पीड़ित परिवार को सहायता तत्काल नहीं मिलने से असंतोष होना भी स्वाभाविक हो जाता है । इसलिए विभाग को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि जो माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक समय सीमा के अन्दर जिनकी अनुमान्यता है, फिर अनुमान्यता के लिए अलग–अलग पारामीटर है, जैसे अवधेश जी बता रहे हैं, उसके बारे में और अन्य के बारे में सरकार की मुस्तैदी की सूचना आप देना चाहते हैं, दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : महोदय,महोदय ...

अध्यक्ष : पूछ लीजिए, तब मंत्री जी बोलेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : महोदय, सरकार गरीबों के प्रति काफी सजग है और सावधान है और सम्पूर्ण सदन की भावना है कि आपके माध्यम से सरकार को एक डायरेक्शन जाना चाहिए कि एकल मृत्यु जो कम से कम बी0पी0एल0 परिवार से आर्हता रखते हैं, उसपर सरकार गंभीरता से विचार करे और उस तरह के एकल मृत्यु में उस परिवार को राहत देने का कार्य करें, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ ?

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो सामूहिक दुर्घटनायें में जिनकी मृत्यु होती है, उनको 24 घंटे में पीड़ित को 4 लाख रू0 देने का प्रावधान है । माननीय मंत्री जी, जिनको साल भर बीत गया और अभी तक उनको पैसा नहीं मिला, क्या वैसे पदाधिकारियों पर माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री सरोज यादव : महोदय,महोदय ....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाईए, आपका चांस खत्म है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने एकल दुर्घटना का जिक्र किया है कि एकल दुर्घटना में पैसा नहीं दी गई है । इसमें है कि एकल दुर्घटना के साथ अगर कोई घायल है तो उसमें प्राविजन है, यह जिक्र उन्होंने नहीं किया। एकल दुर्घटना के साथ यदि कोई जख्मी भी हो गया है तो राशि देय होगा और इनका जो फ्लड एफेक्टेड जोन में जहां पर डूब कर मरता है, सांप काटता है, वह भी देय है । बरसात में अगर रेनी सिजन में अगर किसी को सांप काट कर मर जाता है, वह भी देय है । उन्होंने कहा कि पोखड़ और आहर दोनों स्थिति में देय है, पर उन्होंने कहा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनपर एकल वाले में एक डायरेक्शन होना चाहिए महोदय ।

श्री अरूण कुमार : महोदय, हमारे यहां फागुन में ही 5 एक्सीडेंट हुआ है धरहरा पुल के पास, जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है । हमारे यहां बड़ा नाहर है, उदवंतनगर के कुसबा गांव के आदमी का भी डूबकर मृत्यु हो गई है और इसका पोस्टमार्टम भी हुआ है, डूबकर मरने से इनकी मृत्यु हुई है तो माननीय मंत्री जी बताये कि इन लोगों को अभी तक कोई राशि नहीं दी गई है । जब इसमें आहर, पोखड़ में डूबकर मृत्ये होने पर राशि देने का प्रावधान है लेकिन नाहर में डूबने पर राशि देने का प्रावधान है या नहीं, इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी बताये । हमारे यहां धरहरा पुल के पास 5 लोगों

का सामूहिक एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक उनको राशि नहीं दी गई है जबकि इसके संबधं में कई बार सी0ओ0, एस0डी0ओ0 साहेब से भी बात किये हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि इन लोगों को राशि का भुगतान कराया जाय ।

अध्यक्ष : चलिए, माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे थे ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाईए सरोज जी, आप तीन बार पूछ चुके हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इनके प्रश्न का जवाब नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : जवाब कौन नहीं होने दिया, आप ही लोग न ।

श्री सरोज यादव : महोदय,महोदय ....

अध्यक्ष : बैठ जाईए सरोज जी । आप दूसरे को पूरक पूछने का समय देने के लिए स्थान ग्रहण कर चुके थे इसलिए आप स्थान ग्रहण कर लीजिए । बोलिए दूबे जी ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, यह मामला आपदा का है और माननीय सदस्य की चिन्ता देख रहे हैं । पूरे राज्य में कहीं भी महोदय, मैं सारण जिले की ....

अध्यक्ष : वह बात हो चुकी है, कोई नई हो तो कहिए ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपदा की घटनायें घटती है, किसी भी मामले में राज्य सरकार के अधिकारीगण आपदा पीड़ित परिवार को एक सप्ताह, एक महीने भर में कोई राहत नहीं देते हैं, वही राहत मिलता है महोदय, जहां गांव के लोग या आबादी तत्काल घटनास्थल पर पहुँच करके ....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री विजय शंकर दूबे : तो महोदय मैं यह जानना चाहता हूँ और सरकार से यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक समय सीमा निर्धारित हो जाय कि कितने दिनों के अन्दर ?

अध्यक्ष : सबसे पहला पूरक यही था, लगता है कि आप उस समय नहीं थे । मंत्री जी, कुछ बता रहे थे ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय,मंत्री : महोदय, मृतक परिवार को जो 4 लाख रू0 के बाद हाथ, पैर, ऑंखों की क्षति होने पर भी अनुग्रह अनुदान का भुगतान होता है । वह होता है जब विकलांगता 40 से 60 प्रतिशत के बीच हो तो उनको 59,000-60,000 रू0 के करीब मिलता है । उसके बाद 2 लाख रू0 प्रति व्यक्ति जब विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो, तब मिलता है, बशर्ते कि सरकारी अस्पताल, डिसपेंसरी के द्वारा विकलांगता की सीमा एवं कारण के प्रमाणिकरण क्या हो । गंभीर चोट

जिसके चलते होस्पीटल में भर्त्ती होना पड़े, उसको 12,700 रू0 एक सप्ताह से अधिक होस्पीटल में भर्त्ती होने पर मिलता है, फिर 4300 रू0 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम होस्पीटल में भर्त्ती होने पर मिलता है । महोदय,.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठिए ।

माननीय मंत्री जी, सदन की भावना एक ही है कि जो सरकार ने नीति बनायी है, उसके हिसाब से पीड़ित परिवार को उसका लाभ मिले । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, जितने प्रश्न उभरकर सामने आये हैं, उसमें दो बातें हैं । एक बात तो यह है कि समय पर भुगतान होना, जो स्वाभाविक रूप से सरकार की भी मंशा रहती है। चूंकि हमारी समझ से जिलास्तर पर इसका डिसिजन या फैसला होता है, इसलिये आप सभी जिला पदाधिकारियों को सरकार की तरफ से अवश्यक निर्देश दें कि जहां अनुमान्य है, दुर्घटनाग्रस्त या पीड़ित परिवार को एक समय सीमा के अन्दर राशि उपलब्ध करा दें, नहीं तो फिर इसका जो असर होता है पीड़ित परिवारों पर, वह फिर उतना नहीं हो पाता है पहली बात । दूसरी बात जो अनुमान्यता के संबंध में अवधेश जी ने या दूसरे माननीय सदस्यों ने भी बातें उठायी हैं कि डूबने की ही बात है तो नहर में डूबना, आहर में डूबना, पोखर में डूबना, इन सब के संबंध में आपका जो सरकुलर है, परिपत्र है, इसमें क्या है कि कहां डूबने से क्या होगा, इसके संबंध में विस्तृत सरकुलर आप सारे माननीय सदस्यों को वितरित करा दीजिए ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, एकल मृत्यु पर नहीं मिलता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वह तो नीतिगत बात है न । इसपर पहले भी कई बार बात हो चुकी है । एक मिनट सुनिए न । एकल मृत्यु का आपलोगों ने भी उठाया है, पहले भी बात उठी है, चूँकि यह एक नीतिगत मामला है । सदन में सामान्य रूप से जहां हमलोग नीति के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है, उसपर चर्चा करते हैं और नीतियों के बदलने का जिक्र करने की, उसपर विमर्श करने की, अलग जगह और अलग समय होता है । इसलिए तारांकित प्रश्न सं0-2321 ।

तारांकित प्रश्न सं0-2321(श्री विजय कुमार मंडल)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2322(श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से विभागीय ज्ञापांक सं0-1608 दिनांक 23.07.2019 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन अप्राप्त है।

2. स्वदेश दर्शन योजना अन्तर्गत बौद्ध परिपथ में उक्त स्थल को शामिल किया गया है । पर्यटन विभाग के सम्प्रति उक्त स्थल का कोई योजना अभी स्वीकृत नहीं है ।

टर्न-4/शंभु/26.07.19

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही उद्योगी है, चूंकि भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर मा0सदस्य श्री सरोज यादव सदन के वेल में आ गये)

अध्यक्ष : अरे आपका मामला देख लेंगे माननीय मंत्री जी, आप अपनी जगह पर जाइये । आप सरोज जी जगह पर जाइये और फिर सुन लीजिए न । आपकी बात इसीलिए नहीं सुनी जाती है कि आप किसी की बात नहीं सुनते हैं और सुनते हैं तो इतना देर विमर्श एक प्रश्न पर- फिर आप बीच में बोल रहे हैं, यही आदत आपकी गड़बड़ है । आपके प्रश्न के महत्व को देखते हुए ही न इसपर इतना देर विमर्श हुआ है नंबर एक और नंबर दो- आपके प्रश्न का जब माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया- आपने तीन सप्लीमेंटरी पूछा है और उसके बाद जब दूसरे सदस्य पूछ रहे हैं, दूसरे को आपने मौका दे दिया तो क्या फिर लौटकर हम आप पर जाएं ? आपके इस प्रश्न से जुड़ा जो मामला है, आप माननीय मंत्री जी को बताइयेगा वे अलग से आपका मामला देख लेंगे ।

(इस अवसर पर मा0सदस्य श्री सरोज यादव अपनी सीट पर चले गये)

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, अति प्राचीन भगवान बुद्ध की सात फीट की मूर्ति घेजन में है जो पर्यटकीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है । हम कई बार माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आग्रह भी किये थे कि उसकी सुरक्षा की जाय । वहां चूंकि चदारदीवारी और उसका विकास नहीं होने के चलते तस्करों के द्वारा उसे अंगभंग कर दिया जाता है । इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि घेजन को पर्यटक स्थल घोषित करते हुए उसे बुद्धा सर्किट से जोड़ा जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-2323(श्री डा0अब्दुल गफूर)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग आपस में क्यों बात करते हैं ? गफूर साहब अपने प्रश्न का उत्तर ही नहीं सुन पा रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, किसानों को पटवन हेतु विद्युत् संबंध देने का कार्य किया जा रहा है जिसमें सहरसा जिलान्तर्गत महिषी, नवहट्टा एवं सत्तर कटैया प्रखंड के कुल आवेदकों का क्रमशः महिषी 152, नवहट्टा में 184 एवं सत्तर कटैया में 482 के विरूद्ध-मतलब इतने आवेदन आये हैं इसके विरूद्ध- महिषी में 02, नवहट्टा में 39 और सत्तर कटैया में 169 कृषि विद्युत् संबंध दिया जा चुका है । शेष आवेदकों को विद्युत् संबंध देने का कार्य प्रगति पर है जिसका लक्ष्य दिसम्बर, 2019 तक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2324(श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : महोदय, इसे नगर विकास विभाग को स्थानान्तरित किया गया है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2325(श्रीमती सावित्री देवी)

(मा0स0 द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-2326(श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

(मा0सदस्य मो0 नेमतुल्लाह अधिकृत)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1-स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । मौजा सतवार के राजस्व अभिलेख में ठाकुर जी, शिवजी के नाम से जमाबन्दी सं0-369 कायम है। जिसमें कुल रकबा 69 डि0 है । साथ ही मौजा सतवार थाना नं0-101 में ठाकुर जी, गोपालजी मंदिर के नाम से 4 बीघा 7 कट्ठा की जमाबन्दी कायम है। जिसकी जमाबन्दी सं0-218 है ।

3- मंदिर निबंधित नहीं है, निबंधित नहीं रहने के कारण प्रबंध कमिटी भी वहां नहीं है । मंदिर के निबंधन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार परिषद् में माननीय अध्यक्ष, प्रशासक में निहित है । वर्तमान में अध्यक्ष, प्रशासक का पद रिक्त है । अध्यक्ष की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । नियुक्ति होने के उपरांत प्रबंधन तथा भूमि कथित अतिक्रमण के संबंध में यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, इनके प्रशासक का गठन तो 2014 से नहीं हुआ है और कब करेंगे पता नहीं । जब एप्वाइंट करेंगे तभी रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन बाकी जो जमीन इनक्रोच किये हैं उसको तो मुक्त करा दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उसको देखवा लीजिए । वह रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई तो अलग है वह तो सुविधा लेने के लिए- पता नहीं वहां से रजिस्ट्रेशन का आवेदन आया है, चूंकि ये अपने मन से नहीं कर सकते हैं ।

मो0 नेमतुल्लाह : न इनका प्रशासक है न बोर्ड गठित किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रशासक है या नहीं है वह तो दूसरे चरण की बात है न......

मो0नेमतुल्लाह : 2014 से इनका प्रशासक नहीं है और न बोर्ड गठित हो रहा है । महोदय, पूरे बिहार की बात है जब न्यास बोर्ड से मंदिर का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है तो.

अध्यक्ष : मंदिर अतिक्रमण मुक्ति की बात है जिसका प्रशासक से कोई लेनादेना नहीं है । उसको मंत्री जी डायरेक्शन दे दीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-2327(श्री सुनील कुमार)

(मा0स0 द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-2328(श्रीमती रेखा देवी)

(मा0स0 द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-2329(श्री नौशाद आलम)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई स्थित खानकाह रहपानपुर को सूफी सर्किट में जोड़ने हेतु चिन्हित किया गया है । खानकाह रहपानपुर से संबंधित ख्वाजा शाहपुर आलम मुतवल्ली नाजिम खानकाह है, लितिफिया रहपानपुर तकिया शरीफ अंचल बारसोई से संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सूफी सर्किट में जोड़ने पर विचार किया जा सकता है ।

श्री नौशाद आलम : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कब तक सत्यापन प्रतिवेदन का मांग किया जायेगा ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : सर, सूफी सर्किट में शामिल करने के लिए हमलोगों ने पत्र भी लिखा है कि इसको सूफी सर्किट में शामिल कर लेते हैं ।

श्री नौशाद आलम : सर, यह बहुत दिन का मामला है, लेकिन आज तक नहीं हुआ है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2330(श्रीमती आशा देवी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, नाबार्ड फेज-8 के अन्तर्गत निर्मित एवं डीजल संचालित कुल 1574 अदद राजकीय नलकूपों के उर्जान्वयन कार्य हेतु 2013-14 में रू0

92 करोड़ 23 लाख की स्वीकृति दिनांक 21.01.2014 को दी गयी थी । योजना अन्तर्गत 1574 नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना था जिसमें से 99 नलकूप विभिन्न कारणों यथा नदी के कटाव में बहने, शहरीकरण, नलकूप पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त होने, लघु सिंचाई विभाग द्वारा स्वयं ही नलकूपों का ऊर्जान्वित किये जाने के कारण ऐसे नलकूपों को ऊर्जान्वित करना संभव नहीं होने की जानकारी लघु सिंचाई विभाग को दी गयी ।

क्रमशः

टर्न-5/ज्योति/26-07-2019

क्रमशः

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसमें से 27 नलकूपों को उर्जान्वित नहीं करने की सहमति लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त हो गयी है शेष 72 नलकूप पर सूचना अप्राप्त है इसप्रकार शेष 1475 अदद नलकूपों में से 1449 राजकीय नलकूपों को उर्जान्वित किया गया है तथा शेष 26 नलकूपों के उर्जान्वयन का कार्य प्रगति पर है कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य अक्टूबर, 2019 है ।

श्रीमती आशा देवी : अध्यक्ष महोदय, नलकूप के बारे में माननीय मंत्री जी बतला रहे हैं जबकि हमने दानापुर के वार्ड नं0 8 से लेकर 16 तक पोल लग गया है तार अभी तक नहीं टंगा है एक साल से ऊपर हो गया है ।

अध्यक्ष : अक्टूबर, 2019 तक यह सब काम हो जायेगा, मंत्री जी बताये हैं ।

श्रीमती आशा देवी : महोदय, जी, अक्टूबर आने में समय नहीं है, हम उसका इंतजार करेंगे । धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2331 श्री नीरज कुमार

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है । माननीय स0वि0स0 श्री नीरज कुमार द्वारा दिनॉक 19-06-19 को कटिहार जिलान्तर्गत कोदरकट्टा तीन धरिया गंगा नदी में पारिचालन हेतु बड़ी नाव जिसका साईज लम्बाई 45 फीट, चौड़ाई 8 फीट एवं ऊचाई 8 फीट तथा सखुआ की लकड़ी का बना हुआ नाव क्रय करने की अनुशंसा की गयी है ।

2. आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रोंक 2386 दिनॉक 15-05-18 द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत नाव क्रय करने हेतु मार्ग निर्देश निर्गत है । इसके विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार द्वारा अपने

पत्रोंक 396 दिनॉक 19-6-19 एवं पत्रांक 449 दिनांक 11-7-19 से माननीय स0विस0 के नाव क्रय करने हेतु दी गयी विशिष्ट एवं माप दंड के अनुसार नाव क्रय हेतु दर उपलब्ध कराने हेतु अपर समाहर्ता, जिला आपदा प्रबंधन शाखा कटिहार से अनुरोध किया गया है । अपर समाहर्ता, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, कटिहार द्वरा अपने पत्रांक 641 दिनांक 19-7-19 द्वारा सूचित किया गया कि माननीय स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित विशिष्ट एवं माप दंड के अनुरुप नाव के क्रय हेतु निविदा जिला आपदा प्रबंधन शाखा, कटिहार द्वारा नहीं की गयी है अत: उक्त विशिष्ट के नाव क्रय हेतु दर उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबंधन शाखा नाव क्रय हेतु जिला स्तर पर नोड्ल कार्यालय है जिसके द्वारा नाव का आकार विशिष्ट एवं दर का निर्धारण किया जाता है । एतद् स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन शाखा, कटिहार से माननीय सदस्य द्वारा अनुशंसित विशिष्ट के अनुरुप नाव का दर उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरुप नाव का क्रय संभव नहीं हो सका है ।

3- उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री नीरज कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आखिर यह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास में माननीय सदस्य अनुशंसा कर सकते हैं कि नहीं, यह तो लटर पटर जवाब है । यह हाल है इस योजना की । बड़ा गलत जवाब है । एक तरफ बाढ़ में लोग कराह रहे हैं और हमलोग नाव देना चाहते हैं, नाव का प्रावधान है और इसतरह से टाला जा रहा है, फुट बौल बनाया जा रहा है विषय को, महोदय, यह ठीक नहीं है । इसपर आसन का संरक्षण चाहिए हुजूर । यह ठीक बात नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, प्रश्नकर्ता का पूरक सही है । सबसे तो पहले यह सूचित कर दीजिये कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत नाव की आपूर्ति या क्रय किया जा सकता है कि नहीं ? और अगर किया जा सकता है तब अगर विशिष्टता कुछ इन्होंने उसमें वर्णित की है तो वह वाजिब है । एक ढंग का नाव होना चाहिए और इसतरह की बात है तो उसका एक मोड्ल एस्टीमेट या जो निविदा करने का तरीका है वो भी निर्धारित हो जाना चाहिए । जब अगर प्रावधान है तो उसके क्रियान्वयन का भी तो तरीका बन जाना चाहिए न ?

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चूँकि एक करोड़ चार लाख की राशि का था उसमें एस्टीमेट तो राशि की लिमिटेशन है जितनी राशि तक यहॉ डी.एम. तक होगा, डी.पी.ओ. तक होगा, उसके बाद कमीशनर तक होगा और यदि 1 करोड़ से ऊपर राशि होगी तो फिर यहॉ पटना आना पड़ता है इसलिए राशि की ज्यादा

उपलब्धता के कारण विलम्ब हुआ है यदि माननीय सदस्य छोटा नाव यदि चाहेंगे कम राशि वाला तो तुरत उपलब्ध हो जायेगा एक हफ्ता के अंदर ।

श्री नीरज कुमार : अध्यक्ष महोदय, गंगा पर नाव चलेगा तो छोटा नाव कैसे हम दे देंगे ।

अध्यक्ष : उसमें मंत्री जी स्वीकृति की प्रक्रिया में चाहे किसी स्तर से होनी हो उसको तो आप तेजी ला ही सकते हैं न ? वह तो तुरत मंगा कर सैंक्शन कर दीजिये और चूंकि नाव जब माननीय विधायक अपने क्षेत्र में देना चाहते हैं और सही बात है कि सरकार के लिए भी अगर बड़ी नाव बनती है तो वही वांछनीय भी है । नहीं तो अगर छोटी नाव बनेगी हमेशा हादसा, दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है ।

श्री नीरज कुमार : गंगा पर है हुजूर ।

अध्यक्ष : उसमें नदी गंगा है तो प्रक्रिया आप तुरत देखवाकर जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान करें । जिसको भी सैंक्शन देना है विभाग में देना है आप मंगा कर इसको तुरत करवा दीजिये ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : ठीक है ।

श्री फराज फातमी : अध्यक्ष महोदय, बिहार में चारों तरफ फ्लड की सिचयुएशन है जो बहुत बड़ी समस्या है लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि बोट की उपलब्धता कहीं भी किसी भी जिला में नहीं है ।

अध्यक्ष : अपने निधि से बनवाना चाहते हैं बात उसकी है ?

श्री फराज फातमी : बनवाना चाहते हैं एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिला में एक्सेस बोट नहीं होने की वजह से कई घटनाएं हो चुकी है, मौतें हो चुकी हैं ।

श्री शकील अहमद खां : महोदय, आपके कहने के बावजूद भी मंत्री महोदय जी हमलोगों को यह जवाब स्पष्ट दें जो पैसे हमलोगों को मिले हैं उनका इस्तेमाल करना है हमको उसमें इतना घुमाईयेगा कैन यू बिलीभ ...

अध्यक्ष : वह बात तो हो गयी ।

श्री शकील अहमद : नहीं नहीं , उनको जवाब देना होगा कि अभी कितने दिनों में करवा देंगे।

अध्यक्ष : वह जवाब दे चुके हैं और हमने उनको बता भी दिया है, उन्होंने कहा है कि उसकी ताकीद की जायेगी ।

श्री शकील अहमद खां : महोदय, आप इमैजिन नहीं कीजियेगा हमारे जिले में तीन साल से मैं एम्बुलेंस के लिए तीन बार लिख चुका हूँ और यह सूरतेहाल है हमारे जिले में , योजना के पैसों का आप इमैजिन नहीं कर सकते हैं कि क्या हालत है वहाँ तो पदाधिकारियों की वजह से अगर देरी होती है तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए ।

श्री भोला यादव, : महोदय, मैं भी 6 नाव खरीदने के लिए अनुशंसा किया हूं । आज पिछले एक माह से यह मामला चल रहा है, जिसका टेण्डर निकाला जायेगा, यह किया जायेगा, वह किया जायेगा, लेकिन जब बाढ़ चली ही जायेगी तो टेण्डर निकाल कर क्या करेंगे ?

अध्यक्ष : बाढ़ चली नहीं जाय इसके लिए बाढ़ अवधि से काफी पहले आपको भी लिख कर देना होगा ।

श्री भोला यादव : एक महीना पहले लेटर लिख कर दिए । कोटेशन मंगाकर, माननीय मंत्री जी इसको करवा दीजिये ।

अध्यक्ष : वह करवा देंगे । आप सही कह रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, हालांकि कि आपने सरकार को स्पष्ट निर्देश आसन से दिया है । यह योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से संबंधित है और माननीय विधायकगण जो हैं अपने अपने क्षेत्र की जो सरकार के द्वारा निर्धारित क्रायटेरिया है उसके तहत जो ये अनुशंसा करते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यही इतना जानना चाहता हूँ कि जब माननीय सदस्य ने अनुशंसा की और जो निर्धारित क्रायटेरिया है, उस क्रायटेरिया के तहत इनकी अनुशंसा है या नहीं है तो इन्होंने माननीय सदस्य को क्या बताया ?

श्री गुलाब यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इससे जुड़ा हुआ है प्रश्न है । हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पानी आता है कमला में, हम चाह रहे हैं कि नाव के साथ मोटर का भी बंदोवस्त करेंगे तब ही बचाव हो सकता है ।

अध्यक्ष : योजना विकास मंत्री हैं, वह आपके विधायक क्षेत्र निधि से संबंधित जवाब दे सकते हैं, आप उनसे मोटर बोट मांग रहे हैं कहाॅ से उसको वह दे देंगे ?

श्री गुलाब यादव : यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जो समस्या है चूंकि मैं भी पहले विधायक हूँ उसके बाद मंत्री हूं । मैं जानता हूँ कि समस्यायें कितनी है ।

अध्यक्ष : आपके क्षेत्र में भी बाढ़ आती है वह भी बतला दीजिये ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : हमारे क्षेत्र में ही नहीं दोनों जिला में समस्तीपुर और दरभंगा में बाढ़ आती है मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि शीघ्र समीक्षा कर जो लम्बी प्रक्रिया है, उसको हम सौल्व करके जल्द से जल्द किस तरह से काम हो ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी एक बात और, यह बात जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, फराज जी भी बोल रहे थे कि आज कल यह सही है कि नावों की कमी होते जा रही है । पहले गांव घर में भी नाव उपलब्ध हो जाता था और यह एक

अच्छी शुरुआत और पहल है कि माननीय विधायकगण विधायक क्षेत्र निधि से नावों का निर्माण कराना चाहते हैं ।

क्रमशः

टर्न-6/बिपिन/26.7.19

अध्यक्ष : क्रमशः... और इसके लिए आप निश्चित रूप से समीक्षा करके एक उसकी जो विशिष्टि होती है, स्पेसिफिकेशन होता है कि इतने बड़े नाव का क्या इस्टिमेट होगा, क्या प्राक्कलन होगा, उसमें भी दो-तीन कैटेगरी निश्चित रूप से फिक्स कर दें नदी के हिसाब से क्योंकि छोटी नदियों में तो छोटी नावें चल सकती हैं, अब गंगा में छोटी डेंगी तो चलेगी नहीं । हमेशा हादसे की गुंजाइश होगी । इसलिए इसके संबंध में स्पष्ट रूप से अपने स्तर पर समीक्षा करके नावों को प्रोक्योर करने के लिए, नाव इसके तहत आपूर्त्ति लेने के लिए उसको आप देख लीजिए ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 2332 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

(व्यवधान)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि शम्भूयक पंचायत अंतर्गत खोखरा में स्वास्थ्य उपकेंद्र नवसृजित है परंतु भूमि के अभाव में इसका संचालन स्वास्थ्य उपकेंद्र सेमरा से किया जा रहा है । यहां एक ए.एन.एम. श्रीमती मंजू कुमारी के द्वारा टीकाकरण एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है । स्वास्थ्य उपकेंद्र खोखरा के भवन निर्माण हेतु समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । भूमि प्राप्त होने पर विहित प्रक्रियानुसार भवन का निर्माण कराया जाएगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि वहां पहले से स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वह जर्जर हो गया है । वह एक तरह से डिमोलिश हो गया है । उस जगह पर नया स्वस्थ्य उपकेंद्र भवन बनाने का है । सेमरा की दूरी और खोखरा की दूरी में 12 कि.मी. का अंतर है । 12कि.मी. दूर से कोई स्वास्थ्य कर्मी आकर स्वास्थ्य केंद्र में सेवा देगा ? मेरा सवाल भी देख लिया जाए महोदय । वहां पहले से स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना हुआ है । वहीं पर हम भवन बनाने के लिए कह रहे हैं । नवसृजित तो नहीं है, वह पहले से चल रहा है । बहुत वर्षों से वह चल रहा है तो इस विषय में माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे ?

कितने दिनों के अंदर स्वास्थ्य भवन बना देंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री जी, देख लीजिएगा ।

(व्यवधान)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: डी.एम से उसको देखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 2333(श्री सुरेन्द्र कुमार)

(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के पर्यटन स्थल के विकसित करने हेतु निर्माणाधीन पर्यटन सर्किट में कटरा प्रखंड अंतर्गत चामुंडा स्थान पुराने शक्तिपीठ को सम्मिलित किया गया है।

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, कटरा प्रखंड अंतर्गत मां चामुंडा स्थान बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और शक्ति पीठ की सूची में उनकी स्थान आती है । कई बार हम सदन में इस प्रश्न को डाल चुके हैं और प्रश्न का उत्तर भी आता है लेकिन कार्य कब होगा, मंत्री जी से आग्रह है आपके माध्यम से, जानना चाहते हैं कि कार्य कब होगा, उसका डेवलपमेंट कब होगा, उसपर तो कुछ बात बतावें।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि पर्यटन रोड मैप जो बना है उसमें पुराने चामुंडा स्थान शक्तिपीठ को सम्मिलित किया गया है ।

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, उसका डी.पी.आर. भी बन चुका है लेकिन उसमें कार्य कब शुरू होगा, इसका लोगों को चाहत है वहां । पूरे बिहार भर से लोग वहां आते हैं।

अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हम दिखवा लेते हैं । बहुत जल्द इसमें काम प्रारंभ होगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 2334 (श्री भोला यादव)

श्री भोला यादव : नहीं पूछेंगे महोदय ।

अध्यक्ष : नहीं पूछेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 2335 (श्री सिद्धार्थ)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पड़रिआमा में स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत नहीं है । जिला संचालन समिति से

स्वीकृत होने के उपरांत स्वास्थ्य उपकेंद्र पड़रियामा में प्रश्नगत स्थल पर नए भवन के निर्माण का निर्णय विहित प्रक्रियानुसार किया जाएगा । सिविल सर्जन, पटना को जिला संचालन समिति से स्वीकृत कराते हुए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री सिद्धार्थ : साढ़े चार साल पहले, अध्यक्ष महोदय, इसपर प्रस्ताव दिया जा चुका है । कितने बार प्रस्ताव मंगाएंगे ? अगर यही स्थिति रहा तो कभी भी ग्रामीण बिहार में अस्पतालों का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा । प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ है कि यही सिविल सर्जन के द्वारा साढ़े चार साल पहले इसका प्रस्ताव दिया जा चुका है । तो दुबारा प्रस्ताव का क्या कारण है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कह रहे हैं कि प्रस्ताव आया है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, वह पत्र मेरे पास जिला स्वास्थ्य समिति, पटना का है जिसमें सी. एस. ने पत्र लिखा है और उसमें उल्लेखित है कि विभाग को स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्वीकृति एवं निर्माण हेतु अधोस्ताक्षरी द्वारा पत्राचार किया गया है, स्पष्टता इसमें नहीं है, स्पष्टता रहे, इस संदर्भ में उनको निर्देश दिया गया है और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सिविल सर्जन से यथाशीघ्र उस प्रस्ताव को मंगाकर वहां उस काम को कराया जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : व्यवस्था क्यों तोड़ रहे हैं ?

<u>तारांकित प्रश्न सं0: 2336 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह)</u>

अध्यक्ष : श्री मनोहर प्रसाद सिंह का प्रश्न श्री सुबोध राय पूछेंगे ।

श्री सुबोध राय : पूछता हूं ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदनानुसार स्वर्गीय दयाल चौधरी, पिता-स्व0 दीपन चौधरी के आश्रित को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अनुग्रह अनुदान राशि 4,00,000/- चार लाख रूपए का भुगतान कर दिया गया है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 2337 (श्रीमती लेशी सिंह)</u>

(अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2338 (श्री रामदेव राय)</u>

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- जिला योजना पदाधिकारी, बेगुसराय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के सी.डब्लू.जे.सी. नं0-494/2017 एवं एम.जे.सी. नं0- 1518/2017 में पारित न्यायादेश के आलोक में वर्णित योजना के निजी जमीन में बने भाग को तोड़ने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा ज्ञापांक 1769 दिनांक 6.9.18 से आदेश दिया गया । इस आलोक में प्रश्नाधीन योजना के निजी जमीन में बना भाग को तोड़ा गया है । जिला योजना पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा सूचित किया गया है कि सामुदायिक भवन के आंशिक भाग को तोड़ने की जानकरी माननीय स0वि0स0 को थी । सामुदायिक भवन के अतिक्रमित भाग को हटाते समय माननीय सदस्य के प्रतिनिधि एवं संबंधित क्षेत्र के मुखिया उपस्थिति थे । जिला योजना पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक- 660 दिनांक 27.9.2018 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन-1 बेगुसराय को प्रश्नाधीन योजना के टूटे-फूटे अनधिकृत भाग को तोड़ कर छत सिलिंग को बचाने हेतु संबंधित संवेदक के माध्यम से अतिरिक्त पीलर, बीम का निर्माण उक्त भवन में यथाशीघ्र कराने का कार्य करने का निर्देश दिया गया है ।

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें एन.ओ.सी. दिया गया था कि नहीं, वहां के अंचलाधिकारी द्वारा नापी कर एन.ओ.सी. दिया गया था कि नहीं ? एक बात ।

दूसरी बात, आपने अपने जवाब में कहा कि वहां उस समय माननीय सदस्य भी उपस्थित थे, सरासर झूठ है । आप स्वयं जांच कर लीजिए या हाउस की कमिटी बना दीजिए । हाईकोर्ट में चुपचाप मुकदमा करवा कर इसको गुप्त रूप से तोड़ा गया है और बना हुआ मकान धवस्त हो गया है । न सरकार को हाईकोर्ट को कहने का मौका दिया, न विधायक को कहने का मौका दिया, न संवेदक को कहने का मौका दिया । हाईकोर्ट में तो सबको पार्टी बनाया जाता है न ! लेकिन यह कैसा मुकदमा है कि एक ही पक्ष को, एक जिला पदाधिकारी को पक्ष बनाकर और पूरे मकान को तोड़ दिया जबकि दो-दो बार नापी हुई । अंचलाधिकारी का एन.ओ.सी. दिया हुआ है । एक छोटा-सा भी अंश उसमें भू-धारी का नहीं है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं आसन के माध्यम से कि या तो सदन की कमिटी बना दिया जाए या स्वयं

माननीय मंत्री जी चल कर देख लीजिए कि विधायकों के साथ क्या जुल्म हो रहा है ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना है, आंशिक रूप से एक भाग पड़ा था प्राइवेट जमीन में, निजी जमीन में ...

अध्यक्ष : मंत्री जी, किसी वरीय अधिकारी से इसकी जांच करवा लीजिए ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: जी सर । पुन: जांच करवा लेते हैं वरीय पदाधिकारी से ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, जरा प्रोटेक्शन दीजिए । जांच के समय मुझको रहना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, जांच के समय माननीय सदस्य भी रहेंगे ।

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं ।

टर्न : 07/कृष्ण/26.07.2019

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 जुलाई, 2019 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन की सूचना प्राप्त हुयी हैं :-

श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री सरोज यादव, श्री प्रह्लाद यादव, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री मो0 नवाज आलम, श्री कुमार कृष्ण मोहन।

आज सदन में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं, जिसमें गैर-सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) एवं 19(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री समीर कुमार महासेठ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शून्यकाल पढ़िये । हो गया कार्यस्थगन पर बात कह दी ।

(राजद के कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय,यहां आयी भीषण बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिये...

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर भाकपा(माले) के माननीय सदस्य श्री महबूब आलम और श्री सुदामा प्रसाद अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य महबूब जी, आपको सत्र के अंतिम दिन शिक्षा नीति कैसे याद आ गयी ? आप बैठ जाईये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, बाढ़ की स्थिति भयावह है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब शून्यकाल होने दीजिये । आज अंतिम दिन है ।

(व्यवधान जारी)

विशेष वाद-विवाद ? अब शून्यकाल होने दीजिये ।

(व्यवधान जारी)

हो गया ? अब शून्यकाल चलने दीजिये वरना सभी सदस्यों के शून्यकाल और ध्यानाकर्षण रखे रह जायेंगे । आप ही लोगों का है । आपने अपनी बात कह दी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : एक घंटा का बहस करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ को शून्यकाल पढ़ने दीजिये न ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर भाकपामाले के माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम एवं श्री सुदामा प्रसाद वेल में आकर बोलने लगे)

अध्यक्ष : आप अभी पहले अपने-अपने स्थान पर चले जाईये । फिर बातें होगी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सर, एक घंटा की चर्चा करा दीजिये । बाढ़ और सुखाड़ की वजह से लोगों की हालत खराब है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : देखिये, आज 41 माननीय सदस्यों ने शून्यकाल दिया है और आसन चाहता है कि उसमें से अधिकांश सदस्य चूंकि आज यहां पर उपस्थित हैं, आज अंतिम दिन है, इसलिए सभी माननीय सदस्यों का शून्यकाल हो जाय । अगर आपलोगों की इच्छा है कि शून्यकाल नहीं हो, ध्यानाकर्षण नहीं हो, यही आपकी इच्छा है तो फिर ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आप अपनी जगह पर जाईये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अपनी जगह पर जायेंगे तब ही हम बतायेंगे शिक्षा नीति पर ।

अध्यक्ष : अपनी-अपनी जगह पर जाईये ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : पहले अपनी जगह पर जायें । आप जगह पर जाकर बैठिये पहले।

(इस अवसर पर भाकपामाले के माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम एवं श्री सुदामा प्रसाद अपने-अपने स्थान पर चले गये)

अध्यक्ष : देखिये, बड़े अनुशासित हैं और वह पर्चा आप मोड़कर पॉकेट में रख लीजिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सर, बाढ़ और सुखाड़ पर भी ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा नीति, 2019 केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है और केन्द्र सरकार ने राज्यों से भी उसपर अपना सुझाव मांगा है । हमने एक पत्र लिखा है केन्द्र को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अभी इस महीने के अंत तक भी हम अपना जवाब, हमलोग अपना सुझाव नहीं दे पायेंगे चूंकि हमारे बिहार में बहुत बड़ा इलाका, पूरा का पूरा इलाका फ्लड इफेक्टेड है । हमारे यहां ड्रॉट की भी संभावना है । अभी सब का ध्यान वहां केन्द्रित है । इसके लिये कुछ वक्त

चाहिए । तो राज्य सरकार अपनी तरफ से शिक्षा नीति का जो प्रस्ताव है, उस पर अपना प्रस्ताव रखेगी, अपना विचार भेजेगी । इसलिए अभी कुछ ऐसा नहीं है कि शिक्षा नीति बन गयी है या केन्द्र सरकार ने शिक्षा नीति घोषित कर दिया है। प्रस्ताव है । उसपर सब का ओपीनियन जाना है । हमलोगों ने ओपीनियन के लिये थोड़ा और वक्त बढ़ाने की मांग की है और कहा है इतना हम आपको बता देते हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री ललित कुमार यादव : बाढ़ और सुखाड़ पर ....

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : बाढ़ पर तो ..

अध्यक्ष : बैठिये न । बोल रहे हैं न ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : जब भी कोई ।

अध्यक्ष : अब तो बैठ जाईये आप । आपको जो सुझाव देना होगा, सरकार के पास दे दीजियेगा ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : आपके मन में यदि कोई सुझाव है तो वह हमलोगों को भी दीजिये ताकि हमलोग उसपर भी गौर करेंगे और बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा नीति पर जो अपना विचार और सुझाव जायेगा, उसको करेंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : धन्यवाद की कोई बात नहीं । आप बैठ जाईये ।

(व्यवधान जारी)

बैठिये । आप क्यों टोक देते हैं ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय ।

(इस अवसर पर भाकपा माले के माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

अध्यक्ष : महबूब जी, धन्यवाद देने के बाद कहीं आदमी नारा लगाता है ? अब आप बैठ जाईये । आप बोलिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : माननीय अध्यक्ष जी । चूंकि हमारे दल के जिन माननीय सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था उसपर हालांकि आपका नियमन हो गया है, उस पर हम नहीं बोल रहे हैं । मगर इतना जरूर बोलेंगे महोदय, कि आज वित्तीय कार्य नहीं थे, गैर सरकारी सदस्यों का था और चूंकि अभी जो बिहार की स्थिति है, बिहार में अभी बाढ़ कम नहीं हुआ है, बाढ़ आनेवाली भी है तो बिहार की

स्थिति यह है कि एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ सुखाड़ है । आज चूंकि अंतिम दिन है चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं तो राज्य सरकार ने बाढ़ में क्या-क्या उपाय किये हैं, क्या-क्या व्यवस्था किये हैं सुखाड़ के लिये क्या व्यवस्था किये हैं और चूंकि यह सदन इस वजह से भी जानना चाहता है कि राज्य सरकार तो अपना पैर उतना ही फैलायेगी जितनी बड़ी चादर होगी । तो हमलोगों ने यह अपेक्षा की थी कि जो बिहार की बाढ़ की स्थिति है इसके बारे में केन्द्र सरकार ने अब तक किस तरह की सुध भी नहीं ली तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर यह बतायें कि केन्द्र सरकार ने सुध ली या नहीं ली, केन्द्र सरकार को इन्होंने मदद के लिये आग्रह किया या नहीं किया और आग्रह नहीं भी किया तो भी प्रधान मंत्री को और यहां के मंत्रियों को इसका कॉगनीजेंस लेना चाहिए इस वजह से यह बिहार का सवाल है, यह बात हम रख रहे हैं महोदय।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है और हमलोग एक बार 13 जुलाई, 2019 को दोनों सदनों के सभी दलों के काफी संख्या में माननीय सदस्य बैठै थे और जो सूखे की स्थिति हो सकती है, जो पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, जो पूरी परिस्थिति है उन पर चर्चा हमलोगों ने की । सबलोगों ने अपना-अपना सुझाव दिया, लिखित रूप में भी सुझाव दिया और उसके आधार पर हमलोगों ने जो बातचीत की, वहां पर सारी बातें वहां पर रखी और हमने यह भी सजेस्ट किया कि “जल, जीवन और हरियाली” अभियान हमलोग चलायेंगे, उसके लिये जितने विचार आये हैं उनको ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार की तरफ से एक उच्च स्तरीय टीम उसपर पूरा विचार करके प्रस्ताव लायेगी और जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई जिस दिन हमलोग बैठक कर रहे थे, उसी दिन बाढ़ की स्थिति बहुत ही खराब आने लगी और उसके कई जगहों पर तो हम खुद भी देखे हैं, हमने जिला पदाधिकारियों को दिखवाया है ताकि कोई भी इलाका उपेक्षित न रहे ।

क्रमश :

टर्न-8/अंजनी/26.07.2019

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्रमशः ... एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा शुरू से यह दृष्टिकोण है, जबतक एरियल सर्वे करके आप नहीं देखियेगा, तबतक पूरे इलाके के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी । तो हम मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव या जो हमारे जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और दूसरे अधिकारी हैं, उन सब लोगों को लेकर हम घूम-घूमकर एक-एक जगह की स्थिति को देख लेते हैं और उसके बाद जिला पदाधिकारियों और रोड वालों को सबको हेलिकॉप्टर से घुमाकर हर जिले की स्थिति का आकलन हम ठीक से करवाते हैं और उसके बाद, ताकि कोई एरिया उपेक्षित नहीं रहे । इसके अलावे हमलोगों ने वहां पर बाढ़ के लिए राहत देना प्रारंभ किया है । चाहे उसके लिए कम्युनिटी सेंटर बनाना पड़े, जिनके घर में पानी चला गया, वहां रह नहीं सकते हैं, उनको लाकर के नाव से हर प्रकार से और उनको कम्युनिटी सेंटर चलाना, अनेक कम्युनिटी सेंटर चल रहे हैं, जिसके बारे में वक्तव्य दे दिया है पिछले सप्ताह ही और उसके अलावे कम्युनिटी किचेन, मान लीजिए कि कोई रहना नहीं चाहते हैं लेकिन कम्युनिटी किचेन, इसका भी इन्तजाम, अभी जो हम उस दिन गये, जब हम आपके गांव में, माननीय सिद्दिकी साहेब के गांव में जाने का मौका मिला, हमने सीतामढ़ी की स्थिति उसके पहले देखी थी और तब हमने वहीं डायरेक्शन दिया कि मेरी समझ से और दूसरे लोग जन-प्रतिनिधि बता रहे हैं, उसके हिसाब से हमको यह लग रहा है कि कुछ गांव तक एप्रोच आप नहीं कर पा रहे हो, वैसी स्थिति में जो शुरू से आप जानते हैं हेलिकॉप्टर से ही हम फूड पॉकेट उनलोगों को उपलब्ध कराते हैं । यह भी काम चल रहा है और इसके अलावे पूरा-का-पूरा एसेसमेंट जितने परिवार प्रभावित हैं, उनकी सूची बनाकर उनको ग्रेच्यूटस रिलीफ 6 हजार रूपया उनके एकाउंट में हम सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो यह सब काम हमलोगों का चल रहा है और इसके बाद जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, उनके लिए अगर सड़क टूटा है, पुल पर नुकसान पहुंचा है या जल संसाधन विभाग के जितने बांध वगैरह टूटे हैं, उन सबों पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम होगा, इसके अलावे फसल की बर्बादी हुई है तो उसके लिए हम लोग देंगे । दो-दो स्कीम हमारा इनपुट सबसिडी है, फसल सहायता योजना है, अगर किसी का घर टूट गया, उसको घर बनाने के लिए भी पैसा देने का एस0ओ0पी0 बना हुआ है, उस हिसाब से काम हमलोगों ने प्रारम्भ कर दिया है, जिस काम में जो कुछ भी है । मुझको ऐसा

लगता है कि जुलाई महीने की बात, भई आमतौर पर अगस्त महीने में और कभी-कभी सितम्बर महीने में हुआ है, एक बार तो खैर अक्टूबर में ही आ गया था शुरू के दिनों में, यह अलग बात है, कोई जानता नहीं है । लेकिन अभी जो हमारे बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, उसपर खतरा तो पूरे इस बरसात के सीजन में बना रह सकता है, इसलिए उसपर भी हमलोगों की नजर है और एक-एक चीज के लिए जो कर सकते हैं, हमलोग कर रहे हैं सबके सहयोग से।

(व्यवधान)

अपना तो हम कर रहे हैं, बैठे-बैठे काहे को बोल रहे हैं । सुन तो लीजिए न । आप कैसे समझे कि इसके बाद हम नहीं बोलने वाले हैं । आपको काहे लगा । जब अपने यहां काम हो रहा है, उसकी जानकारी देकर के हमने स्टेटमेंट भी यहां पर दिया है दोनों सदनों में, तो वह सब काम हो रहा है और यह तो विस्तारित होगा । क्योंकि उस समय का जो आकलन था, उससे ज्यादा लोग प्रभावित हैं और प्रभावित हो सकते हैं और तुरंत ये जो दुष्प्रभाव है, यह समाप्त होनेवाला नहीं है । यह हम सब लोगों को मानकर चलना चाहिए, इसलिए सबको कांसस रहना है । अपनी तरफ से सारा काम कर रहे हैं । आपने केन्द्र सरकार की बात कही - तो उसका एक नियम है, हमने दो चीज केन्द्र सरकार से सहयोग मांगा । आप तो जानते हैं कि एन0डी0आर0एफ0 पहले ही, जब कोशी की ट्रेजडी हुई थी तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को हमने कहा था कि एन0डी0आर0एफ0 का सेंटर यहां बनाइए, बन गया तो उसकी कई टीम है, वह तो पहले से लग जाती है, उनको जगह-जगह कर देते हैं लेकिन उसमें से लगा नहीं तो हमलोगों ने केन्द्र सरकार से और एन0डी0आर0एफ0 की टीम मांगी तो कुछ अतिरिक्त एन0डी0आर0एफ0 की टीम आयी और फिर जो हेलिकॉप्टर से हमलोग फूड पैकेट देते हैं, पहुंचाते हैं लोगों को, उसके लिए भी केन्द्र सरकार से हेलिकॉप्टर मांगते हैं, यह भी मांगा है लेकिन जो पूरा आपदा से प्रभावित इलाके के लोगों को राहत देने के लिए धन राशि की जरूरत है, अभी सारा काम हमलोग अपनी तरफ से कर रहे हैं लेकिन केन्द्र सरकार को इसके लिए एक जाता है मेमोरेंडम तो वह मेमोरेंडम की तैयारी हो रही है, केन्द्र सरकार को मेमोरेंडम जायेगा और उसपर केन्द्र सरकार की तरफ से उनकी एक टीम आती है उसका आकलन करने के लिए और उसके बाद वह डिसाइड करते हैं कि वह कितना अतिरिक्त समर्थन देंगे । यह तो आगे की चीज है । हम तो अभी जो कुछ भी काम है राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं । आप भूल

गये, 2017 में जो फ्लैश फ्लड आया तो हमलोगों ने मेमोरेंडम नहीं भेजा ? भेजा । लेकिन वहां तो केन्द्र सरकार जो सहयोग दे पाती है, वह देती है । लेकिन आप समझ लीजिए कि अकेले जी0आर0 के मद में ग्रेच्यूटस रिलीफ में प्रति परिवार 6 हजार रूपया, जिसमें 3 हजार रूपया है अनाज के लिए और 3 हजार रूपया में दो हिस्सा है, अगर उनका बर्तन बर्बाद हो गया है तो उसके लिए, उनके घर के कपड़े बर्बाद हो गया उसके लिए तो 3-3 हजार यानी 6 हजार रूपया हमलोग देते हैं और उस समय आप याद कर लीजिए 2017 में जो फ्लैश फ्लड आया, उसमें 38 लाख परिवार को हमलोगों ने 6 हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी । उस समय हमलोगों ने इसके लिए 2400 करोड़ रूपया का आवंटन किया तो हमलोग शुरू से कहते हैं कि आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है सरकार के खजाने पर । जो भी राज्य सरकार के खजाने में पैसा है, उनको जो जरूरत है, हमलोग सब देंगे । जो एस0ओ0पी0 बना है, उसकी तरफ से मदद करेंगे और इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार से सहयोग चाहते हैं, केन्द्र सरकार की टीम आकर देखेगी, जो भी सहयोग उनको उचित लगेगा, वह देंगे लेकिन हमलोग अपनी तरफ से निरंतर काम करते रहेंगे, यह आपको हम आश्वस्त करना चाहते थे ।

(व्यवधान)

<u>शून्य-काल</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज चूंकि शुक्रवार है, सदन की कार्यवाही मुझे 12.30 बजे ही स्थगित करनी है.....

(व्यवधान)

सुनिए न । आप और समय जाया कर रहे हैं, सारे लोगों की बात सुनकर मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य हो गया, अब तो इसपर वाद-विवाद तो होगा नहीं । ललित जी, बैठ जाइए । ऐसे में समय जाया जा रहा है । आपलोग अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइए । आपने अपनी बात कह ली ।

अगर सदन की सहमति हो तो आज 41 शून्य-काल है, उसको पढ़ा हुआ मानकर उसको शून्य-काल समिति को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

पढ़ी हुई मानी गयी शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, क्रीड़ा संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने हेतु मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के रहिका पंचायत के लक्ष्मीपुर-मकसूदा में तथा मधुबनी शहर में स्टेडियम निर्माण आवश्यक है ।

अतः दोनों स्थानों पर स्टेडियम निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः महोदय, पहले ''अधिकार साफ्टवेयर'' से जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण RTPS केन्द्र पावर जल्द परन्तु वर्तमान ''सर्विस प्लान'' नये, साफ्टवेयर से घंटों विलम्ब हो रहा है । जिससे विद्यार्थियों को काफी कठिनाई होती है । अतः पूर्व से कार्यरत ''अधिकार साफ्टवेयर'' से ही RTPS केन्द्र पर प्रमाण पत्र बनवाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य डॉ0 विनोद प्रसाद यादव ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमण्डलीय अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना हेतु सभी मानक पूरी कर ली गयी है । लाइसेंस के लिए अस्पताल द्वारा आवेदन किया गया है । जनहित में अविलम्ब शेरघाटी अनुमण्डलीय अस्पताल को लाइसेंस निर्गत करने हेतु औषधी नियंत्रक को निर्देश देने की मॉग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून-दाउदनगर रोड में धनौती के पास पटना कैनाल में पुल बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है । कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है ।

अतः उक्त रोड में पटना कैनाल में पुल का निर्माण शीघ्र कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-224): अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड के अनुज कुमार, पिता-करमदेव यादव, ग्राम-रतनविगहा, पो0-खिरियावां, थाना-सलैया

की मृत्यु 30.04.2018 को वज्रपात से हो गई, पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया है। सलैया काण्ड सं0-01/18 दर्ज है ।

अत: मैं मृतक के आश्रितों को अविलम्ब मुआवजा भुगतान करने की मॉग करता हूॅं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव ।

श्री प्रह्लाद यादव: अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला के लखीसराय जमुई राजकीय पथ पर खैरी महसोना में सड़क के बगल से नाला नहीं रहने के कारण वर्षा होने पर पानी सड़क एवं गांव में जमा होने से आम जनता को काफी कठिनाई है ।

अत: मैं उक्त स्थान पर नाला निर्माण की मांग करता हूॅं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार ।

श्री अरूण कुमार: महोदय, श्री ललन प्रसाद सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दानापुर, पटना दिनांक-30.11.2018 को सेवानिवृत्त हुए हैं । 08 महीने बीत जाने के बावजूद वेतन सेवांत एवं अन्य लाभ नहीं मिला है ।

अत: शीघ्र श्री सिंह का वेतन एवं अन्य सभी लाभ दिलाने की मांग सरकार से करता हूॅं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री डॉ0 मो0 नवाज आलम ।

श्री मो0 नवाज आलम: महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा सुधा डेयरी द्वारा सुधा दुध की बिक्री की जाती है । दुध के पैकेट में कीड़ा से संक्रमित दुध सप्लाई किया जा रहा है।

अत: मैं इसकी जांच कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करता हूॅं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्या श्रीमती भागीरथी देवी ।

श्रीमती भागीरथी देवी: अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला के प्रखंड रामनगर के नगर पंचायत अंतर्गत त्रिवेणी कैनाल पर उत्तर दिशा में मांस-मछली हाट निर्माण की मैं मांग करती हूॅं।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-203): महोदय, कैमूर जिला के नुऑव प्रखंड अंतर्गत नुऑव कुछिला पथ में सातो ऐवन्ती ग्राम के पास गोरिया नदी पर पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते कभी भी पुल टूट सकता है, नुऑव प्रखंड के पॉच पंचायतों का प्रखण्ड मुख्यालय जाने का एकमात्र रास्ता है, मैं उक्त पुल को बनाने की मांग करता हूॅं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुबोध राय ।

श्री सुबोध राय: महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज की भौगोलिक, प्रशासनिक एवं असमान विकास संबंधी समस्या सहित विश्वविख्यात श्रावणी मेला का केन्द्र स्थल की महत्ता को संज्ञान में लेकर इसे व्यापक जनहित में शीघ्र अनुमंडल का दर्जा प्रदान करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव ।

श्री अचमित ऋषिदेव: महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के हॉसा पंचायत में दुलारदई नदी से लक्ष्मीपुर यादव टोला में तीव्र कटाव है । उक्त गांव को कटाव से बचाने के लिए धमनाहा घाट पर चिरान बनाने के लिए मैं सरकार से मॉग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह: महोदय, गोपालगंज जिला में बरौली प्रखंड में एन0एच0- 28 पर अवस्थित बढ़ैया पुल के नीचे सर्विस लेन गड्ढ़ा में तब्दील हो गया है जिसके कारण आये दिन दुर्घटना होती है ।

अत: सरकार उक्त सर्विस लेन की मरम्मति कार्य शीघ्र कराये ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार ।

श्री राजेन्द्र कुमार: महोदय, हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड हरसिद्धि, कुरकौलिया मुख्यालय में डिग्री कॉलेज के अभाव में गरीब बच्चे एवं बच्चियॉं उच्च शिक्षा से बंचित हो रहे हैं, यह दो प्रखंड आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है । डिग्री कॉलेजों की दूरी 15-20 किलोमीटर है ।

अत: डिग्री कॉलेज हेतु सरकार से मॉग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, बक्सर जिला के पांडेय पदरी में आने-जाने का मार्ग लगभग 400 फीट है, जो मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का है । जिसका एन0ओ0सी0 नहीं मिलने के कारण लगभग 8 हजार आबादी के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

मैं उक्त मार्ग का एन0ओ0सी0 देकर लोगों को सुविधा प्रदान करने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, बिहार ने स्वच्छता संकल्प को पूर्ण करने हेतु सी0एल0टी0एस0 प्रशिक्षित उत्प्रेरकों के सहयोग से राज्य में लाखों की संख्या में शौचालय का निर्माण कराया है । गोपालगंज सहित बिहार के सभी सी0एल0टी0एस0 का भुगतान सहित शोचालय निर्माण पूर्ण किए गरीब जनता को अतिशीघ्र प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री बशिष्ठ सिंह ।

श्री बशिष्ठ सिंह: महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड कोचस में घेवड़ा गॉव के पास धर्मावती नदी में पुल नहीं है, जबकि नदी के दोनों तरफ पी0एम0जी0एस0वाई0 का सड़क है । पुल नहीं होने के कारण उक्त पथ से आवागमन बाधित है ।

अत: मैं मॉग करता हूँ कि धर्मावती नदी में पुल निर्माण कराया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार ।

श्री नीरज कुमार: महोदय, बिहार प्रारम्भिक शिक्षा भर्ती नियमावली, 1991 के पैनल से बहाली होती थी, लेकिन श्रीमती सरला कुमारी, सहायक शिक्षिका जो दिनांक-22.11. 1999 को योगदान दी । इसकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं हुई है ।

अतएव मैं कुमारी की बहाली की उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री चन्दन कुमार ।

श्री चन्दन कुमार: महोदय, खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली प्रखंड के करेह नदी में गढ़घाट के निकट पुल निर्माण हेतु एक वर्ष पूर्व स्थल जॉच किया जा चुका है । एप्रोच पथ हेतु भूमि अधिग्रहण कर पुल निर्माण कराना जनहित में आवश्यक है, जिससे पॉच पंचायत के लोग सीधा प्रखंड मुख्यालय से जुड़ जायेंगे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्या श्रीमती रेखा देवी ।

श्रीमती रेखा देवी: महोदय, पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी प्रखंड के अंतर्गत मसौढ़ी कोर्ट परिसर में नवनिर्मित व्यवहार न्यायालय भवन, पार्क की दिवारों एवं गेट से संबंधित घटिया निर्माण के चलते दरार पड़ने एवं 200 फीट दीवार गिरने के लिए सम्बन्धित संवेदक एवं अभियंताओं पर जॉचोपरांत दोषी संवेदक एवं अभियंताओं पर कार्रवाई करने हेतु मांग करती हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सरोज यादव ।

श्री सरोज यादव: महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा थाना काण्ड संख्या-323/17 के केस सत्य हो जाने के बाद दूसरे राज्य में प्रशासन भेजकर अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा सिन्हा ओ0पी0 काण्ड संख्या 491/18 में रंगलाल यादव को अपराधियों के द्वारा दरवाजे पर जाकर गोली मारकर हत्या कर दिया गया है ।

अत: दोनों काण्डों के अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करावे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललन पासवान ।

श्री ललन पासवान: महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी-शिवसागर एस.एच. 67 पथ से पलौंधा होते हुए किशनपुरा तक सड़क कच्ची है, उर्दा, महैचा, लोधि सहित दर्जनों गॉवों का आवगमन बाधित है ।

अत: सरकार से मांग करते हैं कि उक्त सड़क को शीघ्र बनावे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री विजय कुमार खेमका: महोदय, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के लाभुक से चिन्हित पूर्णिया के निजी गैलेक्सी अस्पताल द्वारा 16000 राशि की मांग पूरी नहीं करने पर चिकित्सक इलाज से इंकार किया ।

अत: गोल्डेन कार्डधारी का इलाज पूर्णिया सहित प्रदेश के चिन्हित अस्पतालों में सुनिश्चित करने तथा राशि वसूली करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री शत्रुधन तिवारी ।

श्री शत्रुधन तिवारी: महोदय, सारण जिलान्तर्गत एस0एच0 73 पर सोनहो अमनोर के बीच आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं । इस क्षेत्र में कोई ट्रामा सेन्टर नहीं रहने के कारण घायलों को तत्काल उच्च चिकित्सा नहीं मिलने से मौत हो जाती है । मैं अमनौर में ट्रामा सेन्टर खोलने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री नन्द कुमार राय ।

श्री नन्द कुमार राय: महोदय, मोतीपुर प्रखंड सहित मुफ्फरपुर जिला के सभी प्रखंडों में भूमि लगान रसीद उपलब्ध नहीं है, जिससे सरकार का करोड़ो रूपये का राजस्व का नुकसान एक माह से हो रहा है ।

अत: मैं मोतीपुर सहित जिले के सभी प्रखंडों में लगान रसीद जल्द उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, एन0एच0 28 में कई जगह टूटे जाने एवं रोड धंस जाने से गाड़ियों के सुचारू परिचालन में बाधा तथा दुर्घटना घट रही है, साथ ही विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो रही है ।

सरकार टूटे तथा धसे हुए रोड को शीघ्र ठीक कराकर आवागमन सुचारू करने हेतु विभाग को आदेशित करे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव: महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय भगवानपुर में वर्ग 9 एवं 10 के छात्रों को पढ़ाने के लिए अबतक एक भी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में है ।

अत: उक्त विद्यालय में अविलम्ब उचित संख्या में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया जाए ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

श्री विद्या सागर केशरी: महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के कुसमाहा पंचायत के आमगाछी मौजा की बोर्डर रोड में अर्जित की गई जमीन की मुआवजा की राशि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आश्वासन संख्या-1382/16, दिनांक-21.02.17 द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद चकखाता-भूधारी को अबतक अप्राप्त है । जिसका चकखाता संख्या-45, चकखेसरा संख्या-157 है । सदन से मुआवजे की राशि दिलाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

श्री सत्यदेव रामः महोदय, पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड के तरेत गांव के धर्मेन्द्र पासवान की पुत्री हेमा देवी के दो बच्चों समेत उसके ससुराल वालो ने 04.06.2019 से गायब कर दिया है जिसका रनिया तालाब थाना कांड सं0-133/19 दिनांक-04.06.19 दर्ज है, सरकार अविलंब हेमा देवी को बच्चों समेत सकुशल बरामद करे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसादः महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत सहार के एकबारी गांव निवासी अनिल यादव की उसी गांव अपराधी करीमन राय गैंग ने पिटाई कर अधमरा कर दिया जो सहार थाना काण्ड संख्या-122/19 दिनांक-19.05.19 दर्ज है । अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलमः महोदय, 2 मई, 2012 को औरंगाबाद जिला समाहरणालय पर धरना दे रहे माले नेता व पूर्व विधायक राजाराम सिंह सहित 29 लोगों पर मुकदमा दायर कर गिरफ्तार किया गया था, नगर थाना कांड संख्या-122/12, दिनांक-02.05.12 दर्ज है, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी मुकदमा हटा नहीं, सरकार अपने आश्वासन को पूरा करे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री शमीम अहमद ।

श्री शमीम अहमदः महोदय, नरकटिया विधान सभा के बंजरीया प्रखंड बाढ़ में पुरी तरह पानी से घिर जाता है । मोटर वोट या नाव के अलावा कोई सुविधा नहीं रहती है ।

अतः चैलाहा एन0एच0 26 से जटवा घाट होते हुए रामगढ़वा तक पथ पी0डब्लू0डी0 में अधिग्रहण कर ऊचॉ एवं चौड़ा बनावे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्या सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवानः कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत गेड़ाबाड़ी पर सड़क एवं नाला जीर्णोद्धार एवं लाईट, कचड़ा उठाव की व्यवस्था नहीं है एवं शौचालय की व्यवस्था के लिए सरकार से मांग करती हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मुजाहिद आलम ।

श्री मुजाहिद आलम: महोदय, बिहार में 2459+1 श्रेणी मदरसों के अतिरिक्त 339 मदरसे छूटे हुए हैं, जो शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-1090, दिनांक-29.11.1980 की सारी शर्तो को पूरा करते हैं । जिसकी सूची शिक्षा विभाग को 2015 में उलपब्ध करा दिया है । सरकार उक्त मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाए ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम ।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, वैशाली जिला में लूट, हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग, डकैती की घटनाएं प्रति दिन घट रही है । लोग परेशान और गॉव छोड़कर बाहर जा रहे हैं । सही सुरक्षा नहीं मिल रहा है । व्यापारी व्यापार छोड़ कर भाग रहे हैं । इसलिए जिला में हो रहे घटनाएं बन्द कराने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर ।

श्री चन्द्रशेखर: महोदय, सहरसा प्रमंडल मुख्यालय को मधेपुरा जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मार्ग संख्या-05 पर साहुगढ़ में परमाने नदी पर बनी काउज-वे जीर्ण-शीर्ण हो गया है । लाखो लोगों का यातायात ठप्प हो सकता है ।

अत: जनहित में अविलंब यहां एक उच्चस्तरीय पुल बनाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, ''ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945'' के आधार पर सभी दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की अनिवार्यता है, परन्तु बिहार राज्य में फार्मासिस्ट की भारी कमी है ।

अत: फार्मासिस्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दवा व्यापार में तीन साल से अधिक का अनुभव रखने वाले लोगों के नाम पर लाईसेंस निर्गत करने की मैं मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री फराज फातमी ।

श्री फराज फातमी: महोदय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-368, दिनांक-02.04.19 एवं उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पंत्राक-540, दिनांक-30.05.2019 के आलोक में सहायक उर्दू अनुवादक के 1294, राजभाषा सहायक (उर्दू) के 09 एवं उर्दू अनुवादक के कुल 202 रिक्त पदों पर बहाली शुरू की जाए ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी: महोदय, जमुई और लखीसराय जिलान्तर्गत टेंडर होने के बावजूद विभागीय कारणों से वर्ष 2016 जनवरी से अबतक बालू का उठाव नहीं हो रहा है, जिससे आमजनों को घर बनाने में और सरकारी विकास के कार्यों में काफी परेशानी हो रही है ।

अत: टेंडर करवाकर जल्द से जल्द बालू उठाव कराया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य डॉ0 राजेश कुमार ।

डॉ0 राजेश कुमार: महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को आपदा विभाग से जो मुआवजा मिलनी चाहिए, विभाग की लापरवाही के कारण भुगतान नहीं किया गया है ।

अत: मैं सरकार से मृतकों के परिजनों को जल्द ही मुआवजा राशि का भुगतान कराने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय: महोदय, बिहार में एक भी विश्वविद्यालय Teaching University के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं । एल0एन0 मिथिला वि0वि0 अभी सभी वि0वि0 से पढ़ाई-लिखाई वो अन्य सभी मामले में वर्त्तमान कुलपति की कार्य दक्षता के कारण आगे है ।

अतएव इसे Teaching University का दर्जा दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष :बैठिए, काम होने दीजिए । प्रभारी मंत्री,ऊर्जा विभाग ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियामवली से संबंधित अधिसूचना संख्या- 4ए, 31, दिनांक 17. 12.2018/ अधिसूचना संख्या- 21, 23, दिनांक 27.08.2018 / अधिसूचना संख्या-03, 35, 22, 04 दिनांक 13.07.2018 एवं अधिसूचना संख्या- 31, 34, 27, 32, 36 दिनांक 02.04.2018 की एक-एक प्रति को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के तहत सदन पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए । मिथिलेश जी, आप बैठ जाइए ।

प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा-34(3) के आलोक में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 1999 से 2009 तक एवं वर्ष 2011-12 का महालेखाकार, बिहार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

यात्चिकाओं का उपस्थापन

अध्यक्ष : सभा-सचिव ।

सभा-सचिव : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 335 याचिकायें प्राप्त हुई हैं ।

टर्न-9/राजेश/26.7.19

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य ।

अध्यक्ष: सर्वश्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव जी के ध्यानाकर्षण का जवाब दीजिये । प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग ।

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: आप ही लोगों का ध्यानाकर्षण है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: चारों ध्यानाकर्षण सूचनाओं का उत्तर सरकार सदन पटल पर रख दें ।

(पटल पर ध्यानाकर्षण सूचनाओं के रखे गये उत्तर पृ0-129से134 पर द्रष्टव्य)

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब सभा की बैठक 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/सत्येन्द्र/26-7-19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

क्रम संख्या-1, श्री सुदामा प्रसाद

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो अनुमंडल में महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण करावें ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री:माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल भी इस कोटि के अनुमंडल में शामिल है । जिला पदाधिकारी, भोजपुर को अनुमंडल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, पीरो की स्थापना हेतु भूमि चयन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । सम्प्रति प्रतिवेदन अप्राप्त है। भूमि चयनित होने के उपरांत सरकार इस अनुमंडल में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कार्रवाई करेगी । परन्तु पीरो अनुमंडल में महिला डिग्री महाविद्यालय का निर्माण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष: वापस ले लीजिये ।

श्री सुदामा प्रसाद: तीन साल से सर चल रही है प्रक्रिया ।

अध्यक्ष: जब तक पूरी नहीं होगी प्रक्रिया चलेगी ।

श्री सुदामा प्रसाद: जमीन भी सर हमलोग बतायें है उनको, जमीन है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-2, श्री सुबोध राय

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड अवस्थित गिरवरनाथ एवं जगरिया पहाड़ियों के मनोरम स्थल को पर्यटकों के आकर्षण हेतु पहुंच पथ का निर्माण करावें ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित के पथ के आरेखन में कोई योग्य बसावट अवस्थित नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है । इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्षः जवाब तो एकदम साफ है ।

श्री सुबोध रायः एकदम साफ है सर, ये तो साफे कर दिया ।

अध्यक्षः इसलिए वापस ले लीजिये ।

श्री सुबोध कुमारः इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करें । वापस ले रहे हैं ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-3,श्री मेवालाल चौधरी

श्री मेवालाल चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंडान्तर्गत बेलहरणी सिंचाई परियोजना का निर्माण अविलम्ब करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड अन्तर्गत बेलहरणी सिंचाई परियोजना का योजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है । इस योजना के तकनीकी संभाव्यता के निर्धारण हेतु जल की उपलब्धता एवं प्रस्तावित कमांड क्षेत्र में जल की आवश्यकता के आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है । अध्ययनों के उपरांत तकनीकी रूप से संभाव्य पाये जाने एवं कमांड क्षेत्र 2 हजार हे0 से अधिक पाये जाने के उपरांत योजना के कार्यान्वयन पर निर्णय लिया जायेगा । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री मेवालाल चौधरीः महोदय, ये एक प्रेनियल रिवर है महोदय, वहां जल की अपार क्षमता है और तकरीबन पांच हजार हे0 में खेती होती है । हम निवेदन करेंगे आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कि इस पर जरूर विचार करें । चूंकि 5 हजार हे0 में सिचांई नहीं हो पाता है।

अध्यक्षः अभी वापस ले लीजिये ।

श्री मेवालाल चौधरीः मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 4, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

‘‘ यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के नवीनगर से कोईरीडीह सड़क के सामने सोन नदी में रोहतास जिला के कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री के सामने पुल का निर्माण करावें ।’’

(इस अवसर पर श्री मो0 नेमातुल्लाह ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

श्री शैलेश कुमार: वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल सोन नदी के एक तरफ धुंधुआ बसावट है जिसे पी0एम0जी0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ कोईरीडीह (तेतरिया मोड़) से धुंधुआ तक पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है । सोन नदी के दूसरे तरफ रोहतास जिलान्तर्गत डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है जिसे कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है । यहां नदी के किनारे समहुता ग्राम है जिसे डेहरी यदुनाथपुर पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है । इस आरेखन में योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है । इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) वापस ले लीजिये माननीय सदस्य ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह:सभापति महोदय, रोहतास और औरंगाबाद और झारखंड सब जगह से पूछ लिया जाय, मेम्बर लोग से पूछ लिया जाय कि यह कितना महत्वपूर्ण है । सरकार इसको गंभीरता से ले, मैं आग्रह करता हूॅ सरकार से और सरकार तो विकास के प्रति एकदम अग्रसर है, अब इतनी प्रशंसा, कितनी प्रशंसा करें लेकिन इस पुल का बनना एकदम नितांत आवश्यक है , इसको बनना चाहिए । इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति: सभा की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 5,श्री बशिष्ठ सिंह

श्री बशिष्ठ सिंह: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

‘‘ यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत गारा-चौबे नहर एवं करगहर वितरणी का लाईनिंग एवं पक्कीकरण करावें ।’’

श्री संजय कुमार झा,मंत्री: महोदय, सोन नहर प्रणाली अन्तर्गत पश्चिमी मुख्य नहर के 30.80 कि0मी0 से निश्चित कारा चौबे शाखा नहर का रूपांकित कृषि कमांड क्षेत्र 13836 हे0 है । आवश्यकतानुसार नहर का सम्पोषण एवं मरम्मति कराकर खरीफ वर्ष 2018 में 13505 हे0 क्षेत्र में पटवन कराया गया है । गारा चौबे शाखा नहर के 12.40 कि0मी0 से निश्चित करगहर वितरणी का रूपांकित कृषि कमांड क्षेत्र 12713 हे0 है । आवश्यकतानुसार नहर का सम्पोषण एवं मरम्मति कराकर खरीफ वर्ष 2018 में 11650 हे0 क्षेत्र में पटवन कराया गया है । उक्त स्थिति में तकनीकी आर्थिक संभाव्यता के आलोक में गारा-चौबे शाखा सह नहर एवं इससे निश्चित करगहर वितरणी के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश विभागीय पत्रांक 815 दिनांक 28-6-19 द्वारा मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन, डिहरी को दिया गया है ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) माननीय सदस्य, वापस लीजिये, आपका तो हो गया काम।

श्री बशिष्ठ सिंह: महोदय, ये दो जिला में नहर से पटवन होता है और जब लाईनिंग हो जायेगा तो किसानों का पानी और नीचे तक जायेगा इसलिए हमारा सरकार से महोदय निवेदन है, आग्रह है कि कृपा कर के हमारे माननीय मंत्री महोदय शीघ्र इस काम को करा दें ताकि उस इलाके के किसानों को लाभ मिल सके । वापस तो लेना ही पड़ेगा लेकिन हम आग्रह करेंगे..

सभापति: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-11/मधुप/26.07.2019

<u>क्रम संख्या-6 : श्री आलोक कुमार मेहता</u>

श्री आलोक कुमार मेहता : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधान मंडल परिसर में भी उच्च न्यायालय, विश्वेश्वरैया भवन की तरह विधान मंडल कर्मी के हित में रेलवे टिकट आरक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु रेल मंत्रालय से अनुरोध करे।''

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : महोदय, बिहार विधान मंडल परिसर में भी उच्च न्यायालय, विश्वेश्वरेया भवन की तरह विधान मंडल कर्मी के हित में रेलवे टिकट आरक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध करेगी ।

सभापति : प्रश्न यह है कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधान मंडल परिसर में भी उच्च न्यायालय, विश्वेश्वरैया भवन की तरह विधान मंडल कर्मी के हित में रेलवे टिकट आरक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु रेल मंत्रालय से अनुरोध करे ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आलोक कुमार मेहता : धन्यवाद ।

क्रम संख्या-7 : श्री नन्द कुमार राय

श्री नन्द कुमार राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड स्थित मोतीपुर चीनी मिल जो विगत 30 वर्षों से बंद है, किसानहित में शीघ्र चालू करावे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मोतीपुर चीनी मिल को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा इस इकाई को इण्डियन पोटाश लि0 (IPL) को लम्बी अवधि की लीज पर हस्तांतरित किया गया है । सरकार द्वारा किये गये हस्तांतरण के विरूद्ध इस मिल के पूर्व प्रबंधन एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-8840/2006, 427/2011 एवं 410/2011 दायर की गयी, जिसमें उनके पक्ष में न्याय निर्णय प्राप्त हुआ । उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0पी0ए0 संख्या- 1354/2012 दायर किया गया, जिसमें सरकार के पक्ष में न्याय निर्णय प्राप्त हुआ । उपरोक्त न्यायादेश के विरूद्ध वादियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या-14616-18/2014 दायर किया गया है । वर्त्तमान में यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है ।

अतएव माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : वापस लीजिये । एस0एल0पी0 पेंडिंग है ।

श्री नन्द कुमार राय : महोदय, मामला 5-6 साल से सर्वोच्च न्यायालय में है । हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका निष्पादन कराने का काम करें । मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 8 : श्री राम बालक सिंह

श्री राम बालक सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अन्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के कल्याणपुर उत्तर पंचायत एवं मुस्तफापुर पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के भवन निर्माण कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-1021 दिनांक- 05.07.2013 के तहत अबतक 2676 माध्यमिक विहीन पंचायतों में अवस्थित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जा चुका है । इसके अन्तर्गत 1734 विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । शेष विद्यालयों के भवन के निर्माण की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में दे दी जायेगी ।

अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : राम बालक जी, अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राम बालक सिंह : एक मिनट सभापति महोदय, उक्त दोनों विद्यालय तीन वर्ष पहले स्वीकृत हो चुके थे भवन निर्माण के लिए । ठीकेदार वहाँ गया भी और लौटकर चला आया । महोदय, हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इसे जल्द से जल्द बनाने की कृपा करेंगे । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-9 : श्री आबिदुर रहमान

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : श्री मदन मोहन तिवारी जी पढ़ेंगे ।

श्री मदन मोहन तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया प्रखंड के बॉसबाड़ी पंचायत अंतर्गत गरगद्दी टोला, वार्ड नं0-02 में रउफ के घर के बगल से दलघोरवा धार पर पुल निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल गरगद्दी टोला के आंतरिक पथ करीम के घर से ओझरिया टोला होते हुए आलम के घर तक के आरेखन पर अवस्थित है जो किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । मुख्य बसावट बड़ी गरगद्दी टोला को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ एन0एच0-57 हरिया चौक से बड़ी गरगद्दी तक पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का तत्काल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मदन मोहन तिवारी : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-10 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के सोनउला उच्च विद्यालय के परिसर में स्टेडियम का निर्माण करावे ।"

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री जी नहीं हैं क्या ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अभी काउंसिल में हैं ।

क्रम संख्या-11 : श्री नीरज कुमार सिंह

श्री नीरज कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला के बीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण करावे ।"

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : महोदय, मंत्री जी आ गये । हमारा भी जवाब दिलवा दिया जायेगा।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : नीरज जी का जवाब हो जाता है तो आपका होगा । पहले नीरज जी का जवाब दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत एक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु बसंतपुर प्रखंड मुख्यालय के लिए जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव में भूमि की विवरणी लम्बाई एवं चौड़ाई मीटर में नहीं दी गई है ।

पुनः संशोधित प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित माँग की जा रही है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : संकल्प वापस लीजिये । हो गया, विचार किया जायेगा ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, रिपोर्ट वहाँ से भेज दिया गया है जिलाधिकारी के द्वारा और यह अनापत्ति का जो मामला है, महोदय, हर चीज में वही अनापत्ति का मामला आ जाता है। विभाग से अनापत्ति जल्द से जल्द मँगा लिया जाय और इसके लिए हमलोग परेशान होते रहते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, जो चिट्ठी आई है, वह 4.45 एकड़ में दिया है, अब उसका मानक का लम्बाई-चौड़ाई देख लिया जायेगा, उसके बाद स्वीकृति हो जायेगा ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : ठीक है, वापस ले लीजिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह : संशोधित प्रस्ताव मँगवाकर इसको अविलंब करवा दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, हमलोग इसको मँगवाकर करवा देंगे । माननीय सदस्य से आग्रह है कि प्रस्ताव वापस ले लें ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : वापस ले लीजिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह : आश्वासन के आलोक में प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या-10 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय</u>

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य प्रस्ताव पढ़ चुके हैं । इसका जवाब दिया जाय, माननीय मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत एक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड में सोनउला उच्च विद्यालय परिसर में स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी,

गोपालगंज से प्रस्ताव प्राप्त है । उक्त प्रखंड में फुटबॉल स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : बनेगा न वहाँ ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अब बन जायेगा ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–12/आजाद/26.07.2019

क्रम संख्या–12 : श्री फैसल रहमान

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम सं0–13 : श्री राम विशुन सिंह

श्री राम विशुन सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के उजियारपुर एवं अवशान टोला के बीच छेर नदी पर पुल का निर्माण करावें ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित छेर नदी पर पुल के एक तरफ जगदीशपुर प्रखंड के उजियारपुर एवं अवशान टोला बसावट है । इन बसावटों को पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित पथ टी02 से उजियारपुर पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है ।

पुल स्थल के दूसरी तरफ भौराही गांव है, जिसे एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित्त पथ एन0एच0–30 हाट पोखर दावां रोड भाया भौराही से रतनदंडी पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है । इस तरह पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को बारहमासी पथ से एकल सम्पर्कता प्रदत्त है ।

उजियारपुर एवं भौराही के बीच में छेर नदी है । इस आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह जी, अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, मंत्री जी आपका दोनों तरफ सड़क बना हुआ है और बीच में आपका पुल नहीं बना है तो इसका कोई महत्व नहीं है । इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको आप फिर से पुन: दिखाकर के वहां का पुल का निर्माण कराया जाय । मैं अपना संकल्प वापस वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या-14 : श्री नरेन्द्र कुमार नीरज</u>

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल अन्तर्गत त्रिमुहान से कुरसैला TK बांध पर पक्की सड़क का निर्माण करावें ।''

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : ग्रामीण कार्य मंत्री, इसमें दोनों को जवाब देना है क्या ?

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : ट्रांसफर हो गया है सर ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ दो भागों से संबंधित है :-

1. TK बांध से एन0एच0-31 - अभिस्तावित पथ के इस आरेखन में सधुआ एवं चापर दियारा बसावट अवस्थित है, जिसकी सम्पर्कता शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनान्तर्गत निर्मित एन0एच0-31 सधुआ से चापर दियारा पथ से प्राप्त है । अत: इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

2. एन0एच0-31 से त्रिमुहान - अभिस्तावित पथ शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड ऋण सम्पोषित) अन्तर्गत एन0एच0-31 पुल रेलवे पुल के नीचे से होकर गाईड बांध होते हुए कटरिया के तरफ वटवृक्ष के बांये तरफ से संगम स्थल तक पथ एवं पुल सहित के नाम से स्वीकृत है । यह पथ निविदा के प्रक्रियाधीन है । तदोपरान्त अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-15 : श्री अब्दुस सुबहान

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या-16 : श्री अभय कुमार सिन्हा

श्री अभय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के टिकारी अनुमंडल अन्तर्गत आरंभ से अंतिम छोर तक अपर एवं लोअर मोरहर नहर की उड़ाही करावें ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : सभापति महोदय, गया जिला अन्तर्गत अपर मोरहर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलित राशि 2 करोड़ 82 लाख रू0 की लागत से वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण कराया गया है । खरीफ सिंचाई अवधि 2018 में निर्धारित सिंचाई लक्ष्य 9500 हेक्टेयर क्षेत्र के विरूद्ध शतप्रतिशत सिंचाई उपलब्धि प्राप्त की गई है एवं नहरों के अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित किया गया । लोअर मोरहर सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन कार्य का डी0पी0आर0 तैयार कर लिया गया है । प्राक्कलित की तकनीकी जॉच की जा रही है । निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्यारम्भ के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आपका तो डी0पी0आर0 भी तैयार हो गया है, अब वापस ले लीजिए।

श्री अभय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, लोअर का डी0पी0आर बन रहा है । एक मिनट महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 2017-18 में 2 करोड़ 82 लाख की लागत से काम करायी गयी है । वो काम नहीं महोदय, सिर्फ खानापूर्त्ति की गई है । उसमें पड़ैया प्रखंड के मंझार से लगभग 2 कि0मी0 की दूरी पर एक नहर में पुल टूट कर गिरा हुआ है महोदय, तकरीबन 5-6 वर्षों से वह पुल टूटा हुआ है । माननीय मंत्री जी इसको देखवा लेंगे ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : संकल्प तो वापस ले लीजिए, सब तरह से टेकनिकल जॉच हो ही रहा है ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-17 : श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प0 चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा के लिए एक स्वतंत्र विद्युत ग्रिड का निर्माण करावें । ''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उक्त संदर्भ के आलोक में प0 चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा में 132/33के0वी0ए0 ग्रीड निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप अपना संकल्प वापस लीजिए, विचाराधीन है ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह : कब तक कर दिया जायेगा महाशय, क्योंकि एक जो ग्रीड है वह 80 कि0मी0 दूर है और एक जो ग्रीड है वह 40 कि0मी0 दूर है, जिसकी वजह से बगहा के लोगों को और आसपास के लोगों को काफी विद्युत समस्या से जुझना पड़ता है। इसलिए यह कब तक हो जायेगा महोदय, यह तो बता देते ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जल्दी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-18 : श्री विद्या सागर केशरी

श्री विद्या सागर केशरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के कुसमाहा पंचायत के कुसमाहा हाट से सिंधिया नदी पर बने नवनिर्मित पुल से होकर पोखरीया गाँव नेपाल सीमा तक एवं इसी पुल से महादलित टोला टिकरा मुसहरी होकर हठेवा गाँव के नेपाल सीमा तक जाने वाली कच्ची सड़क का कालीकरण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ दो पथों से संबंधित है:- 1. फारबिसगंज प्रखंड के कुसमाहा पंचायत के कुसमाहा हाट से सिंधिया नदी पर बने नवनिर्मित पुल से होकर पोखरिया गाँव नेपाल सीमा तक - उक्त पथ शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनान्तर्गत कुसमाहा से हल्ला के नाम से स्वीकृत है, जो निर्माणाधीन है ।

2. सिंधिया नदी पर बने पुल से महादलित टोला टिकरा मुसहरी होकर हठेवा गांव तक- उक्त पथ के निर्माण हेतु शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क

योजनान्तर्गत निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है । तदोपरान्त अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री विद्या सागर केशरी : सभापति महोदय, कुसमाहा से पोखरिया जो निर्माण होना है, वह लगभग एक साल से संवेदक टाल-मटोल कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है । माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि एक बार संवेदक इस काम को कर दे, इसकी चिन्ता है, यह कब तक करा देंगे, माननीय मंत्री जी यह बता दें ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : जल्द से जल्द करवा देंगे ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : संकल्प वापस लीजिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-19 : श्री चन्द्रशेखर

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किसान हित में प्रतिवर्ष 15 (पन्द्रह) नवम्बर से धान की अधिप्राप्ति को व्यवहारिक कराने हेतु नमी के मानक नियमों में आवश्यक परिवर्तन करावे अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करावें ।''

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण । माननीय मंत्री अभी नहीं हैं ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, इतना महत्वपूर्ण संकल्प है और मंत्री जी नहीं हैं ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय कृषि मंत्री, आप जवाब दीजियेगा ?

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, पत्र आया था तो यह ट्रांसफर कर दिया गया है खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में ।

क्रम संख्या-20 : श्री उपेन्द्र पासवान

श्री उपेन्द्र पासवान : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी प्रखंड के वैरवा-शकरपुरा के मध्य नदी पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल राज्य कोर नेटवर्क के छूटे हुए पुल-पुलियों की सूची में सम्मिलित है ।

प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कष्ट करें ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : संकल्प वापस लीजिए, यह हो जायेगा ।

श्री उपेन्द्र पासवान : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-13/शंभु/26.07.19

क्रम सं-21,श्री अचमित ऋषिदेव

श्री अचमित ऋषिदेव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड मुख्यालय के रानीगंज बाजार में एन0एच0-327ई0 पर जाम लगने से स्थायी निजात दिलाने के लिए रानीगंज के बगल से बाईपास का निर्माण कराने की सिफारिश भारत सरकार से करे । ''

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, हम इनका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं । मई में ही हमने भेज दिया भैय्या । महोदय, रानीगंज बाजार के बगल से कुल 5.03 कि0मी0 लंबाई में बाइपास निर्माण हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना में 2019-20 में शामिल करने हेतु विभाग द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है, जो मंत्रालय में विचाराधीन है । यह अनुरोध 08.05.2019 को ही कर दिया गया है । इसलिए हम इनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रम सं0-22,श्रीमती आशा देवी-अनुपस्थित

क्रम सं0-23, श्री केदार प्रसाद गुप्ता

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखंड में मटीचा नून नदी पर रामएकवाल ठाकुर के नजदीक पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल राज्य पूरक कोर नेटवर्क में सम्मिलित पथ टी-2 शाहपुर मरचा चौक से शाहपुर भूमिहार एवं माली टोला आरेखन पर पड़ता है । प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ के साथ पुल का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने का कष्ट करेंगे ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जल्दी इसको करवा दें और अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-24, श्री अनिल सिंह

श्री अनिल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार में औद्योगिक क्रांति के जनक और विकास पुरूष स्व0 डा0 श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न दिये जाने की केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों की अनुशंसा के साथ भारत रत्न पुरस्कार की अनुशंसा भी केन्द्र सरकार को भेजी जाती है । सम्प्रति बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्व0 डा0 सिंह को भारत रत्न दिये जाने की अनुशंसा करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । अतः संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, स्वतंत्रता सेनानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के औद्योगिक क्रांति के जनक विकास पुरूष श्रीकृष्ण बाबू के योगदान को बिहार के निर्माण में जो योगदान रहा है कभी भुलाया नहीं जा सकता है । मैं प्रस्ताव ही तो इस गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से लाया हूँ । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि इन्हें भारत सरकार को भेजना है । कृपया हम निवेदन करेंगे कि

इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजें। महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैंने कहा कि जब गृह मंत्रालय से मांगा जाता है प्रस्ताव तभी राज्य सरकार भेजती है । इसलिए फिलहाल अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री अनिल सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के आश्वासन और जो प्रक्रिया बतायी है उस प्रक्रिया के आलोक में जब होगा तब ये पूरा करेंगे, इसी आशय के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम सं0-25,श्री मिथिलेश तिवारी</u>

श्री मिथिलेश तिवारी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि की सिंचाई हेतु नदी से पानी उपलब्ध करावे ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत क्षेत्र सारण नहर प्रणाली कमांड क्षेत्र से बाहर है । वर्तमान नहर प्रणाली से उन क्षेत्रों को सिंचाई उपलब्ध कराना संभव नहीं है । इन क्षेत्रों को गंडक नदी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उद्वह सिंचाई परियोजना ही विकल्प है । विभागीय पत्रांक-793, दिनांक-23.07.2019 द्वारा मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना को प्रश्नगत क्षेत्र में सिंचाई हेतु उद्वह सिंचाई योजना की संभाव्यता तलाशने हेतु निदेशित किया गया है । संभाव्यता पाये जाने पर उद्वह सिंचाई योजना के निर्माण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । इसलिए आग्रह है कि प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, आपको भी जानकारी है उस क्षेत्र की और गंडक में जल का प्रभाव है और उसके बगल में ही यह क्षेत्र है जहां जल का अभाव है। इस बात को लेकर पूरी सरकार चिंतित भी है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जिन अभियंताओं की टीम आपने भेजी है- लिफ्ट इरीगेशन पर आप उनको कहिये कि लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करावें । इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप जरूर करायेंगे, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम सं0-26, श्री नौशाद आलम</u>

श्री नौशाद आलम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के जिलेबिया मोड़ से मुरालीगच्छ बंगाल बार्डर तक भाया माणिकपुर पी0डब्लू0डी0 रोड का चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र करावे ।''

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के जिलेबिया मोड़ से ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय तक 1.20 कि0मी0 नगर पंचायत ठाकुरगंज के अधीन है तथा ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय से मुरालीगच्छ बंगाल बार्डर तक भाया माणिकपुर पथ 15.20 कि0मी0 अच्छी स्थिति में है । ओ0पी0आर0एम0सी0 फेज-2 में शामिल है, तत्काल अभी इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नौशाद आलम : सभापति महोदय, वह रोड बंगाल को जोड़ती है और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ भी उम्मीद करता हूं इस आशय के साथ कि इस साल नहीं तो उसको अगले साल किया जाय । अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम सं0-27,श्रीमती अमिता भूषण</u>

श्रीमती अमिता भूषण : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सरकारी कर्मियों की वर्ष 2005 से बंद कर दी गयी पुरानी पेंशन प्रणाली को राज्य में पुनः चालू करावे । ''

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए प्राख्यापित अंशदायी पेंशन योजन के सदृश्य ही राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं0-1964, दिनांक 31.08.2005 द्वारा दिनांक 01.09.2005 एवं इसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को समाप्त कर नयी पेंशन प्रणाली लागू किया गया था । नयी पेंशन प्रणाली की सेवा समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को राज्य में पुनः चालू करने का राज्य के स्तर पर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती अमिता भूषण : सभापति महोदय, वर्ष 2004 में तत्कालीन एन0डी0ए0 की सरकार ने केन्द्रीय कर्मियों तथा बाद में राज्य कर्मियों का पेंशन बंद कर दिया, जिसके कारण सरकारी कर्मियों में धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ी है । अभी केन्द्र सरकार ने भी महसूस किया है कि वृद्धावस्था सुरक्षित करने के लिए पेंशन दी जानी चाहिए। इसी तरह से राज्य सरकार ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाते हुए पत्रकारों को भी पेंशन दिया है । इसलिए मेरी मांग है कि राज्य की सरकार यह निर्णय ले और बंद हो चुके सरकारी कर्मियों का पेंशन चालू करे ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : वापस लीजिए ।

श्रीमती अमिता भूषण : मैं पुनः अपना प्रस्ताव जारी रखते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ और संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : आग्रह कर दीजिए ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं आग्रह करता हूँ कि माननीय सदस्या अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती अमिता भूषण : मैं भी आग्रह करना चाहती हूँ कि इसपर पुनः विचार करें माननीय मंत्री जी और अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-28,श्रीमती लेशी सिंह

श्रीमती लेशी सिंह : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिलान्तर्गत सरसी (एस0एच0) से भाया कादरगंज, समदा, डैनी होकर सबूतर होते हुए के0नगर (एन0एच0) तक तथा एन0एच0-107 चेथरियापीर से भाया हाटधनहटा, जयमंगला, जगनी मिलिक होकर चम्पानगर (पी0डब्लू0डी0 पथ) तक जानेवाली पथ का पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करावें ।''

टर्न-14/ज्योति/26-07-2019

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण के नयी नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नये पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती लेशाी सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूं कि जब भी नयी नीति बने तो इसको शामिल किया जाय । बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और अधिग्रहण करके पथ निर्माण विभाग बनाता है तो उस इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा इसी आशा के साथ मैं संकल्प वापस लेती हूॅ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम संख्या -29 श्री मनोहर प्रसाद सिंह

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य सुबोध राय जी प्रस्ताव पढ़ेंगे ।

श्री सुबोध राय : माननीय सभापति, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत मनिहारी घाट पर एक हजार सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का निर्णय करे ।''

श्री सुरेश कुमार शर्मा , मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मनिहारी घाट पर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव नगर पंचायत मनिहारी के बोर्ड से पारित नहीं है अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे संकल्प को वापस लें ।

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कि मुझे जानकारी दी है कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत मनिहारी नगर पंचायत के गंगा घाट पर शौचालयों का निर्माण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहॉ माघी पूर्णिमा सावन महीने के प्रत्येक रविवार, सोमवार, आदि पर्वों के बाद लाखों स्नानार्थी स्नान करने प्रति वर्ष आते हैं, उसमें बड़ी संख्या महिलाओं की होती है । बड़े पैमाने पर कई जिलों से लोग आते हैं । एल.सी.टी. घाट है तो अगर वहॉ शौचालय नहीं रहने के चलते वहॉ घाटों के किनारे काफी गंदगी फैलती है, प्रदूषण होता है पर्यावरण प्रदूषित होता है तो इन तमाम चीजों को देखते हुए वहॉ सरकारी भूमि भी उपलब्ध है तो इसलिए रेलवे की जमीन है और वह बिना उपयोग की है तो ऐसी स्थिति में उसपर निर्णय लिया जा सकता है और सरकार उसपर शौचालयों का निर्माण करा सकती है ।

श्री सुरेश कुंमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मनिहारी पंचायत से इसका प्रोपोजल आयेगा और वह रेलवे से अपनी बात कर लेंगे । अगर जमीन उपलब्ध होगी तब ही तो बनायेंगे इसलिए संकल्प को वापस लें ।

श्री सुबोध राय : हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या 30 श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी</u>

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में पिछले पॉच वर्षों में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 200 करोड़ एवं इससे ऊपर की राशि से निर्मित निर्माण कार्यों के मूल प्राक्कलन एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन सहित प्रत्येक निर्माण पर अलग-अलग कुल लागत खर्च की जॉच केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी सेल से कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करे।''

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, सी.वी.सी. ऐक्ट के बारे में जानकारी माननीय सदस्य को होगी तो उसको तो मैन्डेट ही नहीं है कि राज्य की योजनाओं का इसप्रकार की जॉच करे, तकनीकी सेल को, मगर जहॉ तक पथ निर्माण विभाग में 2 सौ करोड़ रुपये के ऊपर के जितने कार्य हैं महोदय, उसकी नियमित गुण नियंत्रण की जॉच की जाती है, कार्य के दरम्यान पथ के प्रमंडल के अंतर्गत प्रयोगशाला, संवेदक के प्रयोगशाला से नियमित रुप से जॉच की जाती है । सभी प्रमंडलों के कार्यों की जॉच उड़नदस्ता के चार प्रमंडलों द्वारा नियमित रुप से की जाती है साथ ही मुख्यालय के वरीय अभियंताओं द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है । इसके अतिरिक्त स्पेशल इंसपेक्शन ड्राईव चलाकर कार्यों का निरीक्षण किया जाता है । राज्य सरकार के अधीन महोदय निगरानी विभाग है जिसमें अलग से तकनीकी कोषांग तकनीकी मामलों का पर्यवेक्षण केस टू केस बेसिस पर ही करता है विभाग में प्रोजेक्ट के कंपलेन प्राप्त होने पर किसी मामले में निगरानी जॉच की आवश्यकता महसूस होती है तो विहित प्रक्रिया अपना कर निगरानी से भी जॉच समय समय पर करायी जाती है । इस प्रकार पूरी सतर्कता से सभी कार्यों की जॉच की जाती है और कार्य गुणवता के साथ कराया जाता है और मैंने पहले ही कहा महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को तो मैन्डेट भी नहीं है वह राज्यों की योजनाओं का पर्यवेक्षण करे । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, मैंने ये जो गैर सरकारी प्रस्ताव है, गैर सरकारी संकल्प- इस मकसद से लाया था कि जो दो सौ करोड़ से ऊपर वाली योजनायें हैं इसमें बड़ी बड़ी कंपनियॉ आती हैं । उनको निविदा मिलता है और वो बड़ी बड़ी जो कंपनियॉ हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उन कंपनियों का मगर वे कंपनियॉ हैं

जो निर्धारित अवधि है काम का, वो उस निर्धारित अवधि में काम नहीं करती हैं। दो साल , चार साल, पाँच साल खींचती हैं । इसकी वजह से फिर जो है वो रिवाईज्ड कराती हैं एस्टीमेट जिसके कारण सरकार पर और बिहार की जनता पर बोझ पड़ता है तो कम से कम मंत्री जी हमारे मकसद को जानते हुए सिर्फ इतना ही बता दें कि पाँच साल में जो दो सौ करोड़ के ऊपर वाली जो स्कीमें हैं उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, वह पूरी हुई है या नहीं हुई है और कितना लम्बा खींच रहा है और कौन कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो काम छोड़ कर चली गयी हैं तो अगर यह बता देते हैं तो हम वापस ले लेंगे और अगर नहीं बतायेंगे तो हम तो वोट करायेंगे ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, यह सवाल तो इनको लाना चाहिए था ध्यानाकर्षण में, ये सवाल केवल इतना ही है कि यह जो अभी संकल्प लाए हैं महोदय, आप गौर से देखिये इन्होंने लिखा है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी सेल से कराने का अनुरोध करे विषय इतना ही है महोदय, मैं इनको बतना चाहता हूं। मैंने कहा है इनको कि सी.वी.सी.ऐक्ट, 2003 है, उसकी धारा 8 पढ़िये आप उसमें सी.वी.सी. का ज्यूरिसडिक्शन डिफाईन है । इस ज्यूरिसडिक्शन में सी.वी.सी. के अधीन सीधे तौर पर राज्य सरकार के विभाग/ एजेन्सी नहीं आते हैं वरन केन्द्र सरकार के विभाग केन्द्र सरकार के अधीन कंपनी, सोसायटी, कॉरपोरेशन इत्यादि आते हैं चीफ टेक्नीकल एग्जामिनर के फंकशन में भी उपरोक्त केन्द्रीय विभाग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कार्यों का टेक्नीकल औडिट तकनकी मामलों में सी.वी.सी. को ऐडवाईस एवं सी.बी.आई. का असिस्टेंस शामिल है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा चीफ टेक्नीकल एग्जामिनर को केन्द्र सरकार के माध्यम से बंच औफ प्रोजेक्ट टेक्नीकल औडिट कराने का कोई प्रावधान ही नहीं है और इसलिए वहाँ जाने का विषय पैदा नहीं होता है । मैं दूसरी बात कहता हूं मैं आपसे जरुर कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो भ्रम है मैं उस भ्रम का भी निपटारा करना चाहता हूँ । महोदय, अभी पूरे राज्य के अंदर 43 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2 सौ करोड़ से अधिक के हैं । उन सभी प्रोजेक्टों का नाम गिनाने का कोई औचित्य नहीं हैं । चूँकि अगर बहस होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक घंटा तक कहिये तो मैं तैयार हूं इसके लिए मैं पूरा कागजात लेकर आय हूँ। आप पथ निर्माण मंत्री रहे हैं चूँ कि आपके जमाने में कभी दो सौ करोड़ का काम होता ही नहीं था । 100 करोड़ का भी नहीं होता था, 50 करोड़ का भी नहीं होता था । इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको उसका आईडिया नहीं होगा

लेकिनर आईडिया होगा भी तो जानप बूझ कर करना चाहते होंगे लेकिनर मैं बताना चाहता हूं आपसे कि बदल गया हे जमाना यह एन.डी.ए. की सरकार है और एन.डी.ए. की सरकार में अब वह सिस्टम नहीं है जो सिस्टम उस समय लागू होता था पूरा परिवर्तन हो गया है जितने बड़े प्रोजेक्ट है महोदय उसके पूरे सिस्टम बदल गए हैं और हर बड़े प्रोजेक्ट में अलग से औथरिटी इंजीनियर होते हैं महोदय, कहीं इंडीपेंडेंट इंजीरिनयर होते हैं महोदय, सुपरवीजन कंसलटेंट होता है महोदय, हर स्तर पर सुपरवीजरन की व्यवस्था है । और ये जो होते हैं महोदय, औथरिटी इंजीरिनयर, सुपरवीजन कंसलटेंट इंडीपेंडेंट इंजहीनियर जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट में हर स्तर पर उसकी जॉच की जाती है । मैं विस्तार से बताना चाहता हूॅ कि उपरोक्त सभी कामों में जितने काम किए जाते हैं रिक्वेस्ट फार इंसपेक्शन निर्गत करता है संवेदक करता है संवेदक बताता है कि हम काम नहीं करना चाहतें हैं आप इंसपेक्शन करिये । इंसपेक्शन के बाद महोदय कौन कौनर कार्य किए जायेंगे विहित प्रपत्र में भर कर दिया जाता है, उसके अनुसार पर्यवेक्षण परामर्शी अपने टीम से संबंधित अभियंता को उक्त कार्य की जॉच एवं उपस्थिति निर्देशित करते हैं, पर्यवेक्षण परामर्शी का दायित्व है कि सभी काम की नापी करके सभी जॉच से संतुष्ट होने के उपरांत आर0एफ0पाईल पर हस्ताक्षर अंकित करता है संवेदक को निर्देश जारी करता है सुधार करने के लिए अगर कोई गड़बड़ होता है और सुधार होने के बाद आर0एफ0पाईल को सुरक्षित रखा जाता है जिसका इस्तेमाल भुगतान हेतु विपत्र गठित करते वक्त किया जाता है । निर्माण सामग्री और कार्य के गुणवता की जॉच हेतु भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं भूतल मंत्रालय द्वारा जो निर्धरित मापदंड है महोदय वह त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था है । सर्वप्रथम संवेदक द्वारा सामग्री की जॉच की जाती है । उसके बाद पर्यवेक्षण परामर्शी द्वारा साईट यपर एवं प्रयोगशाला में गुणवता की जॉच की जाती है इस कार्य हेतं निरमित सड़क पुल का डिस्ट्रक्टीव एवं नन डिस्ट्रीक्टीव जॉच की जाती है । समय समय पर थर्ड पार्टी जॉच द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या अभियंत्रण महाविद्यालय में नमूना भेजजा जाता है और संवेदक के विपत्र भुगतान से पूर्व गुणवता जॉच से संबंधित सभी प्रक्रिया पूर्ण करके आश्वस्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाती है । तो ये जो आपके मन के अंद र आशंका है जो पाहले होता था कि मान लीजिये कि कोई सड़क बन रही है टाईम पास हो गया तो भईया बोलने दीजिये प्लीज । गंभीर विषय है समझिये । बेचारे को उनके समय में नहीं होता था, जानना चहाते

हैं, जानना चाहिए सबको । महोदय, मैं आपसे कह रहा था ये कि जो सिस्टम अभी है, बड़े प्रोजेक्ट मे और जो इनके मन के अंदर आशंका है, मैं इनकी आंशंका को दूर करना चाहता हूं अब वह सिस्टम F-2 वाला खत्म हो गया । आपके समय में जो सिस्टम था इनके जमाने में सिस्टम था F-2 एग्रीमेंट वाला वह सब कहॉं है अब तासे ब्लिकुल अलग प्रकार के सिस्टम लागू हो गए हैं इसमें आप जो कह रहे हैं रिवाईज्ड की चक्कर वह नहीं है अगर किसी प्रोजेक्ट में समय ज्यादा लग जाता है तो उसके दो कारण होते हैं । एक तो कारण होता है समय पर हम जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाते हैं हमारा दोष होता है तब फिरा रिवाईज की बात आती है दूसरा कारण होता है महोदय, कभी कभी कंपनी के पाास पैसे की कमी हो जाती है तो फिर उसके अलग कारण है अलग उसकी निरपटारा होता है लेकिन सभी स्थितियों में निर्माण में गुणवता के साथ कोई समझौता करने की कोइ्र गुजांईश आज के सिस्टम में नहीं है इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

टर्न–15/बिपिन/26.7.19

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, इन्होंने विस्तार से कहा कि आपके समय में, इनके समय में, आपके समय और इनके समय का सवाल हम नहीं पूछा है । हमने पांच साल का ही लाया है प्रस्ताव । अब चूंकि इन्होंने विस्तार से कह दिया .....

(व्यवधान)

हॉं, ठीक है, और बोलिएगा । हाउस अगर सहमत है तो और बोलिएगा । मगर कहा कि सांच को आंच क्या ? ठीक है । हमारा मकसद इतना ही था कि जो राशि मूल प्राक्कलन में है वो पांच साल–सात साल होने के बाद बोझ पड़ता है आप पर, विभाग पर, बिहार पर और आप कहियेगा तो दस नहीं, हम भी पचास योजना, अब आप ले लीजिए, रजौली वाला मामला का क्या था? मोहनिया वाला मामला का क्या था ? अब इन सारी चीजों का हम उल्लेख नहीं करना चाहते....

(व्यवधान)

ठीक है, हाउस सहमत है तो मगर ....

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: करिये हम तैयार हैं जवाब देने के लिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: हाउस सहमत है तो मैं .....

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब बात का जवाब दे सकता हूं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, कम-से-कम ये इतनी ही सूची सदन को उपलब्ध करा दें कि 200 करोड़ से ऊपर वाली ये-ये योजनाएं हैं, इसमें किसी तरह की त्रूटि नहीं है तो हम वापस ले लेंगे, नहीं तो हम काहे वापस लेंगे ?

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): यह गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: महोदय अभी इन्होंने रजौली, बख्तियारपुर की चर्चा की और आरा, मोहनिया की चर्चा की, हम बता देते हैं न ! क्या दिक्कत है ? करना ही क्या है?

रजौली, आरा, मोहनिया की चर्चा आप कर रहे हैं, कंट्रैक्टर बदमाशी किया था ....

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय मंत्री जी, यह अनावश्यक है । ये अगर वोटिंग करवा देंगे तो....

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: महोदय, पर्सनली छेड़ेंगे तो जवाब तो सुनना ही पड़ेगा महोदय, और उसमें इनके जो बगल में बैठते थे, वही मंत्री थे महोदय । कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ....

(व्यवधान)

पूरी बात सुनिये, पूरी बात सुनिये । आपकी जानकारी के लिए....

(व्यवधान)

बैठिये ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय मंत्री जी....

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: आपकी जानकारी के लिए कंट्रैक्टर कोर्ट गया, पांच करोड़ का क्लेम किया । केवल एक करोड़ उसका निकल रहा है । हमारी सफलता है । यह हमारे काम करने का जो तौर-तरीका है उसकी सफलता है....

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, अब चूंकि वित्त मंत्री भी हैं यहां और मैं भी वित्त मंत्री रहा हूं और इन्होंने कहा कि फ्लां के टाइम का, सांच को आंच क्या ? वित्त मंत्री ही कम-से-कम वह फाइल मंगाकर मोहनिया वाला और रजौली वाला देख लें ।

दूसरी बात, बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम ठप किए हुई है और काम नहीं कर रही है । मगर आप कम-से-कम इतना ही कह देते कि भाई, केंद्रीय सतर्कता आयोग से कराने की जरूरत नहीं है । राज्य सरकार करती है और अगर सदन चाहता है तो इन योजनाओं का डिटेल हम सदन के पटल पर रख देंगे ...

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: महोदय, आप उनको बोलने की अनुमति देंगे तो जवाब तो सुनना पड़ेगा । आप अगर उनको अनुमति देंगे तो मेरा जवाब सुनना पड़ेगा । ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कुछ बोल दें और आप कहिए वोटिंग करा दो । मेरा जवाब सुनिये, तब वोटिंग कराइए ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): हम तो उनको वापस लेने के लिए कह रहे हैं ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: नहीं लेना चाहते हैं वो महोदय । इनको तो राजनीति करनी है । इनका मतलब क्या है ? इनको उससे मतलब क्या है महोदय ? जब मैं विस्तार से बता रहा हूं कि हर बड़े प्रोजेक्ट में जांच का क्या सिस्टम है । मैंने यह भी कहा है कि निगरानी से हम जांच करा सकते हैं, हमने यह भी कहा कि हर स्तर पर जांच कराते हैं और मैंने यह भी कहा है कि सी.बी.सी. से जांच का प्रोविजन ही नहीं है, मैंडेट नहीं है उसको महोदय । उसके बाद ये नया प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं ...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस .....

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: नया प्रश्न का जवाब तो सुनना ही पड़ेगा । इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप इसमें राजनीति की बात छोड़ दीजिए और भरोसा करिए इस एन. डी.ए. की सरकार पर, पूरी गुणवत्ता के साथ, राज्य के खजाने के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं । योजनाओं को पूरा करेंगे । इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, कृपया अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, यदि माननीय मंत्री सहमत हैं कि अपनी निगरानी से जांच कराकर उसका प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे, तो हम वापस लेते हैं ....

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: महोदय, हर स्टेज पर जांच होती है उसकी । मैं कह रहा हूं हर स्टेज पर जांच होती है और ये अनावश्यक बात करना चाहते हैं महोदय ....

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मैं प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): प्रश्न यह है कि :

‘‘ यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में पिछले पॉच वर्षो में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 200 करोड़ एवं इससे ऊपर की राशि से निर्मित निर्माण कार्यो के मूल प्राक्कलन एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन सहित प्रत्येक निर्माण पर अलग अलग कुल लागत खर्च की जॉच

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी सेल से कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करे । ''

(घंटी)

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): इस प्रस्ताव को पुनः एक बार मैं लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): प्रश्न यह है कि:

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में पिछले पॉंच वर्षों में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 200 करोड़ एवं इससे ऊपर की राशि से निर्मित निर्माण कार्यों के मूल प्राक्कलन एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन सहित प्रत्येक निर्माण पर अलग अलग कुल लागत खर्च की जॉंच केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी सेल से कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करे । ''

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : खड़े होकर मतदान का परिणाम इस प्रकार है :

हां के पक्ष में - 52

ना के पक्ष में - 69

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न : 16/कृष्ण/26.07.2019

क्रम संख्या-31 श्री प्रभुनाथ प्रसाद

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आरा (भोजपुर) जिला के अगियांव प्रखंड अन्तर्गत डिलियां पंचायत के ग्राम डिलियां से पश्चिम बड़ी नहर में पुल का निर्माण करावें । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के पूरब तरफ डिलियां बसावट है जिसे पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत निर्मित पथ लसाढ़ी से गोरपा सीमाना पथ से संपर्कता प्रदत है । पुल के पश्चिम तरफ भिकमपुर टोला है जिसे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्त निर्माणाधीन पथ डिलियां लख से भिकमपुर तक पथ से संपर्कता हो जायेगी । अभिस्तावित पुल स्थल नहर पर है जो जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में है । इसके दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता देने की कार्रवाई की जा चुकी है ।

अत: इस नहर का पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से सअनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्रीह प्रभुनाथ प्रसाद : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम संख्या-32 श्री अजीत शर्मा

श्री अजीत शर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर शहर में स्थित एन0एच0-80 नाथनगर से घंटाघर होते हुये भागलपुर स्टेशन होते हुये तातारपुर तक फ्लाई ओवर का निर्माण करावें । "

श्री नन्दकिशोर यादव : सभापति महोदय, भागलपुर स्थित बाईपास निर्माण पूर्ण कर जून,2019 में वाहनों का परिचालन प्रारंभ होने के उपरांत एन0एच0 80 में चम्पा नाला होते हुये भागलपुर स्टेशन से शहरी भाग तातारपुर तक दबाव कम हुआ है । राष्ट्रीय उच्च पथ-80 में घोरघट से मिर्जाचौकी तक के 10 मीटर चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अजीत शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि बाईपास से जो ट्रकें चलती है वो जा रही है । मंत्री महोदय से आग्रह है कि पदाधिकारियों से जांच करवा लें, वहां पर जान जाने की स्थिति बनी रहती है, वहां पर स्कूल-कॉलेज हैं, जाम इतना रहता है कि बच्चे समय पर स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं । इसलिए मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जांच कराकर तातारपुर से घंटाघर तक फ्लाई ओवर का निर्माण कराने का काम करें । इसी अनुरोध के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रम संख्या-33 श्री प्रह्लाद यादव</u>

श्री प्रह्लाद यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के 28 पंचायत वाली सूर्यगढ़ा प्रखंड में एक महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना करें । "

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । सूर्यगढ़ा प्रखंड लखीसराय जिला के लखीसराय अनुमंडल के क्षेत्र अन्तर्गत है, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में के0एस0एस0कॉलेज, लखीसराय संचालित है । जिन प्रखंडों में कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं है वहां नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जा रही है । अतः सम्प्रति सूर्यगढ़ा प्रखंड में महिला डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री प्रह्लाद यादव : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह भी तो कह दीजिये कि भविष्य में इसपर विचार करेंगे । इतना भी तो बोल दें । अगर इतना बोल दीजियेगा तो वापस ले लेंगे, नहीं बोलियेगा तो वापस नहीं लेंगे ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अभी तो मैंने कहा कि उसकी व्यवस्था की जा रही है ।

श्री प्रह्लाद यादव : मै सूर्यगढ़ा की बात कर रहा हूं । माननीय मंत्री दूसरी चीज बोल रहे हैं । वह चीज बोल दे तब ...

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : हुजूर, माननीय सदस्य धमकी दे रहे हैं, जैसे सिद्दिकी साहब दे रहे थे तो सिद्दिकी साहब गिनती में हार गये और अब इनको हारना बाकी है ।

श्री प्रह्लाद यादव : माननीय मंत्री जी आप भविष्य के लिये इतना तो बोल दीजिये कि हम भविष्य में इस पर विचार करेंगे । इसी के साथ हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम संख्या-34 श्री अमित कुमार

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अनुपस्थित । कोई अधिकृत नहीं हैं ।

क्रम संख्या-35 श्री महबूब आलम

श्री महबूब आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई-बलरामपुर प्रखंड के मौलानापुर, खुराधार, बेलुडांगी, भीमियाल, फतेहपुर होते हुये एन0एच0-34 तक जानेवाली ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को खुराधार गांव के धार पर पुल निर्माण कराते हुये पथ निर्माण विभाग की सड़क में परिवर्तित करें । "

टर्न-17/अंजनी/दि0 26.07.2019

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नयी नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नयी पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरांत अग्रत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री महबूब आलम : सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-36, श्री व्यासदेव प्रसाद

(अनुपस्थित)

क्रम सं0-37, श्री निरंजन कुमार मेहता

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उदाकिशुनगंज अनुमंडल में मक्का की खेती की प्रधानता एवं बहुलता को देखते हुए उदाकिशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत मक्का आधारित उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना करावे ।"

श्री श्याम रजक, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार के द्वारा कोई इकाई की स्थापना स्वयं नहीं की जाती है । राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की उद्योग स्थापित करने की कोई योजना भी वर्त्तमान में विचाराधीन नहीं है । निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि

इकाई लगायी जाती है तो सरकार द्वारा प्रावधान के तहत सहायता दी जाती है । अतएव निजी उद्मियों को आगे आने की आवश्यकता है । राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 1.9.16 के प्रभाव से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अधिसूचित की गयी है, इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत मक्का आधारित उद्योग जिसमें स्टार्च एवं मवेशी पॉल्ट्री फीड निर्माण इकाई स्थापित है । 100 टन प्रतिदिन से अधिक उत्पादन क्षमतावाली इकाई की प्राथमिकता में तथा प्लांट एवं असैनिक मद में 5 करोड़ रूपये से अधिक पूंजी निवेश करनेवाली इकाई को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है । निवेश को आकृष्ट करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गयी है । मधेपुरा जिला मक्का आधारित उद्योग लगाने का कोई भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । इसके पड़ोसी जिला भागलपुर जिला में बेकरी उत्पाद की इकाई बैक क्लब फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की स्टेज-1 की क्लियरेंस दिया गया है । खगडिया जिला के मानसी में मेसर्स प्रीस्टाइन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के द्वारा दो मैट्रिक टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता का पॉल्टी फीड निर्माण इकाई निर्माणाधीन है । अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, बहुत ही किसान के हित की बात है ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय मंत्री जी ने तो डीटेल में जवाब दिया है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मेरा अनुरोध सुना जाय । मधेपुरा जिला मक्का का इलाका है। मैं तो उदाकिशुनगंज अनुमंडल की बात रखा हूँ । सभापति महोदय, किसान खुश तो सरकार खुश, किसान जो चाहेगा, वही होता है, किसान को खुश रखिए। इस बार 1550 रूपया में मक्का का दाम बाजार से खरीद हुआ है और वह दाम 1800 तक चला गया है । किसान का खुशी इस बार आप देखें हैं ? मक्का का जो दाम है वह 1800 रूपये तक गया, जिसके कारण किसान बहुत खुश हैं ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप अपने संकल्प को वापस लिजिए । माननीय मंत्री जी ने पूरा डिटेल के साथ जवाब दिया है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : एक मिनट सभापति महोदय । सबका विचार सुने तो मेरा भी विचार सुनिए । हम भी किसान हैं, सभी माननीय सदस्य किसान ही हैं । 1800 रूपये तक मक्का का बिक्री हुआ है, किसान में बहुत खुशी व्याप्त है, इसलिए हम चाहेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि उदाकिशुनगंज अनुमंडल में बिहार

सरकार की जमीन है और अगर वहां कारखाना लग जायेगा तो वहां के किसान खुश हो जायेंगे, मैं यह अनुरोध करते हुए अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0-38, श्री शकील अहमद खॉं

श्री शकील अहमद खॉं : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में उर्दू भाषा के अनुवादक, लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति करावे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जवाब गौर से सुनियेगा शकील साहेब । उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन राज्य के प्राय: सभी कार्यालयों यथा राजभवन, मुख्यमंत्री सचिवलय, सचिवालय स्थित सभी विभागों, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य सूचना आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, बिहार राज्य श्रमिक आयोग, आई0जी0 कार्यालय, डी0आई0जी0 कार्यालय, एस0पी0 कार्यालय, एस0डी0पी0ओ0कार्यालय, सभी थानों में, सभी समाहरणालयों में, सभी अनुमंडल कार्यालयों में जिला अनुवादक पदाधिकारी, वरीय उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक के पद सृजित किये गये हैं, इसके अलावे प्राय: कार्यालयों में उर्दूकर्मी पदस्थापित है तथा उर्दू संबंधी कार्य कर रहे हैं। रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग पटना को भेजा जा चुका है, जो आयोग के समक्ष चयन हेतु प्रक्रियाधीन है । आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति कर दी जायेगी ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्री शकील अहमद खॉं : महोदय, मेरी बात भी गौर से सुनी जाय । मैं इसको एक शेर के माध्यम से कहता हूँ जो मुख्यमंत्री जी को बहुत पसंद है । मुझे पता है । कलीम अजीज का शेर है ये - न दामन पर कोई छींटे, न खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल करोगे या कारामात करो । आइडियोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ, मैं खुद अपनी चिट्ठियां कई बार उर्दू रसूल खत में लिखा करता हूँ मंत्रालय को और वजीरेआला साहेब को भी और वहां से मुझे उर्दू रसूल खत में आज तक कोई जवाब नहीं आया है और इसलिए मैं सवाल करता हूँ, मैं जानता हूं कि कैबिनेट

की मिटिंग में कई बार फैसला हुआ है कि उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली जल्द-से-जल्द कर दी जायेगी और इसी तरह का टिका हुआ आंसर पिछले सेसन में भी दो बार मुझे मिल चुका है । इसलिए यह बता दें कि 2 महीने के अन्दर, 3 महीने के अन्दर, 6 महीने के अन्दर ट्रांसलेटर की बहाली हो जायेगी और मेरे जैसे एम0एल0ए0 को उर्दू स्क्रीप्ट में लिखे हुए खत का जवाब उर्दू में आ जायेगा । यह मुझे जवाब दे दिया जाय तो मैं अपना संकल्प वापस ले लूंगा।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि, लगता है, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि माननीय सदस्य गौर से सुनियेगा । ये कांग्रेस के सदस्य हैं, लंबे समय तक राज किये हैं । इसलिए मैंने कहा कि गौर से सुनियेगा । सभी पद सृजित किये गये हैं, चयन आयोग को जा चुका है नियुक्ति के लिए, नियुक्ति की कार्रवाई जल्द ही पूरी की जायेगी ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्री शकील अहमद खॉ : महोदय, वह कबतक पूरी की जायेगी और जब कांग्रेस की सरकार थी तो उर्दू दूसरी सरकारी जुबान बनी थी, यह मुझे मालूम है । महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि चयन की प्रक्रिया लम्बी होती है, आवेदन देगा, फिर परीक्षा होगी या अन्य कार्रवाई होगी तो इसमें तो समय लगेगा ही ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम सं0-39, श्री बीरेन्द्र कुमार</u>

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : श्री समीर कुमार महासेठ जी को प्राधिकृत किया गया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य की चिकित्सीय, शैक्षणिक एवं सामान्य सेवाओं में समानता लाने हेतु प्राध्यापकों एवं चिकित्सकों के समरूप राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष निर्धारित करे ।"

महोदय, बिहारवासियों की औसत आयु बढ़ी है । केन्द्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र है । बहुत मामले में बिहार ने ऐसा कदम उठाये हैं जो देश में पहला कदम हुआ है, मैं यह मांग करता हूँ कि इस मामले में भी

बिहार देश को दिशा देने का काम करे और प्राध्यापकों एवं चिकित्सकों के समरूप राज्य सरकार में भी सेवा-निवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित हो ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1989 दिनांक 29.06.2006 के द्वारा सरकारी सेवक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष निर्धारित है ।

2- राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भांति दिनांक 1.1.1996 से अपने सेवी वर्ग को केन्द्रीय सेवा शर्त्तों एवं सुविधाओं देने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमत है ।

....क्रमशः .....

टर्न-18/राजेश/26.7.19

श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्यमंत्री : क्रमशः... बिहार सरकार के सरकारी कर्मी के सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, जो केन्द्र के अनुरुप है । केन्द्र सरकार में कर्मियों के सेवानिवृती के उम्र को 60 वर्ष से 65 वर्ष किये जाने से संबंधी निर्णय की संसूचना प्राप्त नहीं है । सामान्यतः बिहार सरकार केन्द्र सरकार के अनुरुप ही केन्द्रीय प्रावधानों को अंगीकार करती है । फलतः माननीय सदस्य द्वारा लाये गये संकल्प के अनुरुप कोई भी प्रस्ताव न तो पूर्व से विचाराधीन है और न ही लंबित है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार के डी0डी0ओ0 नं0 इतना-इतना दिनांक 14.6.10 के आलोक में केन्द्रीय निर्णय को अंगीकृत करते हुए स्वास्थ्य सेवा के शिक्षकों की उम्र सीमा 65 वर्ष तक बढ़ायी गयी है । राज्य सरकार सेवा शर्तों के मामले में केन्द्र सरकार के प्रावधानों को अपने राज्य की स्थिति में अंगीकृत करती है । भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है । सभापति महोदय, केन्द्र के अनुरुप हम यहाँ निर्णय करते हैं, केन्द्र जिस दिन निर्णय लेगा, उसी दिन बिहार सरकार भी उसपर निर्णय लेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री समीर कुमार महासेठः महोदय, मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 40, श्री नीरज कुमार ।

श्री नीरज कुमार: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत एन0एच0-77 नरहिया से सलेमपुर, समेली, एन0एच0-31 हॉस्पिटल चौक से होते हुए मधेली से कटिहार एन0एच0आई0 तक जर्जर पी0डब्लू0डी0 पथ को शीघ्र पुनर्निमाण करायें ।''

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, एक ही सवाल प्रश्न में भी आ जाता है और संकल्प में भी आ जाता है, इसका तो जवाब हमने बुधवार को ही दिया था । महोदय, विषयांकित पथ संख्या-एस0एच0-77 नरहिया के नजदीक से समेली गॉव होते हुए एन0एच0-31 क्रॉस कर मधेली बरारी होते हुए रोहनिया शरीफगंज तथ का पथ वित्तीय वर्ष 2019-20 में आर0आई0डी0एफ0 में प्रस्तावित है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री नीरज कुमार: बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम संख्या: 41, श्रीमती सावित्री देवी ।

श्रीमती सावित्री देवी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह चकाई विधान सभा क्षेत्र के श्रवण बकशीला पथ में अवस्थित धतुरिया नदी पर पुल का निर्माण यथाशीघ्र करावें ।''

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, संकल्पाधीन स्थल पर पुल निर्माण कार्य संवेदक को आवंटित है लेकिन वन भूमि अभियोजन हेतु राशि भी वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है । वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के उपरान्त कार्य प्रारंभ किया जायेगा । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्रीमती सावित्री देवी: महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह):सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 42, श्रीमती गुलजार देवी ।

श्रीमती गुलजार देवी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही, फुलपरास एवं घेाघरडीहा प्रखंडन्तर्गत नरहिया एन0एच0:57 से कूपहा ग्रामीण पथ का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग में करें ।''

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर पथ अधिग्रहण की नई नीति की गठन प्रक्रियाधीन है । नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद

समीक्षोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्रीमती गुलजार देवी: महोदय, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 43, श्री अशोक कुमार (क्षेत्र सं0:132)

श्री अशोक कुमार (क्षे0सं0-132): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड के नागरबस्ती के राजघाट में बूढ़ी गंडक नदी पर जनहित में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावें ।''

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल के बॉये तरफ अवस्थित बसावट नागरबस्ती को एम0जी0एस0वाई0 पथ की संपर्कता प्राप्त है एवं दॉये तरफ अवस्थित बसावट हकीमाबाद को भी पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्तर राज्य कोरनेट वर्क में किसी भी स्वीकृत आरेखन पर नहीं है । पुल स्तर के अप स्टीम में 4 किलोमीटर की दूरी पर पुल पूर्व से निर्मित है । इसलिए इसपर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री अशोक कुमार(क्षे0सं.132): महोदय, मै अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 44, श्रीमती बेबी कुमारी ।

श्रीमती बेबी कुमारी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा के पूर्ण निर्माण एवं परिचालन हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करें ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा भारतीय विमानपतनम प्राधिकरण के अधीन है । उक्त हवाईअड्डे को क्षेत्रीय संपर्कता योजना आर.सी. एस. के अन्तर्गत विकसित करने हेतु विमानपतनम प्राधिकरण को अनुरोध किया गया है । क्षेत्रीय संपर्कता योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में बिडिंग हेतु पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, देवघर, पटना को वायुयान से जोड़ने हेतु पत्रांक-267 दिनांक 3.11.17 के द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है ।

श्रीमती बेबी कुमारी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और अपना संकल्प को वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 45, श्री आनन्द शंकर सिंह ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य श्री आनन्द शांकर सिंह जी के संकल्प को माननीय सदस्य राजेश कुमार जी पूछेंगे ।

श्री राजेश कुमार: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के फेसर पचरुखिया पथ पर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण के लिए केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करें ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के फेसर पचरुखिया पथ पर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को उपयोगी पाया गया है एवं रेलवे ओवरब्रिज की आवश्यकता पायी गयी है । रेलवे ओवरब्रिज के लिए सरकारी भूमि भी उपलब्ध है । अत: औरंगाबाद जिलान्तर्गत के फेसर पचरुखिया के पथ पर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय को अनुरोध करेगी ।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): चलिये, आपका तो स्वीकृत हो गया ।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के फेसर पचरुखिया पथ पर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण के लिए केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राजेश कुमार: बहुत-बहुत धन्यवाद ।

क्रम संख्या: 46, श्री अवधेश सिंह ।

श्री अवधेश सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर नगर के विभिन्न पथों यथा-स्टेशन रोड, अस्पताल रोड, गुदरी रोड, कचहरी रोड, सिनेमा रोड, सुभाष चौक को अतिक्रमण से मुक्त करावें ।''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: महोदय, नगर परिषद्, हाजीपुर द्वारा जिला एवं अनुमंडल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अनुमंडल स्तर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के नेतृत्व में संकल्प में वर्णित पथों का अतिक्रमण हटाया जाता है । नगरपरिषद् हाजीपुर के अनुरोध पर अनुमडल पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक संख्या-5 दिनांक 12;3.15, 1176 दिनांक 1.8.17, 1415 दिनांक 22.9.17, 1461, दिनांक 14.9.17, 1703 दिनांक 22.11.17, 155 दिनांक 6.2.18, 392 दिनांक 26.3.18, 425 दिनांक 31. 3.18, 887 दिनांक 6.8.18 द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के नेतृत्व में सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया है, परन्तु अतिक्रमणकारियों द्वारा इसके अलावा 93,700/- रुपया दंड भी वसूली की गयी है, पुन: अभियान चलाने हेतु नगरपरिषद हाजीपुर को पत्राक-154 दिनाक 167.19 द्वारा दंडाधिकारी एवं पुलिस प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र दिया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

टर्न-19/सत्येन्द्र/26-7-19

श्री अवधेश सिंह: सदर हॉस्पीटल है, जाम रहने के कारण एम्बुलेंस फंस जाती है। सरकार को कोई स्पष्ट नीति बनानी चाहिए शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए और इस आग्रह के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या- 47,श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव</u>

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादवः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण करावें ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, पटना हवाई अड्डे के अतिरिक्त बिहटा में भारतीय वायुसेना के बिहटा सैन्य हवाई अड्डा को अंतरार्ष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जाता है । अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूॅं कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह): अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः महोदय, वापस तो ले ही लिया जायेगा लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी भी जानते हैं राजगीर के महत्व को, अंतरार्ष्ट्रीय मानचित्र पर उसका एक अलग स्थान है महोदय और अंतरार्ष्ट्रीय पर्यटक जब आते हैं तो पटना उतर करके तब उनको वाई रोड जाना होता है महोदय और ऐसी परिस्थितियां हुई है जब देश के बड़े नामी लोग जिनको जाना पड़ता है, उनके लिए हवाई अड्डा वहां नहीं है महोदय तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री...

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, इसकी भायब्लिटी, उसकी नेसेसिटी को कोई इंकार नहीं कर सकता है । उस जगह की जो महत्ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परन्तु हमारी सरकार बोलती कम है, करती ज्यादा है । जब मामले आगे बढ़ेंगे, विचार विमर्श का क्रम चल रहा है तो फिर माननीय सदस्य को बताया जायेगा । अभी वे वापस ले लें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः चलिये इस आशय के साथ कि आपने सकारात्मक रूख अख्तियार करने का निर्णय लिया है तो मैं अपना संकल्प वापस लेता हूॅं ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रम संख्या- 48,श्री शम्भुनाथ यादव</u>

(अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 49,श्री विजय कुमार मंडल

श्री विजय कुमार मंडल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के रतवा नदी के कौडेली घाट पर पुल का निर्माण करावें।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल रतवा नदी पर नहीं है बल्कि बकरा नदी पर अवस्थित है । अभिस्तावित पुल अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के राज्य कोर नेटवर्क के क्रमांक 53 पर अंकित पैरवाहखुड़ी से कोढ़ौली कच्ची पथ के आरेखन पर अवस्थित है । इस पथ सहित अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु एम0जी0एस0वाई योजना अन्तर्गत सर्वे का कार्य कराया जा रहा है । तदुपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने का कष्ट करें ।

श्री विजय कुमार मंडल: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 50,श्री तारकिशोर प्रसाद

श्री तारकिशोर प्रसाद: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में अपराधियों द्वारा विशेष रूप से व्यवसायियों एवं उद्यमियों पर हमले, रंगदारी एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आपराधिक घटनाओं को बेहतर तरीके से रोकने एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक अलग पुलिस बल का गठन करें ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, औद्योगिक नीति को सफल बनाये रखने, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा सुदृढ़ करने तथा राज्य में अपराधियों द्वारा विशेष रूप से व्यवसायियों एवं उद्यमियों पर हमले, रंगदारी एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अपराधिक घटनाओं को बेहतर तरीके से रोकने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अनुरूप बिहार सैन्य पुलिस के अन्तर्गत बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के 20-20 ईकाइयों के दो वटालियन का सृजन एवं उनके संचालन हेतु 2698 पदों का सृजन गृह विभाग पटना का ज्ञापांक 8283 दिनांक 16-10-17 के द्वारा की गयी है । उक्त दोनों वाहिनियों में प्रथम वाहिनी

का मुख्यालय बिहार सैन्य पुलिस विभाग, डुमरांव एवं दूसरे वाहिनी का मुख्यालय बेगुसराय परिसर में किया गया है । साथ ही क्षेत्र आधारित मामलों में पुलिस अधीक्षकों से प्राप्त क्षेत्र असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार, पटना का संकल्प संख्या 3663 दिनांक 2-5-17 में वर्णित प्रावधानों के तहत विशेष सुरक्षा समिति के स्तर से निर्णय लिया जाता है तथा सुरक्षा जिला स्तर से उपलब्ध करायी जाती है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें इसलिए कि जो उनके संकल्प का मकसद था वह सरकार पहले से ही कर रही है ।

श्री तारकिशोर प्रसादः सभापति महोदय, सरकार द्वारा बेहतर कदम उठाये जाने के कारण सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह)सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 51, श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हाः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड के गैनी पंचायत के गैनी गांव एवं अरि गांव के मध्य में नाला(पईन) अवस्थित है, जिस पर पुल का निर्माण करावें ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में उल्लिखित ओबरा प्रखंड के गैनी गांव एवं अरि गांव पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ एन0एच0 139 इस्लामपुर गैनी परिहारा एल0 42 पथ पर अवस्थित है । प्रश्नाधीन नाला (पईन) अरि गांव के आंतरिक पथ पर है जो किसी कोर नेटवर्क में नहीं है । इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने का कष्ट करें ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हाः सभापति महोदय, आजादी के 70 साल के बाद भी जिस गांव को एक पुल नसीब नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि ग्रामीणों के हित में एक पुल का निर्माण करावें ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह)संकल्प वापस लीजिये ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हाः मंत्री महोदय जी जवाब दे दें । में इस प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

सभापति (श्री मो0 नेमातुल्लाह) : वापस लीजिये ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा : मैं वापस ले लूंगा लेकिन मंत्री जी का आश्वासन हो जाय कि इसको करा दिया जायेगा तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, यह गांव का आंतरिक पथ है ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा: हम वापस कहां लिये हैं महोदय । हम प्रस्ताव को वापस नहीं लिये हैं लेकिन मैं विनम्र निवेदन के साथ आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि 70 साल आजादी के बाद भी जिस गांव को एक पुल नसीब नहीं हुआ है, आवागमन का साधन नहीं है, उस पर आश्वासन दें कम से कम ।

(इस अवसर पर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: आपने शर्त्त के साथ वापस ले लिया है ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, हमने बताया कि ये गांव का आंतरिक पथ है और आंतरिक पथ जो सात निश्चय से बनता है, गांव के बाहर सम्पर्कता देना जो हमलोगों का काम है, वह सम्पर्कता गांव को मिल चुका है । माननीय सदस्य जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वह गांव का आंतरिक पथ है महोदय ।

टर्न-20/मधुप/26.07.2019

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा : महोदय, सात निश्चय से यह योजना होने लायक नहीं है, यह योजना करोड़ो रूपये की है ।

अध्यक्ष : आप मंत्री जी को अलग से अलग से लिखकर दे दीजियेगा । अभी वापस ले लीजिये ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा : महोदय, दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : अभी वापस ले लीजिये न । रिजेक्ट हो जायेगा तो और गड़बड़ होगा न ! वापस ले लीजिये ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा : मंत्री महोदय से....

अध्यक्ष : अभी मंत्री महोदय से नहीं, सदन से वापस ले लीजिये ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा : ठीक है, मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 52 : श्रीमती पूनम देवी यादव

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया प्रखंड अंतर्गत रहीमपुर मध्य पंचायत के NH-31 मोरकाही बाबा टोला से चम्मन टोला तक की सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्माणाधीन है जिसकी कुल लम्बाई 2150 मीटर में से 800 मीटर का कार्य प्रगति पर है । शेष लम्बाई 1350 मीटर में विवादित जमीन रहने के कारण कार्य बंद है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया के पत्रांक 271 अनु0 दिनांक 02.03.2019 द्वारा जिलाधिकारी, खगड़िया/बेगुसराय को जमीन की पैमाईश हेतु पत्र लिखा गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 में यह पथ का शिलान्यास हुआ लेकिन....

अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि जमीन का अधिग्रहण का मामला है ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : महोदय, तीन साल से लिखते-लिखते जमीन....

अध्यक्ष : अभी वापस ले लीजिये न ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : वापस लेंगे लेकिन मंत्री जी जल्दी बनवा दें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 53 : श्री विजय कुमार खेमका

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत पूर्णिया पूर्व प्रखंड के लालगंज पंचायत में कारी कोसी नदी के छत्तीस-चालीस घाट पर जनहित में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ के बसावट को शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना निर्मित टी 07 से

छत्तीस-चालीस विक्रमपट्टी पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरे तरफ के बसावट को शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत निर्मित हरदा शिव मंदिर से जब्बार कामत (पंडित टोला) पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अत: इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ सड़क है...

अध्यक्ष : वह सब बात मंत्री जी को अलग से बता दीजियेगा, अभी तो वापस लीजिये न !

श्री विजय कुमार खेमका : मंत्री जी से खाली आग्रह है कि 4-5 पंचायत को जोड़ता है, इसलिये इसपर पुनर्विचार करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : अभी लिखकर दे दीजियेगा तो उनके संज्ञान में भी रहेगा ।

सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 54 : श्री राज कुमार राय

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड के छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु एक डिग्री कॉलेज का निर्माण करावे ।''

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्त्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । हसनपुर प्रखंड समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत आता है जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में यू0आर0 कॉलेज, रोसड़ा संचालित है । जिन प्रखंडों में कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं है वहाँ नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जा रही है ।

अत: सम्प्रति हसनपुर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : राजकुमार जी, वापस ले लीजिये, कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री राज कुमार राय : महोदय, योजना सरकार बनावे इसलिये कि वहाँ क्षेत्र में हसनपुर बिथान में लगभग चार प्रखंड वहाँ है...

अध्यक्ष : अभी जो नीति है, उसमें वहाँ कोई योजना नहीं है । अभी तो वापस ले लीजिये।

श्री राज कुमार राय : महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि योजना बनाकर सरकार वहाँ डिग्री कॉलेज खोले । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 55 : श्री चंदन कुमार

श्री चंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड में खगड़िया अलौली पी0डब्लू0डी0 पथ धोबहट्टा से अलौली अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है, का पुनर्निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ पी0डब्लू0डी0 से रामनगर (देवहट्टा चौक से अलौली हथवन पी0डब्लू0डी0 पथ) के नाम से पथ मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है । तदुपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : इस्टीमेट वगैरह की प्रकिया चल रही है, वापस ले लीजिये ।

श्री चंदन कुमार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 56 : श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत सिकंदरा प्रखंड में कृषि विज्ञान केन्द्र का निर्माण करावे ।''

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाती है । माननीय सदस्य की माँग के आलोक में जमुई जिलान्र्तगत सिकंदरा प्रखंड में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से अनुशंसा किया जायेगा।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : धन्यवाद । प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 57 : श्री सुधांशु शेखर

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड में एक सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करे।"

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्त्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । मधवापुर प्रखंड मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत आता है जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में के0बी0 साइंस कॉलेज, बेनीपट्टी संचालित है । जिन प्रखंडों में कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं है वहाँ नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जा रही है ।

अत: सम्प्रति मधवापुर प्रखंड में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : स्पष्ट है । वापस ले लीजिये ।

श्री सुधांशु शेखर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 58 : श्री मो0 तौसीफ आलम

अध्यक्ष : मो0 आफाक आलम अधिकृत हैं ।

मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखंड में कालपीट के पास कनकई नदी में ध्वस्त पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित ध्वस्त पुल शीर्ष राज्य योजनान्तर्गत निर्मित तुलसिया से बीबीगंज पथ के आरेखन में अवस्थित है । उक्त

ध्वस्त पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 की माँग की जा रही है । तद्नुसार अगेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : अब तो प्रक्रिया शुरू हो गई है, वापस ले लीजिये ।

मो0 आफाक आलम : महोदय, वापस तो ले ही रहे हैं लेकिन जितना जल्द हो सके, इसको करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 59 : श्रीमती सुनीता सिंह चौहान

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड में कोसलो एवं मोतनाजे सड़क के सामने बागमती नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ शिवहर जिलान्तर्गत सलेमपुर बसावट पी0डब्लू0डी0 पथ शिवहर से मुजफ्फरपुर पथ पर अवस्थित है । कोसलो एवं मोतनाजे गाँव की सम्पर्कता पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से प्राप्त है । दूसरी तरफ कोई भी योग्य बसावट नहीं है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, कोसलो एवं मोतनाजे के सामने बागमती नदी पर पुल निर्माण के लिए 14 सितम्बर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, फिर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पायी है ।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि जनहित में उक्त जगह पर पुल निर्माण कराने का निर्देश देना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : अभी अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-21/आजाद/26.07.2019

क्रम संख्या-60 : श्री विनय वर्मा

श्री विनय वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र के सुगौली पंचायत के चौबर ग्राम से बिरती ग्राम होते हुए सुगौली पीच रोड तक सड़क का जीर्णोद्धार करावें । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 1.34 कि0मी0 है, जो ईटीकृत है। चौबर ग्राम एवं सुगौली ग्राम को अलग-अलग पी0एम0जी0एस0वाई0 पथों से सम्पर्कता प्राप्त है । बिरती टोला चौबर ग्राम के आंतरिक पथ पर अवस्थित है । पथ राज्य कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : ठीक है, यह दूसरे विभाग से होगा, अभी इसको वापस ले लीजिए ।

श्री विनय वर्मा : महोदय, मुझे एक बात कहनी है, अभी हमारे यहां बाढ़ है । इस सड़क के बारे में एजक्यूटिव इंजीनियर हमसे ही पूछकर जवाब लिखवाये हैं । महोदय, एजक्यूटिव इंजीनियर पूछ रहे थे कि यह सड़क कहां है, फोन से पूछ रहे थे, कहा जायेगा तो रिकोर्डिंग भी दे देंगे । दूसरी बात ...

अध्यक्ष : इसका मतलब है कि अधिकारी आपके विश्वास में ज्यादा रहते हैं ।

श्री विनय वर्मा : विश्वास नहीं सर । महोदय, उनकी पोस्टिंग नरकटियागंज में एजक्यूटिव इंजीनियर...

अध्यक्ष : इसको नये सिरे से करियेगा न, अभी वापस ले लीजिए ।

श्री विनय वर्मा : एक बात महोदय, माननीय मंत्री को सिर्फ बता देना चाहते हैं । उनकी पोस्टिंग एज ए एजक्यूटिव इंजीनियर, नरकटियागंज में है और वे चार विधान सभा को देखते हैं लेकिन वहां रहते नहीं है । उनके एस0डी0ओ0 और वे पूरे टीम के साथ बेतिया में रहते हैं । अभी बाढ़ में हमारे यहां दो आदमी मर गये हैं सर, हमारे यहां सड़क टूट गई है लेकिन ये लोग देखने तक नहीं आये हैं । मंत्री महोदय जी, इसके लिए हम मिलेंगे, इनसे रिक्यूस्ट करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसे वापस ले लीजिए ।

श्री विनय वर्मा : महोदय, मै इसे वापस लेता हूॅं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-61 : श्री रामचन्द्र सहनी

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या-62 : श्री मो0 नवाज आलम

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र के शहरी इलाके में बुडको द्वारा प्रस्तावित आऊट फॉल नाला मुख्य रूप से मिल्की मुहल्ला नाम का निर्माण करावें ।''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आरा शहर के जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु आरा स्ट्रौंग वाटर ड्रैनेज का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी जॉंच विभाग के स्तर पर करा दी गई है । राशि की उपलब्धता के आलोक में योजना स्वीकृति पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

अत: आग्रह है कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लें ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, यह लगभग दो साल से, माननीय मुख्यमंत्री जी 30.1.2017 को बैठक किये थे समीक्षात्मक, उसमें जो है आऊट फॉल नाला ड्रैनेज का प्रस्ताव आया, उसका डी0पी0आर0 भी बन गया लेकिन एक भी नाला, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं महोदय कि पूरे आरा की आबादी मिल्की मुहल्ले नाले से गुजरती है और पूरा जल-जमाव बना रहता है । महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि कम से कम वहां जल से निजात के लिए उसको अविलम्ब बनवा दें ।

अध्यक्ष : अभी वापस ले लीजिए ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूॅं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-63 : श्री सत्यदेव सिंह

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला अरवल के बंशी-प्रखंडान्तर्गत स्थित ग्राम-मोगलापुर के निजी जमीन खाता नं0-112, 117 प्लौट नं0-607/2084 एरारजी-2.72 डी0 का अधिग्रहण कर सड़क का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित संकल्प में उल्लेखित बसावट मोगलापुर को आई0ए0पी0 योजनान्तर्गत निर्मित पथ वंशी से मोगलापुर पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है ।

उक्त के आलोक में निजी भूमि का अधिग्रहण कर पथ निर्माण कार्य कराने का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-64 : डॉ0 रामानुज प्रसाद

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर विधान सभा क्षेत्र एवं पूरे प्रदेश में अनसर्वे लैण्ड/टोपू लैण्ड के नाम पर पिछले 05 वर्ष से बंद भूमि का निबंधन, दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी का कार्य प्रारंभ करावें । ''

अध्यक्ष : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग । इसपर विस्तृत चर्चा हुई है । सरकार का इसपर नीति निर्माण चल रहा है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है, जल्दी निष्पादन के लिए हमलोग चाहते हैं, चूँकि हमलोग सफरर हैं ।

अध्यक्ष : इसपर इतनी लम्बी चर्चा हो चुकी है । अभी तो वापस ले लीजिए, इसको तो आसन को भी देखना है, आपसे भी बात कर लेंगे, इसे अभी वापस ले लीजिए।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : मंत्री जी का इसपर कुछ नहीं आयेगा महोदय ।

अध्यक्ष : इतनी बात तो मंत्री जी ही न बताये थे, हम थोड़े बताये हैं । अभी तो वापस ले लीजिए।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-65 : श्री राजेश कुमार

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र के कुटुम्बा प्रखंडान्तर्गत अम्बा चिल्हकी हाई स्कूल के मैदान में स्टेडियम का निर्माण करावें । ''

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत एक प्रखंड में एक आऊटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखंड के उच्च विद्यालय, कुटुम्बा में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । अतः एक प्रखंड में अन्य स्टेडियम के निर्माण पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां का प्रस्ताव दिया हूँ, वही का प्रस्ताव आप दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप वापस ले लीजिए ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-66 : श्री ललन पासवान

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी गुप्ताधाम जाने के लिए दरिगांव-मल्हीपुर पथ से पचौरा-घाट होते हुए औरईया, भुड़कुड़ा के आगे गुप्ताधाम तक सड़क वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्माण करावें । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड-चेनारी ददिगांव- मल्हीपुर पथ से पचौरा तक पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित

है । औरईया एवं भुड़कुड़ा बसावटों की आबादी क्रमशः लगभग 434, 439 है । यह पी0एम0जी0एस0वाई0 कोरनेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक-558 पर अवस्थित है । वन विभाग से अनापत्ति हेतु पत्र दिया गया है । तदनुसार प्राथमिक क्रमानुसार इसका निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री ललन पासवान : महोदय, यह गुप्ताधाम बहुत ही विख्यात जगह है ...

अध्यक्ष : वह तो वही कह रहे हैं ।

श्री ललन पासवान : सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सी0एम0 श्री सुशील कुमार मोदी जी सब कोई हैं सर । गुप्ता धाम जाने के लिए कोई रास्ता सड़क मार्ग से नहीं है । एक मिनट सुन लिया जाय सर।

अध्यक्ष : अब उसमें तो आप लिखे ही हैं वहां तक ।

श्री ललन पासवान : सर, सुन लीजिए न ।

अध्यक्ष : इसमें क्या सुनेंगे ?

श्री ललन पासवान : सर, वहां जाने के लिए 17-18 कि0मी0 और हर साल सर एक दर्जन से दो दर्जन लोग नदी में बह जाते हैं । इसलिए एन0ओ0सी0 वन विभाग से लें, इसको पी0डब्लू0डी0 बनावें, ग्रामीण कार्य विभाग बनावें, मतलब वह नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे रेहल से रोहतास और भभुआ दोनों 55 कि0मी0 लगभग है और यह कार्य योजना में है माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से । महोदय, हम चाहते हैं कि वहां बन जाने के बाद केदारधाम की तरह वहां लाखों लोग चारों तरफ से लोग जाते हैं, झारखंड से, बिहार से, छतीसगढ़ से और बिहार से झारखंड अलग होने के बाद देवघर के बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इसलिए बन जाय, यही चाहते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : अभी वापस ले लीजिए ।

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

(सभा की सहमति हुई)

<u>क्रम संख्या-67 : डॉ0 रंजु गीता</u>

डॉ0 रंजु गीता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रखंड बाजपट्टी पंचायत हरपुरवा प्रधानमंत्री सड़क से धनकौल, बेलहिया, मधुबनी, बेलहिया कब्रिस्तान से बुढ़ा बाबा के स्थान, विजय सिंह के घर से मुरौल बरई टोला, भासेपुर बाजार, रतनपुरा, हुमॉयुपुर बाजार, छोटी भदियन(मठ), बड़ी भदियन चौक तक की जर्जर सड़क का पुल-पुलिया के साथ निर्माण की स्वीकृति सुनिश्चित करावें । ''

टर्न-22/शंभु/26.07.19

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित प्रश्न 9 पथों से संबंधित है :- 1- हरपुरवा से धनकौल पथ । यह पथ पी0एम0जी0एस0वाइ0 द्वारा निर्मित है जिसकी अनुरक्षण अवधि समाप्त हो गयी है । बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । 2- बेलहिया मधुबनी पथ यह पथ पी0एम0जी0एस0वाइ0 द्वारा निर्मित पथ है जिसकी अनुरक्षण अवधि समाप्त हो गयी है । बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । 3- भदियन मठ से भदियन चौक पथ यह भदियन ग्राम का आंतरिक पथ है । भदियन ग्राम को आर0सी0डी0 पथ से संपर्कता प्राप्त है । 4-भदियन चौक से बेलहिया पथ यह भदियन ग्राम का आंतरिक पथ है । बेलहिया ग्राम एवं भदियन चौक को आर0सी0डी0 पथ से संपर्कता प्राप्त है । 5- बेलहिया से बेलहिया कब्रिस्तान पथ यह पथ बेलहिया ग्राम का आंतरिक पथ है। बेललिया ग्राम को पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

अध्यक्ष : ठीक है, बाकी देख लीजिएगा । वापस ले लीजिए ।

डा0 रंजु गीता : जी वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-68, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत मेहसी प्रखंड के उझीलपुर में इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ उझीलपुर एवं दूसरी तरफ इब्राहिमपुर को पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत आरेखन पर नहीं है । पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 5 कि0मी0 दूरी पर पुल अवस्थित एवं डाउन स्ट्रीम में 4 कि0मी0 की दूरी पर कटहा घाट पुल निर्माणाधीन है । पुल निर्माण का तत्काल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वह बहुत महत्वपूर्ण पुल है । मैं आग्रह करूँगा कि उसको बनवा दें, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-69, डा0 अब्दुल गफूर

डा0 अब्दुल गफूर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत नवहट्टा प्रखंड के बकुनियां गांव के निकट कोशी नदी के उप शाखा में पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल दो जिला दरभंगा एवं सहरसा को जोड़ता है । पुल स्थल के एक तरफ सहरसा जिला के अन्तर्गत बकुनियां गांव के संपर्कता हेतु एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित पथ छतवन घाट से बकुनियां पथ से प्राप्त है एवं पुल के दूसरी तरफ दरभंगा जिलान्तर्गत सिरनियां गांव को शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित पथ एल-029 सिरनियां से लक्षमिनियां पथ से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत पथ के आरेखन पर नहीं है । अतः प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

डा0 अब्दुल गफूर : आग्रह करेंगे कि विचार करें और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।
अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-70, श्री मनोज कुमार
(मा0स0श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव प्राधिकृत)

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के लहा पंचायत एवं ईटार पंचायत के मध्य अवस्थित तेमुरा ग्राम में मदार नदी में मुख्यमंत्री सेतु योजना से 2015 में निर्मित पुल के दोनों तरफ संपर्क पथ का निर्माण करावे ।। ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उल्लेखित पुल बिहार राज्य पुल निगम द्वारा निर्मित है । पुल स्थल के एक तरफ तेमुड़ा बसावट है जिसे पी0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत लट्टा से तेमुड़ा पथ से संपर्कता प्रदत्त है । तेमुड़ा से पुल स्थल पर 500 मी0 लंबाई में रैय्यती जमीन है एवं कोई बसावट नहीं है। पुल के दूसरी तरफ 1.80 कि0मी0 लंबाई के बाद बराही पोथू कोइलमा पथ निर्माण विभाग का पथ है । इस 1.80 कि0मी0 के रेखांकन में कोई बसावट नहीं है । रैय्यती भूमि के कारण संपर्क पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : श्याम बाबू प्रसाद जी, जमीन रैयती है, सड़क नहीं बन सकती है । वापस कीजिए ।
श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : जी वापस लेता हूँ ।
अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-71, श्री सुवाष सिंह

श्री सुवाष सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्व में निर्मित हीरापाकड़ स्लूइस गेट से निर्बाध जल निकासी के लिए हरपुर ग्राम में सारण तटबंध में स्लूइस गेट का निर्माण करावे । ''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत गंडक नदी के दायें तट पर निर्मित हीरापाकड़ मशान थाना छड़की एवं मंगराहा छड़की के बीच निर्मित हीरापाकड़ स्लूइस से गांगेय नदी छारी नदी निकलती है

जो सारण तटबंध के कि0मी0 139 के पास से गोपालगंज की ओर बहती है । हरपुर ग्राम सारण तटबंध के कि0मी0 139 के पास स्थित है । गोपालगंज शहर की बाढ़ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय प्रशासन द्वारा हीरापाकड़ स्लूइस गेट को लगभग 16 वर्ष पूर्व सील कर दिया गया है एवं वर्ष 2003 बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्य अन्तर्गत उक्त स्लूइस के पीछे स्थित सारण तटबंध के कि0मी0 139 के पास तटबंध के खुले भाग को बंद कर दिया गया है । जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत नदी में गंडक नदी से जल प्रवाह नहीं हो रहा है । प्रश्नगत नदी पर विगत वर्षों में स्थानीय लोगों द्वारा बसावट कर स्थायी, अस्थायी भवन का निर्माण भी कर लिया गया है । जिसके कारण प्रश्नगत नदी का अस्तित्व लगभग समाप्तप्राय है । प्रश्नगत नदी में जल प्रवाह पुनः शुरू करने हेतु नदी को बसावट से मुक्त करने के पश्चात् हीरापाकड़ स्लूइस को खोलने एवं सारण तटबंध के कि0मी0 139 पर एन्टी फ्लड स्लूइस का निर्माण कराना होगा, परन्तु इससे गोपालगंज शहर पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी । इसलिए इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री सुवाष सिंह : महोदय, अंग्रेजों द्वारा गंडक और गंगा को, गंगा और जमुना को जोड़कर बाढ़ सुखाड़ की समस्या के निदान के लिए यह नहर बनायी गयी थी ।

अध्यक्ष : अभी कह रहे हैं स्लूइस खोलने से गोपालगंज पर बाढ़ का खतरा हो जायेगा ।

श्री सुवाष सिंह : ऐसा नहीं है सर ।

अध्यक्ष : उसको देखवा लेंगे, अभी वापस लेकर अलग से लिखकर दीजिए ।

श्री सुवाष सिंह : मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि जल संचय की चिंता सबको है और नदी से नदी जोड़ने की योजना- यह तो अंग्रेजों द्वारा पूर्व में गोपालगंज यू0पी0 के सीमा से, गोपालगंज जिला में तीन जगह सरयू से जोड़ा है और गोपालगंज से गंगा को जोड़ने का काम अंग्रेजों द्वारा किया जा चुका है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार.

अध्यक्ष : उसमें बांध और स्लूइस का क्या मतलब है नदी जोड़ से ?

श्री सुवाष सिंह : पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्लूइस गेट के आगे से बांध बनाकर या पीछे से बांध बनाकर.....

अध्यक्ष : आप अलग से दीजिएगा मंत्री जी उसको जॉच कराकर......

श्री सुवाष सिंह : पानी के बहाव को रोक दिया गया जिसके फलस्वरूप आज बाढ़ से तबाही मचती आयी है । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि सारी नदियों का और स्लूइस गेटों का बांध हटाकर उसका अध्ययन कराया जाय ।

अध्यक्ष : यह आपका सुझाव सही है उसको अलग से लिखकर दे दीजिएगा । अभी प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री सुवाष सिंह : जी मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-72, श्री सुबेदार दास

श्री सुबेदार दास : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड स्थित उमता छतियाना मुख्य पथ में पिपरा मोड़ शिव शंकर मंदिर से विद्युत् पावर स्टेशन तक लिंक रोड का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ पिपरा मोड़ शिव मंदिर से विद्युत् पावर सब स्टेशन तक पथ कच्ची है । इस पथ का आरेखन में कोई गांव, टोला अथवा बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुबेदार दास : अध्यक्ष महोदय, जो विद्युत् पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ, पिछले वर्ष उद्घाटन भी हुआ और मात्र एक ही रास्ता है जो शिव शंकर मंदिर पिपरा मोड़ से उस गांव से रोड जाते हुए अगर विद्युत् पावर सब स्टेशन तक निर्माण होता है तो उसके बगल में छतियाना गांव है, बगल में तेरासन गांव है, दोनों गांव उससे जुड़ जाता है ।

अध्यक्ष : वह सब बसावट की सूचना दे दीजिएगा मंत्री जी को अभी वापस ले लीजिए ।

श्री सुबेदार दास : ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-23/ज्योति/26-07-2019

क्रम संख्या 73 श्री जितेन्द्र कुमार

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावां, सरमेरा, बिन्द एवं कतरीसराय प्रखंडों में वर्ष 2018-19 की

सुखाड़ में किसानों के खरीफ फसल सहायता की बकाये राशि का वितरण करावे। ''

श्री राणा रणधीर, मंत्री : महोदय, बिहार फसल सहायता योजना के प्रावधानानुसार अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के निर्देशन में संपादित फसल कटनी प्रयोग के प्रतिवेदन के आधार पर थ्रेसहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में ह्रास की स्थिति में पात्र किसानों को सहायता राशि अनुमान्य होती है उपर्युक्त प्रावधानानुसार इस योजना अंतर्गत खरीफ 2018 मौसम में नालन्दा जिला के सरमेरा, अस्थावां एवं बिन्द प्रखंडों में किसी भी पंचायत में धान एवं मक्का फसल की उपज में ह्रास प्रतिवेदित नहीं होने के कारण सहायता राशि अरनुमान्य एवं देय नहीं है । नालन्दा जिला के कतरीसराय प्रखंड में मात्र दो पंचायत है दरवेसपुरा एवं मैराबारीठ में योजना के प्रावधानानुसार सहायता राशि अनुमान्य हुई है एवं तद्नानुसार उक्त दोनों पंचायत के पात्र किसानों को निम्न रुपेण सहायता राशि का भुगतान किया गया है । पंचायत दरवेसपुरा में 279 किसान निबंधित हुए थे पात्र 218 हुए, सहायता राशि मिली, 169 किसानों को भुगतान की गयी राशि 14 लाख 34 हजार 245, मैराबारीठ पंचायत के 267 किसान निबंधित हुए, पात्र किसान 223 हुए, सहायता राशि 189 किसानों को मिली । भुगतान की गयी राशि 13 लाख 31 हजार 142 है, शेष पात्र किसानों को भुगतेय सहायता राशि प्रक्रियाधीन है, अत: मैं आग्रह करता हूँ कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपके भी संज्ञान में है । अस्थावां सरमेरा बिंद में सुखाड़ की स्थिति थी और सुखाड़ का अनुदान भी मिला लेकिन फसल सहायता का लाभ नहीं मिला जो सांख्यिकी विभाग की जो रिपोर्ट आयी थी, उस रिपोर्ट की जॉंच करवाने का भी हमने आग्रह किया था कि जो फसल कटनी प्रयोग हुआ है उसकी रिपोर्ट सही नहीं आयी है । यह किसानों का मामला है और वहॉं सुखाड़ की स्थिति बनी थी । एक बार महोदय, हमने प्रश्न के माध्यम से भी उठाया था, आपने भी निर्देश दिया था तो आपसे आग्रह है कि एक बार जो रिपोर्ट आयी है फसल कटनी प्रयोग का उसे निर्देश देने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : वह दे दीजियेगा उसको देखवा लेंगे । अभी वापस ले लीजिये ।

श्री जितेन्द्र कुमार : मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या 74 श्री रत्नेश सादा</u>

श्री रत्नेश सादा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के काश नगर पंचायत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं हेतु बालिका आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण करावे। "

श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री : महोदय, सहरसा जिलान्तर्गत राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालक उच्च विद्यालय अमरपुर सहरसा संचालित है । वर्तमान मं राज्य सरकार द्वारा सभी आवासीय विद्यालयों को 10 प्लस टू में उत्क्रमित करने की स्वीकृत दी गयी है जिसमें प्रति विद्यालय 720 आसन स्वीकृत किए गए हैं प्रत्येक आवासीय विद्यालय में आधारभूत संरचना का विकास होने के पश्चात 10 प्लस टू स्तर तक की पठन पाठन प्रारम्भ किया जायेगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की बालिकाएं राज्य के किसी भी राज्य के अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में नामांकन कराकर पठन पाठन कर सकती है । वर्तमान में सहरसा जिला अंतर्गत सोनवर्षा प्रखंड के काशनगर पंचायत में नया आवासीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है । सक्षम प्राधिकार से भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध होने पर विद्यालय का निर्माण कराया जा सकता है ।

श्री रत्नेश सादा : महोदय, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या 75, श्री फराज फातमी</u>

श्री फराज फातमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला अंतर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के ग्राम टेकटार में अधमरा समूह नदी के टेकटार घाट के समीप नदी में पुल निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल कके एक तरफ टेकटार बसावट को आर0सी0डी0 पथ से एवं दूसरी तरफ कोठिया बसावट को आर0सी0डी0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है ।

इस स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री फराज फातमी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं और इन्होंने एनाउन्स भी किया था कि जो भी चचरी के पुल है, लकड़ी के पुल है उनको बदल कर आर.सी.सी. पुल बनाया जायेगा । काफी सालों से यह चचरी का पुल बना हुआ है और आवागमन की काफी कठिनाई होती है और दो ब्लौक को यह पुल जोड़ता है इससे लाखों लोगों को फायदा होगा, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि फिर से इसको सोचा जाय और इसको बनाया जाय ।

अध्यक्ष : अभी वापस ले लीजिये ।

श्री फराज फातमी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या 76 श्रीमती गायत्री देवी</u>

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के भाँसर होकर बहने वाली नदी पर पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से अविलम्ब करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ ग्राम भांसर को पी.एम. जी.एस.वाई. पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ ग्राम खैरवा मुस्लिम टोला को एम.एम.जी.एस.वाई. चयनित पथ से सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगी । पुल स्थल को अप स्ट्रीम में 1.75 कि0मी0 पर एवं डाउन स्ट्रीम में 3.50 कि0मी0 पर पुल पूर्व से निर्मित है । यह स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है।

अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । माननीय सदस्या से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती गायत्री देवी : वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या 77 श्री शिवचन्द्र राम</u>

श्री शिव चन्द्र राम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के राजापाकड़ प्रखंड के चकसिकन्दर पककी सड़क से महुआ पक्की सड़क तक अनुमंडल मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण जनहित में करावे।''

श्री नंद किशोर यादव ,मंत्री : महोदय, वैशाली जिला के राजापाकड़ प्रखंड के चकसिकन्दर पक्की सड़क से महुआ सड़क तक अनुमंडल मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क के लिए चकसिकन्दर-करिहो चौक-मिर्जानगर महुआ पथ का अधिग्रहण ग्रामीण कार्य विभाग से किया गया है । यह कार्य वार्षिक कार्य योजना 2019-20 में प्रस्तावित है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री शिवचंद्र राम : अध्यक्ष महोदय, 2016 में ही जो ग्रामीण कार्य विभाग था उससे जो है कि ट्रांसफर पी.डब्लू.डी. में हो गया था । इतनी सड़क जर्जर है जिसपर आज के समय में भी चलना दुलर्भ है ।

अध्यक्ष : अभी तो कह रहे हैं कि 2019-20 में प्रस्तावित है ।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या 78 श्री मो0 नेमतुल्लाह

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव‍ि करती है कि वह गोपालगंज जिलिा में NH-28 के भड़कुइया मोड़ से मांझा प्रखंड के कपरपुरा गफुर रोड में मिलने वाली सड़क को पथ निर्माण विभाग में शामिल करे । ''

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, आश्वासन के आलोक में वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या 79, श्री शहनवाज

श्री शहनवाज : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के धनपुरा मस्जिद सो एल.आर.पी. पुराना सड़क होते हुए जहानपुर चौक तक सड़क का पक्कीकरण के साथ पुलिया का भी निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के आरेखन में धनपुरा मस्जिद, हरवा टोला, कटरबाड़ी एवं जहानपुर टोला अवस्थित है, जिसकी सम्पर्कता निम्नानुसार प्राप्त है –

धनपुरा मस्जिद को पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

हरवा टोला को शीर्ष 30.54 एम.आर.च योजनान्तर्गत निर्मित हरवा चौक से डेंगा चौक तक पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

कटरवाड़ी को शीर्ष 3054 एम0आर0 योजनान्तर्गत निर्मित रानी कलियागंज पी.डब्लू.डी. पथ रानी चौक से सतघरा कटरवारी तक पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

जहानपुर टोला, एन.एच.-327 पर अवस्थित है ।

उक्त बसावट को छोड़कर प्रश्नाधीन पथ के आरेखन पर कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है । सम्प्रति इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री शहनवाज : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या 80 श्री मुजाहिद आलम

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-24/बिपिन/26.7.19

क्रम संख्याः 81 (श्री दिनकर राम)

श्री दिनकर राम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत मेजरगंज प्रखंड के भलुहिया ग्राम के पश्चिम से दक्षिण (देवस्थल से) की ओर जाने वाली ललदासी लड़कवा कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, अभिस्तावित पथ का डी.पी.आर. एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत तैयार कर लिया गया है । स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री दिनकर राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 82 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला अंतर्गत मनिगाछी अंचल में निबंधन कार्यालय स्थापित करें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, जिला अवर निबंधक कार्यरत दरभंगा की क्षेत्राधिकार में अवस्थित मनिगाछी अंचल के पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2016-17, 2018-19 तक की अवधि में निर्बंधित दस्तावेजों की वार्षिक औसत संख्या 1675 है । विभागीय पत्रांक 1102 दिनांक 19.5.2013 के द्वारा नए निबंधन कार्यालय खोले जाने के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रस्तावित निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में न्यूनतम 8000 दस्तावेज का निबंधन प्रतिवर्ष संभावित होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि में औसत वार्षिक प्राप्ति 3,26,78,000/- रूपए है, जबकि नए निबंधन कार्यालय खोले जाने के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रस्तावित कार्यालय का न्यूनतम वार्षिक राजस्व 4,00,00,000/- करोड़ होनी चाहिए । मनिगाछी अंचल नए निबंधन कार्यालय खोले जाने का विभाग का निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है । अतएव अभी खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे कृपया संकल्प वापस ले लें।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जब ही उठे, तो हमको समझ में आ गया कि जवाब क्या है । तो माननीय मंत्री जी को यह पता है कि नहीं, पहले पूर्व में राज्य सरकार ने प्रतिवेदन मंगाया था जो राज्य सरकार के यहां लंबित है फिर भी माननीय मंत्री जी को हम जानकारी दे दें कि सकारात्मक जवाब दिए, इसके आलोक में हम प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्याः 83 (श्री भोला यादव)</u>

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के हनुमाननगर प्रखंड अंतर्गत रतनपुरा गॉव के हाट के पास बागमती नदी पर पुल जो मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट एवं समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर को जोड़ती है, का शीघ्र निर्माण करावें ।''

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, संकल्पाधीन पुल ग्रामीण कार्य विभाग के पथ पर अवस्थित है । पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। नई अधिग्रहण की नति गठित होने क बाद समीक्षापरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री भोला यादव : महोदय यह तीन जिला को जोड़ने वाला प्वायंट है । जिस जगह पर यह पुल बनेगा, वहीं से गायघाट का मुजफ्फरपुर जिला शुरू होता है, माननीय महेश्वर बाबू का क्षेत्र है । एक तरफ माननीय मंत्री जी विराजमान हैं और वो भी महेश्वर बाबू ही हैं, महेश्वर हजारी साहब, उनका है और तीसरे तरफ.....

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि नीति बना रहे हैं, फिर विचार करेंगे । तो अभी वापस लीजिए ।

श्री भोला यादवः अभी वहां पर चचरी पुल है महोदय । प्रत्येक वर्ष घटना होती है । मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं जो उस जगह पर इतनी लंबी-चौड़ी जगह है, ग्रामीण कार्य विभाग नहीं करवा पाएगी ।

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्रीः वापस लेकर आग्रह करिए ।

श्री भोला यादवः वापस तो ले ही रहे हैं । वापस लिया ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या-84 (श्री निरंजन राम)</u>

श्री निरंजन राम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मोहनिया (सु.) विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जहानाबाद, चिलबिली एवं सकरी पंचायतों को मिलाते हुए कुदरा को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करावें ।''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा- 3 के आलोक में सभी जिला

पदाधिकारियों से नगर निकाय के रूप में गठित होने वाले क्षेत्र का प्रतिवेदन की मांग की जा रही है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 3(ग) में यह प्रावधान है कि छोटे शहर अर्थात नगर पंचायत की दशा में उस क्षेत्र की जनसंख्या 12000 से अधिक किंतु 40000 से कम होगी । उक्त प्रावधान के परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि उस क्षेत्र की गैर-कृषि जनसंख्या कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत् या उससे अधिक होगी । इस मामले में समरूप नगर पंचायत हरनौत के गठन के विरूद्ध दायर याचिका सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 9108/2017 विजय कुमार सिन्हा द्वारा अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा नगर पंचायत गठित हेतु गैर-कृषि जनसंख्या में शामिल अव्यवों को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है । नगर निकाय के क्षेत्र में गठन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश...

अध्यक्ष : मंत्रीगण भी अपना रेस्पौंस संक्षेप में दें ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: इसके निराकरण होने के बाद इसको ले लिया जाएगा । वर्तमान में प्रावधान संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है । तदुपरांत निर्धारित अर्हता के आलोक में ही विचारोपरांत नगर पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री निरंजन राम : महोदय, वहां 361 मीलें हैं और उसकी आबादी 20000 से कम नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे पुन: विचार कर करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 85 (श्री जनार्दन मांझी)

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह पढ़ेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत अमरपुर नगर पंचायत के चनसार तालाब के चारों तरफ पक्की सीढ़ी घाट एवं चारों तरफ पी.सी.सी. पथ का निर्माण करावें ।''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अमरपुर नगर पंचायत के चनसार पोखर के सौंदर्यीकरण एवं सीढ़ी घाट निर्माण हेतु उपलब्ध प्राक्कलन में

अधिकतम अनुसूचित दर के आलोक में संशोधन कर प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं मंत्री जी के सकारात्मक निर्णय के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 86 (श्री मो0 आफाक आलम)

मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के सदभैली पंचायत के कोसी नदी में सखुआघाट पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल शीर्ष पी.एम.जी.एस. वाई. अंतर्गत निर्मित धनखनिया घाट पी.एम.जी.एस.वाई. पथ से सर्रा बधना पथ (पैकेज सं0-BR-27R-04) पर अवस्थित है । कालांतर एवं वर्ष 2017 में आई भीषण बाॅढ़ में प्रश्नाधीन पुल के स्थल पर पूर्व से निर्मित 12 Row का ह्यूम पाईप क्षतिग्रस्त हो गया है । उक्त स्थल पर 64.20 मीटर लम्बाई का उच्च स्तरीय पुल बनाने हेतु प्राक्कलन स्वीकृति की प्रक्रिया में है । स्वीकृति के उपरांत पुल निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

मो0 आफाक आलम: धन्यवाद देते हैं । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 87 (श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के ग्राम पंचायत-कचौड़ी, नयन विगहा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करावें ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम- कचौड़ी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है एवं यहां एक ए0एन0एम0 (श्रीमती कुसुम कुमारी) के द्वारा टीककरण, प्रतिरक्षण एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन किया हा रहा

है । यहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलग से स्थापित किए जाने की कोई भी योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

श्री विनोद प्रसाद यादवः मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न : 25/ कृष्ण/ 26.07.2019

क्रम संख्या – 88 श्री राजेन्द्र कुमार

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड तुरकौलियाा अंतर्गत हरदीया मठ के समीप धनौती नदी पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक ओर हरदिया मठ मोतिहारी कोटवा पी0डब्ल्यू0डी0 पथ के किनारे एवं दूसरी तरफ मजुराहा गांव को पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के कोर नेटवर्क में नहीं है । अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः मानीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदय, सरकार इसके पहले सकारात्मक विचार रखी थी जिसके तहत 18 बिन्दुओं पर चेक लिस्ट वहां से मंगाया गया और फिर दोबारा माननीय मंत्री जी के द्वारा 19वां चेक लिस्ट मंगाने के बाद यह कहा गया था कि निर्माण हो जायेगा । इसलिए यह आग्रह करते हुये कि इस पर पुनर्विचार किया जाय, प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या – 89 श्री राजू तिवारी

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अरेराज प्रखंड के पशुपति चौक पीपरा मलाही गहीरी से

एकडेरवा इंगलिश घिवाढार से पी0डब्ल्यू0डी0 मोतिहारी पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिगृहित करावें । "

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अतएत माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजू तिवारी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । लोक सभा के चुनाव में माननीय मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं । इसलिए जरा ध्यान देने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या - 90 श्री राम विलाश पासवान

(अनुपस्थित)

क्रम संख्या - 91 श्री अशोक कुमार(208)

श्री अशोक कुमार(208) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत सोन उच्चस्तरीय कैनाल में ग्राम सिगुही में नहर के क्षतिग्रस्त पुलिया का चौड़ीकरण कर पुल का निर्माण करावें । "

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सोन उच्चस्तरीय नहर के 26.67 किलोमीटर पर सिगुही ग्राम के पास पुल निर्मित है जिसके पीलर की चौड़ाई 2.90 मीटर है । अत: पुल के डेस्क स्लैब की चौड़ाई बढ़ाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है । निर्मित पील के डेस्क स्लैब की स्थिति अच्छी है । मात्र पारापेट क्षतिग्रस्त है । उक्त स्थिति में निर्मित पुल के क्षतिग्रस्त पारापेट के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक-871 दिनांक 11,.07.2019 द्वारा मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन,डेहरी को निर्देशित किया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार (208) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या - 92 श्री अशोक कुमार सिंह (203)

श्री अशोक कुमार सिंह (203) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड में जल संसाधन विभाग का लरमा पम्प केन्द्र में नये पम्प एवं मोटर लगावें ।"

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभाागीय पत्रांक 923 दिनांक 19.07.2019 द्वारा मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, पटना को लरमा पम्प योजना के नवीनीकरण की विस्तृत योजना का प्राक्कलन एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार सिंह(203) : सरकार को धन्यवाद देते हुये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या - 93 श्री मदन मोहन तिवारी

श्री मदन मोहन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मझौलिया प्रखंड में जौकटिया चौक से भानाचक तक सड़क एवं कोहड़ा नदी में पुल का निर्माण करावें । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पथ एवं पुल राज्य के किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । जौकटिया एन0एच-727 के किनारे अवस्थित है एवं भाना चक को PMGSY पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 2.50 किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम में 3.0 किलोमीटर पर पुल पूर्व से निर्मित है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : आप अलग से माननीय मंत्री जी को सूचना दे दीजियेगा । अभी अपन प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या - 94 श्री शशि भूषण हजारी

श्री शशि भूषण हजारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल प्रखंड के लदहोर ग्राम में कमला नदी में पुल का निर्माण करावें । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पथ स्थल के एक तरफ बलिया बसावट को PMGSY पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ नोनिया टोल एवं लदहोर यादव टोल बसावट को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु MMGSY योजनाान्तर्गत पथ निविदा की प्रक्रिया में है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के पथ आरेखन पर नहीं है । इस स्थल के डाउन स्ट्रीम 4.0 कि0मी0 पर पुल पूर्व से निर्मित है । इस स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री शशि भूषण हजारी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या - 95 श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत मगरदही घाट से सिलौत (दुर्गास्थान) 05 कि0मी0 पथ जिसका तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित है, का निर्माण करावें । "

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, मगरदही घाट से सिलौत (दुर्गास्थान) तक 05 कि0मी0 पथकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, इसमें मैंने कहा कि तकनीकी स्वीकृति अनुमोदित है । यह 18 किलोमीटर का बाईपास था और जो 5 किलोमीटर है जो टेंडर में नहीं आया क्योंकि जल संसाधन विभाग से एन.ओ.सी. लेना था । जब वह नहीं बन

पायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कार्य योजना में ले लेंगे ?

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य पूरी बात सुनते नहीं हैं । यह जो सड़क है, यह 5 किलोमीटर है, खुद इन्होंने दिया है संकल्प और इसकी तकनीकी स्वीकृति 14.06.2019 को प्राप्त हो गयी है और प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है । 19 करोड़ 67 लाख 46 हजार की यह योजना है । उसकी चौड़ाई 3.05 मीटर है उसको 7 मीटर चौड़ा कर रहे हैं महोदय । अब क्या चाहिये । तो अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या - 96 डा0 सी0एन0गुप्ता

डा0 सी0एन0गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत रिविलगंज प्रखंड के सिमरिया घाट में शमशान घाट जाने के लिये रेलवे लाईन को क्रॉस करने हेतु अंडरपास का निर्माण करावें । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित स्थल पर रेलवे लाईन को क्रॉस करने हेतु अन्डर पास ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । रेलवे लाईन क्रॉस करने हेतु अन्डर पास का निर्माण रेलवे द्वारा वाहन घनत्व एवं तकनीकी समीक्षा के उपरांत भारत सरकार द्वारा दी जाती है ।

अत: संकल्प भारत सरकार के अधीन रहने के कारण माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय ।

डा0 सी0एन0गुप्ता : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या - 97 श्री संजीव चौरसिया

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दीघा नहर से लेकर राजापुल सतक सड़क के दोनों किनारों पर बने नाला (Mother Drain) का पुनर्निर्माण करावें । "

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, इसका जवाब मैं दूंगा ।

दीघा नहर से राजापुर पुल तक पथ के दोनों तरफ आवश्यकतानुसार नाला बनाया गया है । वर्तमान में कहीं पर जल-जमाव की समस्या नहीं है । फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं तो मैं फिर से इसको दिखवा लेता हूं ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री संजीव चौरसिया: महोदय,माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि दोनों तरफ नाला के अंदर जो हिक पहले से बने हुये हैं, अंदर बहुत तरह की बाधायें हैं, उसको ठीक करवाने का काम करेंगे । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या - 98 श्री सैयद अबु दौजाना

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ प्राधिकृत हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतमढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत आवापुर उत्तरी पंचायत के मौलानगर में स्थित उर्दू मध्य विद्यालय को सिर्फ छात्राओं के लिये उच्च विद्यालय उत्क्रमित करावें । "

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1021 दिनांक 05.07.2013 के द्वारा माध्यमिक विद्यालयविहीन ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने का नीतिगत निर्णय संसूचित है। इसके तहत निर्धारित मापदंड यथा 75 डिसमिल भूमि वाले मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाता है ।

सीतामढ़ी जिला के पुपरी पंखड के अन्तर्गत आवापुर उत्तरी पंचायत में उत्क्रमित उच्च विद्यालय मौलानगर में अवस्थित है जिसमें छात्र एवं छात्राओं दोनों का पठन-पाठन होहत है । राज्य में अवस्थित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है । अर्थात् उक्त विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं का अध्यापन कराया जाता है । सिर्फ छात्राओं के लिये उच्च विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या - 99 श्री अरूण कुमार सिन्हा</u>

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-47 बहादुरपुर गांव में पुराना एवं ऐतिहासिक तालाब का जीर्णोद्धार करावें । "

टर्न-26/अंजनी/दि0 26.07.2019

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वार्ड संख्या-47, बहादुरगंज ग्राम में पुराना एवं ऐतिहासिक तालाब का जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलन पटना नगर निगम द्वारा तैयार कराया जा रहा है, प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात निधि की उपलब्धता के आधार पर परियोजना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा, अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम सं0-100, श्री कुमार सर्वजीत</u>

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड में स्थित मनहोना-चन्दनबांध आहर पाईन विगत 25 वर्षों से ध्वस्त है, का जीर्णोद्धार करावे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के अंतर्गत मनहोना-चन्दनबांध आहर पाईन का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है, इस योजना को 66 योजनाओं के साथ केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को विभागीय पत्र सं0-633 दिनांक 6.5.2019 द्वारा भेजा गया है । केन्द्र सरकार से स्वीकृति

मिलते ही इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन विहित प्रक्रिया के तहत कराया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-101, श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-224)

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत नगर पंचायत रफीगंज के वार्ड नं0-3 अब्दुलपुर के पास रेलवे ओवर ब्रीज का निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के रेलवे मंत्रालय से सिफारिश करे ।"

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नगर पंचायत रफीगंज के वार्ड नं0-3 अब्दुलपुर के पास रेलवे ओवर ब्रीज के निर्माण का प्रस्ताव आमजनोपयोगी है । उक्त रेलवे ओवर ब्रीज के निर्माण हो जाने से बड़ी गाड़ियों के आवागमन में बड़ी सहूलियत होगी । अतः औरंगाबाद जिलान्तर्गत नगर पंचायत रफीगंज वार्ड नं0-3 अब्दुल पुल के पास ओवरब्रीज के निर्माण हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध करेगी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रम सं0-102, श्री चन्द्रसेन प्रसाद

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिला के एकंगरसराय प्रखंड के पंचायत तेल्हाड़ा में स्थापित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करे ।"

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रखंडस्तर पर ही प्रावधानित है । पंचायत स्तर पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्त्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने की कोई भी योजना सरकार के समक्ष

विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, तेल्हाड़ा एक ऐतिहासिक जगह है और वहां पर उत्खनन के दौरान.

अध्यक्ष : अभी तो पंचायत ही न है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : पहले परगना था ।

अध्यक्ष : मंत्री ने कहा कि पंचायत में नहीं करना है, आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी लेकिन अनुरोध है कि इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करे । मैं इसी अनुरोध के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-103, श्री समीर कुमार महासेठ

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नगर निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में खरीद-फरोख्त(हाउस ट्रेडिंग) पर रोक लगाने हेतु नगर अध्यक्ष, मेयर, जिला परिषद् अध्यक्ष एवं प्रमुख का चुनाव मुखिया के चुनाव के तर्ज पर कराये जाने की व्यवस्था करे ।"

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 के प्रावधानों के तहत.....

अध्यक्ष : मंत्री जी, ऐसी कोई योजना है आपके यहां विचाराधीन ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अभी कोई ऐसी योजना नहीं है ।

अध्यक्ष : जब विचाराधीन नहीं है तो फिर आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : विचाराधीन नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मेन है कि.....

अध्यक्ष : मेन यह है कि पॉलिसी मैटर पर संकल्प नहीं आता है, इसलिए आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-104, श्री सत्यनारायण सिंह

श्री सत्यनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शाहाबाद एवं मगध के 9 जिलों के खेतों की सालों भर सिंचाई तथा बरसात में गंगा नदी के बाढ़ से बचाव हेतु कदवन जलाशय परियोाजना के निर्माण की पहल शीघ्र करे।"

अध्यक्ष : यह तो बहुत पुरानी योजना है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, यह 28.06.2017 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में इन्द्रपुरी जलाशय योजना के विस्तृत योजना प्रतिवेदन पर कार्रवाई चल रही है ।

अध्यक्ष : सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए सत्यनारायण जी, अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री सत्यनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-105, श्री लालबाबू राम

श्री लाल बाबू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड में अनुसूचित जाति, जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय खोलने की स्वीकृति देते हुए भवन का निर्माण करावे ।"

श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड में अनुसूचित जाति, जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय खोलने के संबंध में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 897 दिनां 09.07.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचलाधिकारी, सकरा से प्रतिवेदन प्राप्त है एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पत्रांक 209 दिनांक 03.07.2019 के माध्यम से अनुरोध किया गया है । जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा पत्रांक 239 दिनांक 09.07.2019 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शिक्षा विभाग से पत्राचार किया गया है । जिला शिक्षा पदाधिकारी के उक्त पत्रांक 239 दिनांक 09.07.2019 के अनुसार अम्बेदकर बालिका आवासीय विद्यालय के भवन

निर्माण हेतु राजकीयकृत नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिमरी सकरा अंचल अंतर्गत ग्राम सिमरी थाना नं0-957, खाता संख्या-199, खेसरा नं0-1293 में 6 एकड़ 61 डिसमिल में एवं खेसरा नं0 1286 में 1 एकड़ 32 डिसमिल, कुल रकवा- 7 एकड़ 93 डिसमिल में,....

अध्यक्ष : आप अंतिम निष्कर्ष बता दीजिए माननीय मंत्री जी......

श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री : उसमें से 3 एकड़ भूमि पर अम्बेदकर बालिका आवासीय विद्यालय भवन निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, वर्त्तमान में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत चार आवासीय विद्यालय संचालित हैं तथा आवासीय उच्च विद्यालय पोखरेरा, +2 बालिका उच्च विद्यालय राजवाड़ा, प्राथमिक बालिका विद्यालय, मुरौल एवं प्राथमिक बालिका विद्यालय बोचहा संचालित है ।

अध्यक्ष : अंत में क्या स्थिति है मंत्री महोदय, इतना बता दीजिए ।

श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री : बता रहे हैं महोदय । शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही अग्रत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : कार्रवाई हो रही है, इसलिए माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री लालबाबू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रम सं0-106, श्री नारायण प्रसाद</u>

अध्यक्ष : इसको पूछेंगे श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला मुख्यालय बेतिया में स्थापित हुए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया का नामकरण महारानी जानकी कुंअर चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के नाम से करे ।"

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया का नामकरण महारानी जानकी कुंअर चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, विहित माध्यम से विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार उचित निर्णय लिया जा सकेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मंत्री जी इसपर विचार करेंगे और उनके विचार के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं0-107, श्री जिवेश कुमार

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के नवादा जिले के रजौली से प्रारंभ होकर नालन्दा, बख्तियारपुर, ताजपुर, बिठौली, जाले एवं पुपरी होते हुए सीतामढ़ी जिले के भिटठा मोड़ तक बन रहे चार मार्ग (4 LANE) वाला नार्थ-साउथ कॉरिडोर के तीसरे व अंतिम चरण ताजपुर से भिट्ठामोड़(सीतामढ़ी) का कार्य अविलम्ब प्रारंभ करावे ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : आप कहां सुन लिए कि थर्ड फेज में वहां जाना है ।

अध्यक्ष : आप बता दीजिए कि थर्ड फेज में नहीं है ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, साउथ-नोर्थ कॉरिडोर इस प्रकार का अब नहीं है, भारत सरकार का भारतमाला परियोजना में औरंगाबाद से दरभंगा तक जो कॉरिडोर बन रहा है, वही अब साउथ-नोर्थ कॉरिडोर कहा जायेगा और जिसे आप शेष मार्गरेखन की बात कर रहे हैं, उस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-27/राजेश/26.7.19

श्री जिवेश कुमार: महोदय, 2012 में यह प्रस्ताव बना था ....(व्यवधान)

अध्यक्ष: 2012 में बना था लेकिन 2019 में नहीं है ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि दरभंगा पहुंचा रहे हैं, तो जाले से भिट्ठा मोड़ को क्यों छोड़ रहे हैं, उतना तो जोड़ दें ।

अध्यक्ष: आपको जो कहना है कहकर, अपना प्रस्ताव को वापस ले लीजिये ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेना ही है लेकिन यह बहुत ही इम्पौरटेंट सड़क है, इसपर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-108, श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा सदर प्रखंडन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीपुर एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनहान, वासुदेवपुर को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में विकसित करें ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में दरभंगा सदर प्रखंडन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीपुर एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनहान, वासुदेवपुर को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में विकसित करने हेतु दरभंगा जिला द्वारा लक्षित किया गया है । इस वित्तीय वर्ष में इन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में कर लिया जायेगा, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

अध्यक्ष: अब क्या है, अब तो संकल्प को वापस ले लीजिये ।

श्री संजय सरावगी: महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूँ मंत्री जी का ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या: 109, श्री सरोज यादव ।

श्री सरोज यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड के केसोपुर श्मशानघाट से भाया-शालिम सिंह के टोला होते हुए महुदही गाजीयापुर पथ तक सड़क का निर्माण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह कोई आम रास्ता नहीं है, यह बाढ़ अवधि में जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा तटबंध के निरीक्षण एवं बाढ़ संर्घषात्मक सामग्रियों की ढुलाई के लिए किया जाता है । जल संसाधन विभाग द्वारा सड़क का निर्माण नहीं कराया जाता है, यदि सड़क निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है, तो जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जायगी।

श्री सरोज यादवः अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के समय में यह बॉध ही उपयोगी होता है और उस गॉव का कहीं से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं से कोई जुड़ाव नहीं है, लगभग 12 हजार की आबादी है, अगर यह बॉध बन जाता महोदय, स्लुईस गेट लग जाता है, तो उससे ज्यादा लाभ होगा, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि इसपर विचार करके स्लुईस गेट और पथ का निर्माण कराने का विचार करें, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः धन्यवाद । सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्याः 110, सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय में बस अड्डा बनाकर नागरिक सुविधा प्रदान करावें ।''

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्रीः महोदय, प्रखंड स्तर पर बस स्टैंड की सुविधा की नीति का निर्धारण किया जा रहा है, इसके लिए प्रखंड मुख्यालय में एक एकड़ भूमि चिन्हित करने का निदेश जिलाधिकारी को दिया गया है । जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा सूचित किया गया है कि कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय में अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे संकल्प को वापस ले लें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि वहॉ पर भूमि है, आप दोबारा प्रस्ताव भिजवाइये, मैं भूमि उपलब्ध करा दूंगा । माननीय मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन के लिए, मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्याः 111, श्री जय वर्धन यादव ।
(मा0सदस्य अनुपस्थित)

श्री मुजाहिद आलमः अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या-80 छूट गया है सर ।

अध्यक्षः आप बैठिये न, छूट गये हैं तो इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं ? अपने समय में रहते नहीं हैं । श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय,स0वि0स0

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बिहार में एक भी टीचिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, एल0एन0मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा एक मात्र विश्वविद्यालय है, जो इस मानक पर वर्तमान कुलपति की कार्य दक्षता के कारण खड़ा उतर रहा है । अतएव सरकार एल0एन0मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को टीचिंग यूनिवर्सिटी घोषित कर बेगूसराय को इसका प्रमुख अंग बनावें ।

अध्यक्ष: ठीक है । यह शिक्षा विभाग को जायेगा ।

क्रम संख्या: 80, श्री मुजाहिद आलम ।

श्री मुजाहिद आलम: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिक्षा सेवकों (तालीमी मरकज एवं टोला सेवक) को विद्यालय में समायोजन तथा एन0आई0ओ0एस0 से डी0एल0ई0डी0 करावें ।''

अध्यक्ष: यह शिक्षा विभाग को चला जायेगा ।

क्रम संख्या: 15, श्री अब्दुस सुबहान ।

श्री अब्दुस सुबहान: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियाँ जिलान्तर्गत वायसी प्रखंड के एन0एच0-31 फटकी से प्रधानमंत्री सड़क चहट तक की सड़क को पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित करते हुए पथ का जीर्णोद्धार करावें ।''

वैसे जवाब मालूम है सर ।

अध्यक्ष: जवाब जब मालूम है, तो वापस आप सीधे ले लीजिये ।

श्री अब्दुस सुबहान: जी सर । अगर जवाब का माननीय मंत्री जी वितरण कर देते, तो दो संकल्प का समय बच जाता सर । मुझे जवाब मालूम है कि नया नियम बनेगा, तब किया जायेगा ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य को जवाब मालूम है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि वे अपना प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अब्दुस सुबहानः महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्याः 19, श्री चन्द्रशेखर ।

श्री चन्द्रशेखरः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किसान हित में प्रतिवर्ष 15 (पन्द्रह) नवम्बर से धान की अधिप्राप्ति को व्यवहारिक कराने हेतु नमी के मानक नियमों में आवश्यक परिवर्तन कराये अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करावें ।''

अध्यक्षः माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आये हैं ? अभी नहीं हैं । यह विभाग को चला जायेगा ।

क्रम संख्याः 12, श्री फैसल रहमान ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्याः 22, श्रीमती आशा देवी ।

श्रीमती आशा देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के दानापुर प्रखंड में जमालुदीनचक पंचायत में स्थित आहर एवं पईन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए जीर्णोद्धार करावें ।''

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के दानापुर प्रखंड में जमालुदीनचक पंचायत में स्थित आहर का स्थल निरीक्षण कराया गया है । उक्त आहर की लंबाई लगभग 1150 फीट तथा चौड़ाई 30 फीट है, इसके कुछ भाग को भड़कर रास्ता बनाया गया है । इस आहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, दानापुर के पत्रांक-175 दिनांक 25.7.19 द्वारा अंचलाधिकारी, दानापुर को अतिक्रमण खाली कराने हेतु लिखा गया है । अतिक्रमण मुक्त होने के उपरान्त महोदय, उक्त आहर का सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा सिंचाई कार्य हेतु उपयोगी पाये जाने पर इसका डी0पी0आर0 तैयार कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना गैर सरकारी संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय ।

श्रीमती आशा देवी: महोदय, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-28/सत्येन्द्र/26-7-19

क्रम सं0-36 - श्री व्यासदेव प्रसाद

श्री व्यासदेव प्रसाद: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दाहा नदी, सिवान जिला के तीन विधान-सभा क्षेत्रों सिवान सदर, रघुनाथपुर एवं दरौंदा से होकर गुजरती है, का उड़ाहीकरण व इसके दोनों तटबंधों का सुदृढ़ीकरण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, दाहा नदी कुचायकोट प्रखंड के सासामुसा से निकलकर सिवान जिला के तीन विधान-सभा क्षेत्रों सिवान सदर, रघुनाथपुर एवं दरौंदा होते हुए सारण जिला के ताजपुर के समीप घाघरा नदी में मिलती है । दाहा नदी एक प्राकृतिक ड्रेनेज चैनल है । सिवान जिलान्तर्गत इस नदी पर कोई तटबंध निर्मित नहीं है । सारण जिला के मांझी प्रखंड में इस नदी के दायें तट पर कौअल तटबंध है, जिसकी कुल लम्बाई 11 कि0मी0 है एवं बायें तट पर कौरीमल 1 एवं 2 तटबंध निर्मित है, जिसकी कुल लम्बाई 12.70 कि0मी0 है । दायें एवं बायें तट पर निर्मित तटबंधों की स्थिति ठीक है । बाढ़ अवधि में अत्यधिक वर्षापात होने की स्थिति में अल्प समय के लिए नदी में जल प्रवाह होता है । वर्त्तमान में नदी तल की एन एस एल से औसतन गहराई 2 मीटर है। वर्त्तमान में नदी का उड़ाहीकरण एवं तटबंधों का सुदृढ़ीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष: व्यासदेव जी, आवश्यकता नहीं है ।

श्री व्यासदेव प्रसाद: आवश्यकता है, यह एक सांस्कृतिक नदी है । जिस तरह से गंगा एक सांस्कृतिक नदी है, ठीक उसी तरह से यह वाणगंगा है, इसको वाणगंगा कहते हैं। यह सांस्कृतिक नदी है, जल संसाधन मंत्री जी के द्वारा जो विचार दिया गया, वह सही नहीं है । मैं उससे सहमत नहीं हूँ।

अध्यक्ष: आप उसके बारे में बतला दीजियेगा, तब उस पर अलग से निर्णय लेंगे । अभी वापस ले लीजिये ।

श्री व्यासदेव प्रसाद: वापस तो हम लेंगे लेकिन उसको एक उदाहरण की जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस नदी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें करोड़ों आर्टिजन है जो जमीन के अतिक्रमण के कारण वह रूका है।

अध्यक्ष: सरकार देखेगी, आप सब बात सही कह रहे हैं, अभी प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री व्यासदेव प्रसाद: अभी तो हम प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।
अब गैर सरकारी संकल्प समाप्त हुआ ।

समापन भाषण

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, षोड्श बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र दिनांक 28 जून, 2019 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 26 जुलाई, 2019 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-21 (इक्कीस) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 28 जून, 2019 को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी विधायक दल के जनता दल यूनाईटेड में विलय की सूचना से सदन को अवगत कराया गया । इसी दिन बिहार विधान सभा के द्वादश सत्र में उद्‌भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित कुल-09 (नौ) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । कुल-10 (दस) जननायकों के निधन के साथ-साथ चमकी बुखार यानि ।ण्म्ौण (एक्यूट इंसेफ्लाईटिस सिन्ड्रोम) से मुजफ्फरपुर एवं अन्य जिलों में सैकड़ों मासूम बच्चों की मौत पर शोक प्रकाश किया गया । इसके साथ-साथ प्राकृतिक आपदा जैसे-भीषण गर्मी, लू तथा ठनका-बिजली गिरने के कारण गया एवं औरंगाबाद सहित अन्य जिलों में कई लोगो की मृत्यु पर भी शोक-प्रकाश किया गया । तदुपरान्त दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 01 जुलाई, 2019 को सदन में A.E.S. से मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ एवं तत्पश्चात इस पर विशेष बहस हुई । प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य, के अलावा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इस विषय पर विस्तारपूर्वक स्थिति स्पष्ट की गई ।

दिनांक 03 जुलाई, 2019 से 18 जुलाई, 2019 तक विभिन्न विभागों के अनुदानों की माँगों को सदन में विमर्शोपरान्त स्वीकृति मिली । दिनांक 18 जुलाई, 2019 को गृह विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ । माननीय मुख्यमंत्री के उत्तर के पश्चात यह माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई ।

दिनांक 22 जुलाई, 2019 को प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार विधान सभा की नियम समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गई जिसे दिनांक 25 जुलाई, 2019 को सदन ने अंगीकृत किया । इसके माध्यम से प्रत्यायुक्त विधान समिति के कार्य एवं दायित्व को स्पष्टता के साथ रेखांकित किया गया है ।

दिनांक 23 जुलाई, 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ । सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1-बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019
2-बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2019
3-बिहार विनियोग अधिकाई व्यय विधेयक, 2019
4-बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019
5-बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019
6-बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019

सत्र के दौरान कुल-3488 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 2795 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 37 अल्पसूचित, 2419 तारांकित एवं 339 प्रश्न अतारांकित थे। सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या-343, सदन पटल पर रखे गये प्रश्नोत्तर 608,

उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-560, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या-64 रही । शेष 1220 प्रश्न अनागत हुए एवं 1509 प्रश्नों के उत्तर ऑन लाईन के माध्यम से प्राप्त हुए । इस सत्र में कुल-376 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 34 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 69 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये । इस सत्र में कुल-754 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 728 स्वीकृत हुए एवं 26 अस्वीकृत हुए । कुल-427 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 335 स्वीकृत एवं 92 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-227 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई । माननीय सदस्यों द्वारा इस सत्र के दौरान शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये । सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ-साथ पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ । मैं विशेष रूप से आपसबों को साधूवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपके सहयोग से हीं इस सत्र का संचालन अपेक्षाकृत अधिक सफलता से हो पाया एवं जनहित के अधिक मामलों पर विमर्श हो सका । दिनांक 12 जुलाई, 2019 को प्रश्नकाल के दौरान कुल-53 प्रश्नों का निस्तारण हुआ, जो एक मिसाल है । आशा है आने वाले सत्रों में भी पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा जिससे सदन सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा एवं हम सभी अधिकतम जनहित साधने में सफल होंगे जो हमारा अभीष्ट है । समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के

जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वह्न किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव एवं अन्य माननीय स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना।

"बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञप्ति वि.स.–02/19 में संवर्गवार आरक्षण नहीं दिया गया है। उदाहरण स्वरूप पुलिस उपाधीक्षक के 62 पदों में से पिछड़ा वर्ग को शून्य, अति पिछड़ा को मात्र 04 पद दिया गया है जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 06 सीट दिया गया है।

आरक्षण, संविधान में निहित प्रावधान के तहत प्रतिनिधित्व का है। इस तरह बिहार पुलिस सेवा में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व मानक के अनुरूप नहीं है।

अतः प्रत्येक संवर्ग में सभी वर्ग के समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक दिनांक–26.09.1995 में लिए गए निर्णय के अनुरूप तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की पत्रांक–117 दिनांक–30.09.1995 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर क्लीयरेंस की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रोस्टर क्लीयर करते समय किसी सेवा/संवर्ग में विवेचित पद का स्वीकृत बल एवं कोटिवार कार्यरत बल को संज्ञान में लिया जाता है और जिस आरक्षित कोटि में आरक्षण अनुपात/प्रतिशतता के अनुसार जितने पद अनुमान्य होते हैं, उस आरक्षित कोटि को उतने पद उपलब्ध करा दिए जाते हैं। इस प्रकार संवर्ग/सेवा में आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग का संतुलन बना रहता है।

जहाँ तक पुलिस उपाधीक्षक के 62 पदों में से विभिन्न आरक्षित वर्गों को रिक्ति उपलब्ध कराने का प्रश्न है, गृह (आरक्षी शाखा) विभाग द्वारा कोटिवार आरक्षण की गणना नए सिरे से करते हुए गृह विभाग के पत्रांक–5703 दिनांक–16.07.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली 65 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिए आरक्षणवार रिक्तियों की संशोधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9 पद एवं अनुसूचित जाति को 6 पद अनुमान्य कराए गए हैं, जबकि 62 रिक्तियों के विरूद्ध आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्यता के आधार पर 6 पद उपलब्ध कराया गया है।

स्पष्ट है कि बिहार पुलिस सेवा में पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मानक के अनुरूप ही निर्धारित किया गया है और सरकार प्रत्येक संवर्ग में समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

माननीय श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स०, श्री भोला यादव, स०वि०स०, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स०, श्री विजय प्रकाश, स०वि०स०, श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स०वि०स० एवं श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना एवं सरकार का वक्तव्य, दिनांक– 18.07.2019

ध्यानाकर्षण

वर्तमान आरक्षण नियमों के अनुसार सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षा में सीटों के आवंटन में कुल सीट का 01% अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जाति 16%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 18%, पिछड़ा वर्ग 12%, आरक्षित वर्ग की महिला 03%, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%, आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन विभागों द्वारा कुल उपलब्ध सीटों में से सर्वप्रथम 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घटाकर शेष सीटों का 50% (अर्थात् 90 का 50%) ही आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिससे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी 05% सीटों से वंचित हो जा रहे हैं।

उदाहरणस्वरूप बिहार के मेडिकल, डेंटल, भेटनरी कॉलेजों में नामांकन हेतु चल रहे काउन्सिलिंग में उपलब्ध कुल 1024 सीटों में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 100, सामान्य कोटि को 461 (कुल 561 सीट) जबकि सभी आरक्षित श्रेणी को कुल मिलाकर 463 सीटों पर ही नामांकन किया जा रहा है, जिससे आरक्षित श्रेणी को अनेकों सीटों से वंचित किया जा रहा है।

अतः मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध कुल सीटों में से नियमानुसार आरक्षित श्रेणी (SC, ST, MBC, BC, BCW) को 50% सीट तथा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ देने हेतु वर्तमान के काउंसिलिंग को रोककर नियमानुकूल सीटों का आवंटन करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए यह आवश्यक था कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों के सीटों की संख्या में न्यूनतम 20 प्रतिशत सीटों की अभिवृद्धि की जाय ताकि 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू करते हुए पूर्व से निर्धारित आरक्षित श्रेणी (SC, ST, MBC, BC, BCW) का 50% आरक्षण अक्षुण्ण रहे।

क्रमशः

राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/दन्त महाविद्यालय में से मात्र सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा 20 प्रतिशत सीटों की वृद्धि की गई है। अतः वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था मात्र सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में ही प्रदान किया जाना संभव है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2019–20) में राज्य के कुल नौ चिकित्सा महाविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों के राज्य कोटा के कुल सीटों की संख्या–943 मात्र है। जिसकी आरक्षण कोटिवार सीटों की वितरण विवरणी BCECEB को भेजते हुए कॉन्सेलिंग कराने का अनुरोध किया गया था। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुरोध एवं सूचना के आलोक में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के आरक्षण कोटिवार सीटों की वितरण विवरणी की पुनः समीक्षा करायी गयी है एवं इसमें आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। संशोधन के उपरान्त, चिकित्सा महाविद्यालयवार, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 18 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग की महिला के लिए 03 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत विधि सम्मत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गयी है, जिसमें DQ के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी अनुमान्य होगा। तदनुरूप कॉउन्सेलिंग कराने का अनुरोध BCECEB से किया गया है। BCECEB को यह भी निदेशित किया गया कि इसे पूर्णतः लागू करने के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगे तो वे नये सिरे से कॉउन्सेलिंग करा सकते हैं।

उक्त के आलोक में BCECEB द्वारा प्रथम चरण के कॉउन्सेलिंग को रद्द करते हुए नये सिरे से कॉउन्सेलिंग कराई जा रही है।

माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के संशोधित आरक्षण कोटिवार सीटों की वितरण विवरणी भी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। आशा है यह माननीय सदस्यों की शंकाओं का शमन कर सकेगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–1/क्यू0–65/2019–996(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 25.7 /2019

प्रतिलिपिः– उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञाप सं0– ध्या0प्र0–21/19–864/वि0स0, पटना, दिनांक–17.07.2019 के प्रसंग में 5 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उप सचिव/अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री भाई विरेन्द्र एवं अन्य, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त ध्यानाकर्षण

ध्यानाकर्षण

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के संकल्प सं0–1145 दिनांक–12.12.2006 के तहत कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को प्रत्येक वर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर माह में स्थापना की बैठक कर प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया था लेकिन स्थापना की बैठक केवल वर्ष 2009 में ही की गयी है जिसमें कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को प्रोन्नति दिया गया है। वर्ष 2009 के बाद स्थापना की बैठक नहीं होने से दर्जनों से अधिक कनीय/सहायक अभियंता प्रोन्नति के लाभ से वंचित रह गये हैं।

अतएव उक्त अधिनियम के तहत कनीय/सहायक अभियंता की प्रोन्नति का लाभ देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

सरकार का वक्तव्य

विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक–09.08.2010 में ली गयी निर्णय आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0–26 दिनांक–21.01. 2011 द्वारा कुल 11 कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंताओं में प्रोन्नति प्रदान की गयी।

तदोपरांत विभागीय पत्रांक सं0–1341/01.03.2011 द्वारा शेष कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंताओं के पद पर प्रोन्नति के संबंध में अभिलेखों की मांग की गयी, सभी जिला परिषदों से कनीय अभियंताओं की सूची एवं अभिलेख प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभागीय पत्र सं0–924 दिनांक–15.02.2012 एवं 4061, 4062 दिनांक–09.07.2012 द्वारा जिला परिषद् समस्तीपुर एवं रोहतास से कनीय अभियंतओं की सूची एवं उनके योगदान के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। विभागीय पत्र सं0–4912 दिनांक–17.08.2012 द्वारा भिन्न–भिन्न जिला परिषदों में कार्यरत कनीय अभियंतओं के गोपनीय चारित्री एवं अभिलेख की मांग की गयी ताकि प्रोन्नति पर विचार किया

जा सके। इस संबंध में पुनः विभागीय पत्रांक–7360 दिनांक–20.12. 2012, पत्रांक–2009 दिनांक–02.04.2013, पत्रांक–2010 दिनांक– 02. 04.2013 एवं 2011 दिनांक–02.04.2013 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया। वर्तमान में सभी जिला परिषदों से कार्यरत कनीय अभियंताओं के रिक्त पदों की सूची एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध है।

इसी प्रकार सहायक अभियंताओं को भी प्रोन्नति प्रदान करने के उपरांत शेष सहायक योग्य अभियंताओं को जिला अभियंता के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु गोपनीय चारित्री एवं अन्य अभिलेखों की मांग की गयी है। विभगीय पत्र सं0–4075 दिनांक–03.07.2013, पत्रांक–6022 दिनांक–19.08.2013, पत्रांक–488 दिनांक–22.01.2014, पत्रांक–490 दिनां–22.01.2014, पत्रांक–1820 दिनांक–'05.03.2014, पत्रांक–608 दिनांक–03.09.2014 द्वारा जिला परिषदों में सहायक अभियंताओं की सूची वांछित जानकारी के साथ विहित प्रपत्र में उपलध्ब कराने का अनुरोध किया गया था ताकि इनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा सके।

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सहायक अभियंताओं को जिला अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक–31.10.2018 को आहूत बैठक में विचार किया गया। उक्त बैठक हेतु कुल चार सहायक अभियंताओं पर विचार किया गया जिन्हें प्रोन्नति के योग्य नहीं पाया गया। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक'–6316 दिनांक–22.11.2018 द्वारा सभी जिला परिषदों के नियुक्त सहायक अभियंताओं की सूची वांछित जानकारी के साथ विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। कनीय अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं के संबंध में विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन एक माह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु मांग किया जा रहा है।

कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को क्रमशः सहायक अभियंता एवं जिला अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु सभी अभिलेख प्राप्त होते ही नियमानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत कर प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

श्रीमती अमिता भूषण, स०वि०स०/सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, स०वि०स०/श्री चन्दन कुमार, स०वि०स०/श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स०/श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स० एवं श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना ।

मानसून आते ही ठनका गिरने से लोगों के मरने की घटनाएं भी लगातार घटती रहती हैं। वर्ष 2016 में 80 से अधिक लोगों की ठनका गिरने से मौत हुई थी। 2017 और 2018 में मौतों की संख्या में कुछ कमी आयी जबकि वर्ष 2019 में अभी तक 65 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनके परिवार को मुआवजा देने में 2.40 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। ठनका का गिरना अभी भी जारी है। ठनका का पूर्वानुमान अर्थ नेटवर्क से किया जा सकता है। आंध्रप्रदेश में अर्थ नेटवर्क से करार कर "वज्रपात एप" लाया गया है जो आधा घंटा पहले ही ठनका कहां गिरने वाला है इसकी सूचना दे देता है और दिशा भी बतलाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रबंधन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट के साथ इस तरह का करार किया गया है। बिहार में भी वर्ष 2016 में इसपर काम प्रारंभ हुआ था लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है जिससे ठनका से होने वाली मौत बदस्तूर जारी है।

अतः ठनका से होनेवाली मौतों से बचाव के लिए आंध्रप्रदेश एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर तत्काल कदम उठाये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।

<u>सरकार का वक्तव्य</u>

वज्रपात का पूर्वानुमान लगाने एवं उससे होने वाली जन–धन की हानि के बचाव हेतु सरकार पूरी तरह से गंभीर है। आंध्रप्रदेश में वज्रपात पूर्वानुमान की दिशा में किये गये कार्यो के अध्ययन हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक टीम को भेजकर स्थल अध्ययन भी कराया गया है। इसके आधार पर विभाग द्वारा वज्रपात के पूर्व चेतावनी संयंत्र की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। इसमें एकल निविदा प्राप्त होने के कारण संयंत्र स्थापना हेतु करार नहीं किया जा सका है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वज्रपात पूर्व चेतावनी संयंत्र की शीघ्र स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है। लोगों में वज्रपात से बचाव हेतु जागरूकता लाने के लिए विभाग द्वारा "क्या करें क्या न करें" शीर्षक से विज्ञापन समय–समय पर प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाती है।